नगर नई दिल्ली बुधवार 18 सितंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

विदेश मंत्री जयशंकर ने उम्मीद जताते हुए कहा

पीओके एक दिन हमारे वास्तविक कब्जे में होगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है और उम्मीद करते हैं कि एक दिन भारत के वास्तविक अधिकार क्षेत्र में होगा। विदेश मंत्रालय में अपने कार्यकाल के एक सौ दिन पूरे होने के मौके पर मीडिया से बातचीत में जयशंकर ने कहा, 'पीओके पर हमारा रुख स्पष्ट रहा है और हमेशा रहेगा कि यह भारत का हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन यह हमारे वास्तविक अधिकार क्षेत्र में होगा।'

सरकार ने यह स्पष्ट रुख अख्तियार किया है कि पाकिस्तान से अब बातचीत पीओके पर होगी और कश्मीर पर नहीं होगी। ऐसा बयान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आदि नेता पहले दे चुके हैं। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री पहली बार बोले हैं। जयशंकर ने कहा, 'अनुच्छेद 370 द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, यह हमारा आंतरिक मुद्दा है।' उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अनुच्छेद 370 पर हमारी स्थिति को समझता है ।

एक सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर समेत देश के विभिन्न आतंरिक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। भारत का पक्ष गंभीरता से सुना जाने लगा है। विदेश मंत्री ने कहा कि एक सीमा के बाद इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर पर लोग क्या कहेंगे। 1972 से ही भारत की स्थिति स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के प्रयास और कश्मीर में मानवाधिकारों के विषय को कुछ विदेशी नेताओं द्वारा उठाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान से अब बातचीत पीओके पर होगी, कश्मीर पर नहीं। *अनुच्छेद* 370 द्विपक्षीय नहीं, यह हमारा आंतरिक मुद्दा है। *आंतरिक* मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की स्थिति मजबूत हुई।

'भारत-अमेरिका संबंध हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी लंबी दूरी तय कर चुके हैं और दोनों देशों के संबंधों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जो आगे की दिशा में नहीं बढ़ा हो। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार आगे की ओर बढ़े हैं, चाहे बुश प्रशासन हो, ओबामा या अब ट्रंप के तहत प्रशासन हो। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच कारोबार समस्या 'सामान्य' है।

उन्होंने कहा, 'यह बड़े सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के ह्यूस्टन कार्यक्रम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समुदाय का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है।' विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करते रहे हैं और इस क्रम में साल 2014 में उन्होंने न्यूयार्क में मैडिसन स्कवायर में व 2015 में उन्होंने सैन जोस में संबोधन दिया था।

राजस्थान : बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में

जयपुर, 17 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान में बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसे नगर निकाय व पंचायत चुनावों से पहले राज्य की अशोक गहलोत सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

बसपा के छह विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सोमवार देर रात एक पत्र सौंपा। विधायकों ने बिना शर्त कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। राज्य में बसपा के छह विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा (उदयपुर वाटी), जोगेंद्र सिंह अवाना (नदबई), वाजिब अली (नगर), लाखन सिंह (करौली), संदीप कुमार (तिजारा) और दीपचंद खेरिया (किशनगढ़ बास) हैं।

दस साल पुराना इतिहास दोहराया गया। *2009* में भी अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल के दौरान बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। *इस* विलय के बाद राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 106 विधायक हो गए हैं।

कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बसपा के सभी छह विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार संपर्क में थे और मंगलवार को वे कांग्रेस शामिल हो गए। उनके अनुसार बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से अशोक गहलोत सरकार संख्या बल के आधार पर और अधिक मजबूत होगी। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के सौ विधायक हैं। उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास एक विधायक है। इस तरह सरकार बहुमत में है। इसके अलावा राज्य के 13 निर्दलीय विधायकों में से 12 कांग्रेस को बाहर से बाकी पेज 8 पर

सरदार पटेल से प्रेरित है जम्मू कश्मीर पर फैसला : मोदी

केवडिया, 17 सितंबर (भाषा)।

सरदार पटेल की दूरदृष्टि की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पर लिया गया निर्णय भारत के पूर्व गृह मंत्री से प्रेरित है।

मोदी ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार का निर्णय सरदार पटेल से प्रेरित है और ये दशकों पुरानी समस्या का समाधान पाने की एक कोशिश है। मोदी मंगलवार को 69 वर्ष के हो गए। सरकार ने पिछले महीने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर दिया था, जिनके आधार पर राज्य को विशेष दर्जा मिला था। इसके साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट कर उन्हें केंद्र शासित राज्य बनाने का निर्णय भी लिया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस सरदार पटेल की दूरदृष्टि का परिणाम है। हैदराबाद मुक्ति दिवस हर साल 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। तत्कालीन गृह मंत्री पटेल ने 1947 में हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह सातवें से भारत में शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई शुरू हुई, जिसका कूट नाम 'ऑपरेशन पोलो' था। इसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 133 साल पुराने 'स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी' को देखने प्रतिदिन 10,000 लोग जाते हैं, लेकिन 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' का लोकार्पण हुए सिर्फ 11 महीने ही हुए हैं और यहां 8,500 लोग प्रतिदिन आते हैं। उन्होंने कहा बाकी पेज 8 पर

अपने जन्मदिन पर मंगलवार को अमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हीराबेन के साथ भोजन करते हुए।

जन्मदिन पर मां से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने 69वें जन्मदिन पर गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की। इससे पहले, उन्होंने सरदार सरोवर बांध के पूरा भर जाने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह 'नमामि देवी नर्मदे' का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद वह मां से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनके साथ भोजन किया। टीवी पर तस्वीरों में प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर मां का अभिवादन करते और मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती नजर आई।

भारत में एक इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश के किसी भी क्षेत्र में एक इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने क्षेत्र में एक इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इससे मजबूती से निपटेंगे। हम अपने जवानों के खून की एक भी बूंद बेकार नहीं जाने देंगे।'

समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं अपनाने को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि देश की विदेश नीति सामरिक नीति पर भारी थी। उन्होंने यहां अखिल बाकी पेज 8 पर

जेएनयू छात्र संघ के चारों पदों पर वाम का कब्जा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव समिति ने मंगलवार शाम को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए। केंद्रीय पैनल के चारों पदों पर वाम एकता के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। अध्यक्ष पद पर आईशी घोष, उपाध्यक्ष पद पर साकेत मून, महासचिव पद पर सतीश चंद्र यादव और सह सचिव पद पर मोहम्मद दानिश ने जीत दर्ज की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवार सभी पदों पर दूसरे स्थान पर रहे। आईशी घोष स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ), साकेत मून डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ), सतीश चंद्र यादव ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और मोहम्मद दानिश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआइएसएफ) के कार्यकर्ता हैं। इस बार वाम एकता की ओर से अध्यक्ष पद की दावेदारी एसएफआइ ने आइसा से छीन ली थी। चुनाव समिति के प्रमुख शशांक पटेल की ओर से जारी परिणामों के मुताबिक, अध्यक्ष पद पर वाम एकता बाकी पेज 8 पर

जेएनयू के दो विद्यार्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि छात्र संघ चुनावों में उनका नामांकन गलत आधार पर रद्द किया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने परिणाम जारी करने पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी थी

जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया पर 2018 से ही दबाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

भगोड़े मुसलिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के मलेशिया से प्रत्यर्पण के मुद्दे पर भारत ने वहां के प्रधानमंत्री के दावे को गलत ठहराया है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि नाइक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया पर भारत 2018 से ही दबाव बना रहा है। हाल में रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां अपने मलेशियाई समकक्ष से बातचीत में भी यह मुद्दा उठाया था। दरअसल, मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनशोधन और आतंकवाद संबंधी आरोपों को लेकर भारत में वांछित जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का उनसे अनुरोध नहीं किया है।

जयशंकर के मुताबिक, जनवरी 2018 में ही हमारी तरफ से प्रत्यर्पण के लिए लिखित आवेदन मलेशिया को भेज दिया गया था बाकी पेज 8 पर

मलेशिया के प्रधानमंत्री के दावे का भारत ने किया खंडन

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा

ईपीएफ पर मिलेगा 8.65 फीसद ब्याज

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ अंशधारकों को त्योहारों से पहले 2018-19 के लिए अपने खातों की राशि पर 8.65 फीसद की दर से ब्याज मिल जाएगा।

ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.65 फीसद की दर से ब्याज दिए जाने के प्रस्ताव को 21 फरवरी को ही मंजूरी दे चुका है। इसको अभी अधिसूचित नहीं किया जा सका है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा चुका है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ईपीएफओ अंशधारकों को उनके खातों में 8.65 फीसद की दर से ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा। फिलहाल लोगों के ईपीएफ दावों का निपटान 2017-18 के लिए तय 8.55 फीसद की दर से किया जा रहा है।

गंगवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समारोह के दौरान संवाददाताओं से अलग से कहा कि त्योहारी मौसम से पहले ईपीएफओ के छह करोड़ अंशधारकों को 8.65 फीसद की दर से ब्याज मिल जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से अधिसूचना में देरी के विषय में श्रम मंत्री गंगवार ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आजकल बहुत बाकी पेज 8 पर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ अंशधारकों को त्योहारों से पहले 2018-19 के लिए अपने खातों की राशि पर यह ब्याज मिलेगा

परीक्षण के दौरान खेत में गिरा डीआरडीओ का ड्रोन

बंगलुरु, 17 सितंबर (भाषा)।

रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) का एक ड्रोन मंगलवार को परीक्षण के दौरान चित्रदुर्ग जिले में खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

डीआरडीओ ने ट्वीट किया, 'डीआरडीओ द्वारा विकसित मानवरहित यान (यूएवी) प्रायोगिक उड़ान के दौरान चित्रदुर्ग में स्थित एयरोनॉटिकल परीक्षण रेंज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंकड़ों को देखा जा रहा है।' घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है। ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने से तेज आवाज हुई जिससे जोडी चिल्लेनहैली गांव में काफी डर फैल गया। जल्द ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए।

इसकी पुष्टि करते हुए चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक अरुण के ने बताया कि यूएवी मंगलवार सुबह एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसमें कोई घायल नहीं हुआ। टूटे यूएवी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, 'रुस्तम-2' नाम के यान का परीक्षण चल रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

दरअसल

21 हजार से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित | सेहत की फिक्र | 10 करोड़ लोगों को इलाज के लिए ई-कार्ड दिए

दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू न होना दुर्भाग्यपूर्ण : डॉ हर्षवर्धन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में आयुष्मान योजना के लागू नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। योजना का एक साल पूरा होने पर मंगलवार को एक प्रेसवार्ता में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि जहां पूरे देश का कमजोर वर्ग इसका लाभ ले रहा है, वहीं दिल्ली के लोग इस लाभ से वंचित हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। फिर उनसे फोन पर बात भी की लेकिन वे इस योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए नहीं माने। इस महत्त्वाकांक्षी योजना से दिल्ली के गरीबों को दूर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है।

चार राज्यों से लगातार संपर्क

आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओड़ीशा शामिल नहीं हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम लगातार इन राज्यों से योजना में शामिल होने के लिए कहते रहते हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और फोन पर भी बात की। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये राज्य भी जल्द ही योजना में शामिल हो जाएंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी देश में 21 हजार स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र चल रहे हैं। 2022 तक इनकी संख्या 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी। इन केंद्रों के माध्यम से देश के 50 करोड़ गरीब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी।

साल 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक साल में करीब 47 लाख लोगों का इलाज हुआ है जबकि अब तक इस योजना पर 7500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस योजना के तहत 21 हजार से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना हुई है और हर दिन करीब 25 हजार मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया जाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में हुई प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक दो सेकंड में एक ई-कार्ड की दर से 10 करोड़ लोगों को ई-कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर आयुष्मान भारत के कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) इंदू भूषण भी मौजूद थे।

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि विभिन्न राज्यों ने इस योजना को अपने यहां न सिर्फ बेहतर तरीके से लागू किया है बल्कि अपने स्तर पर भी कुछ न कुछ नया जोड़ा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान महाराष्ट्र ने अपने यहां की नर्सों को आयुर्वेद का प्रशिक्षण दिलाया है, तो वहीं केरल ने विद्यालय राजदूत नियुक्त किए हैं। मंत्री ने बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

Manju Rani Pipil W/o Jai Pal Singh Pipil R/o B-906, Apex The Florus, Sec-18 Vasundhara, Ghaziabad, U.P, have changed my name to Manju Pipil. 0050155364-1

It is for general information that I,Vipin Kumar S/o Ramesh Chand R/o-19-B Ram Nagar,Ext.4 Delhi-110051, inform that name of mine & my wife has been wrongly written as Vipin Kampani & Ritu in my minor daughter Liza Kampani(14-Year) School Record.The actual name of mine & my wife are Vipin Kumar & Geetu respectively which may be amended accordingly. 0040512740-9

It is for general information that I,Anita Devi W/o Dina Nath R/o-N-25,B-136 Lal Bagh, Azadpur Delhi-110033, inform that name of mine/my husband has been wrongly written as Sunita,Harkesh in my minor daughter's Shalu(14-Years) Educational Documents.The actual name of mine and my husband are Sunita Devi, Dina Nath respectively which may be amended accordingly. 0040512740-10

It is for general information that I, Hari Om Gupta S/o Ram Avtar Gupta, R/o R-12, main Market Shakarpur, Delhi-110092, informs that my name is wrongly written as Hazri Om Gupta in my son Yuvraj Gupta's Xth School Certificate, as my correct name is Hari Om Gupta which may be amended accordingly. 0040512701-1

It is for general Information that I,SEEMA D/o SUSHIL KUMAR,R/O-525/1-A-23,KHERA G.T. ROAD.SHAHDARA,DELHI-110095 inform that my name has been written as SEEMA in LIC Policy-Record.The actual-name of mine MANISHA respectively which may be amended accordingly. 0040512738-6

It is for general Information that I, SUSHIL KUMAR,S/o SH. SHYAM SINGH,R/O-525/1-A-23,KHERA G.T.ROAD. SHAH-DARA,DELHI-110095,inform that my daughter's name has been written as RUCHI in LIC Policy Record.The actual-name of my daughter TEENA respectively which may be amended accordingly. 0040512738-4

I,Shahid Mohammad S/o Sh.Abdul Wahid R/o Jhuggi No.28W166,T Huts, Delhi Development Authority Colony, New Ranjit Nagar, New Delhi-110008, have changed my name to Mohd.Shahid for all Purposes 0040512680-1

I,Ramjaan S/O-Mohammad Akhtar Khan R/O F-178,F-Block, Shahbad-Dairy, Daulatpur,Delhi-110042. Have Changed My Name To Ramjan. 0040512728-5

I,Pardeep Kapil,S/o-Late Sh Balwant Rai Kapil,C-13,Divine park View Apartment, Abhaykhand-3,Indirapuram, Ghaziabad, U.P. inform that in my Education Certificate my and my father name is record as Pardeep Kumar s/O-Sh Balwant Rai but in my PAN Card,Aadhar Card,Driving licence and service record my and my Father name is record as Pardeep Kapil S/O-Sh. Balwant Rai Kapil 0040512738-7

I,Mohd Yaseen S/o Mohd Yameen R/o,A-60,Sector-71-Noida Distt-Gautambuddh Nagar U.P. have changed my son's Name from Mohd Ashad to Asad Yaseen permantly. 0040512747-1

I,Md Azhar Md Ikram Siddiqui S/O-Mohammad Ikram Siddiqui R/O-C-41/9-B, Galino-7-1/2, North-Ghonda, Delhi-110053-Have Changed My Name To Mohammad Azhar Siddiqui. 0040512728-6

I,Kavita W/O Pardeep Kumar R/O-C-246,III-Floor,Hari Nagar, Clock-Tower, Mayapuri,Delhi-110064.Changed My Name To Kavita Gogna. 0040512728-4

I,Harpreet Singh S/o-Gursharan Singh,R/o-B-1/330,Janak Puri,Delhi-58,have changed the name of my minor Daughter Jasnam kaur Saddal to Jasnam Kaur for all,Purposes(D.O.B-18.01.2006). 0040512747-2

I,Drishti D/O Pardeep Kumar R/O-C-246,III-Floor,Hari Nagar, Clock-Tower,Mayapuri,Delhi-110064.Changed My Name To Drishti Gogna. 0040512728-3

I,Divya D/O Parmanand R/O-E-103,Upper Ground-Floor,Tagore Garden, Delhi-110027. Have Changed My Name To Divya Garg. 0040512728-2

I,Archana Vishvas W/O Nirpada Mandal R/O Village Nithari, Sector-31, Noida(U.P.),have changed my name to Archana Mandal (DOB 01/01/1985)for all future purposes. 0040512738-1

I Anju Bala W/O Nidhi Joshi R/O House No-254 Block-15 Lodhi-Colony, Lodhi-Road Delhi-110003.Have Changed My Name To Anju Joshi. 0040512728-7

I, Anmol W/O Gulshan R/O A-111, Shardapuri, Ramesh Nagar, affirm that Anmol and Annu are same person 0040512729-1

I,Akif Ahmed S/O-Syed Masood Ahmad R/O-H-2 Haji-Colony Ghaffar-Manzil, Jamia-Nagar, Okhla, Delhi-110025. Have Changed My Name To Mohammad Akif. 0040512728-1

I,Ajit Kumar s/o-Balkishan R/o-A-1B/122A, Krishna-Apartments, LIG-Flats, Paschim-Vihar, Delhi-110063,have changed my name to Ajit Anand..for all future purposes. 0040512728-10

I, VIKAS KUMAR S/o Satpal Saluja R/o SP-65, Pandav Nagar, Delhi-110092, have changed my name to VIKAS SALUJA for all purposes. 0040512709-2

I, Tarun Kumar Kalra S/o Trilok Chand Kalra R/o 29A, Raj Bagh Colony, Sahibabad, Ghaziabad-201005 Have Changed My Name to Tarun Kalra. 0070674659-1

I, Tahir S/O Abdul Majid H.No-127, Katra Zamin-Nagar, Near-Alvi Chowk, Basti-Hazrat Nizamuddin, New Delhi-110013., Changed My Name To Tahir Ahmed. 0040512740-6

I, Syed Mashhadur Raza S/o Sayed Sultan Hussain R/o-C-127/16A, Zakirnagar, New Delhi-110025.have changed my name to Syed Mashhadur Raza Rizvi. 0040512740-4

I, Sweety Saddal W/o Harpreet Singh R/o-B-1/330, JanakPuri, Delhi-58, have changed to my name Pavleen Kaur, for all Purposes. 0040512740-1

I, Surender Kumar Singla S/o Late Sh.Ram Kumar Gupta R/o-NA-71A, Vishnu Garden, New Delhi-110018,have Changed my Name to Surinder Kumar Singla for all future Purposes 0040512687-1

I, Shobha Rani W/o Avdesh Pratap Singh R/o Y-216A Sector-12 Noida Dist-G.B.Nagar U.P. do here by somenly inform that in my minor daughter's 10th class school record mother name is wrongly written as Shobha instead of Shobha Rani but both are same and one person. 0040512761-1

I, Savitri w/o Amardeep R/o Shri Bhim Singh Rana, SF, Room No 23, Chaura, Sector-22, Noida, GB Nagar, U.P.-201301 have changed my name to Savitri Devi for all future purposes. 0040512755-1

I, Santosh W/o Sushil Kumar Trivedi R/o 210, Himgiri Appt, J-Block , Vikas Puri Delhi - 110018 Have Changed My Name to Santosh Trivedi. 0070674664-1

I, Sanjeev Kumar S/o Daulat Ram R/o B-2/12, Tata Steel Officer Enclave, Beta-1 Greater Noida -201306 Have Changed My Name to Sanjeev Kumar Sharma 0070674655-1

I, Sanjay Kumar Tanti S/O Shankar Tanti, R/O-K-213, Nardan Basti, Lal-Kuan, Jaitpur, New Delhi-110044. Changed My Name To Sanjay Tanti. 0040512756-5

I, Sajid Hassan Alias Sajid Husain R/o 125 Gali Kotana Suiwalan Darya Ganj New Delhi-110002, have changed my name to Sajid Hasan. 0040512698-1

I, SHAMEEM AHMED S/o Md. Navil Ahmed R/o 417, Gali No.12, Kardam Puri Extn., Delhi-110094 have changed my name to SHAMIM AHMED for all purposes. 0040512664-1

I, Rupali Kujur D/O Sh.Peter Kujur R/O.H.No.206, Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022, Have Changed My Name form Rupali Kujur To Rupali Katherine Kujur, For All Future Purposes. 0040512763-4

I, Reeta S Pitlehra W/o Sh. Suresh Pitlehra R/o B-1904, Amrapali Platinum, Sector-119 Noida, Gautam Budh Nagar-201301 U.P. Have changed my name Reeta Pitlehra to Reeta S Pitlehra. 0040512704-1

I, Reeta S Pitlehra W/o Sh. Suresh Pitlehra R/o B-1904, Amrapali Platinum, Sector-119 Noida, Gautam Budh Nagar-201301 U.P. Have changed my name Ritu to Reeta S Pitlehra. 0040512704-2

I, Rakesh Kumar Bansal F/o Samrithi R/o-75, Urban Estate-II, Hisar, Haryana. have changed my minor daughter's name to Samridhi Bansal. 0040512756-1

I, Rachna Bhardwaj W/o Alok Bhardwaj R/o H. No.3-C/20 B, N.I.T. Faridabad, have changed my name from Mamta Rani to Rachna Bhardwaj for all future purposes. 0040512763-6

I, RAM HAJOOR S/o Late Chhote Lal Pasi R/o-WZ-123B Yadav Apartment, Street No.3, Sadh Nagar, Palam Colony New Delhi-110045 have changed my son's name from AYUSH to AYUSH PASWAN for all future purposes Vide Affidavit 16/09/2019 before NCT of Delhi. 0040512703-1

I Devishwari Devi W/o Late Sh.Bhagat Singh Rawat R/o RZ-78, F-Block, Dharam Pura, Najafgarh, ND-43, Do hereby inform that Devishwari & Deviswhari Devi is one and the same person. 0040512715-1

I Ankit Goyal S/o Satish Goyal R/o D-14/58-59, Upper Ground Floor, Sector-8, Rohini, Delhi-110085 have changed my name from Ankit to Ankit Goyal. 0040512678-1

I Mahender Singh S/o Hari Ram R/o H.No.313-314, Pocket-1, Sector A-6 Narela Delhi-110040 have changed my name from Mahinder Rana to Mahender Singh. 0040512678-2

व्यक्तिगत

I, RAKESH KUMAR S/o Balbir Singh R/o B-19A, Chattarpur Extn. New Delhi-110074 have changed my name to RAKESH KUMAR SAINI for all purposes. 0040512675-1

I, Pushpander son of Shri Ombir Singh resident of Apartment No. 3B, Tower-20, Central Park-II, Sector 48, Sohna Road, Gurugram have changed my son's name FROM NISHAVYA RAGHAV TO NISHAVYA S RAGHAV for all future purposes. 0040512724-1

I, Priti Kalra W/o Deepanshu Bagga R/o B-74, Rampuri, Near-SBI, Ghaziabad, U.P.-201011 have changed my name to Preeti Bagga. 0040512756-2

I, Preeti W/o Narendr Pal Singh R/o-Flat.No.11A, Divine-Heritage Society, Indrapuram, Ghaziabad., inform that Preeti and Alka Chaudhary both name belongs to me.I shall use Alka Chaudhary as my name, for all future purposes. 0040512756-3

I, Prashant Kumar Padhihary, S/o Sh.Bansidhar Padhihary R/o-55-A, Third-Floor, Near-Bikaner Sweet, Sri-Aurobindo-Marg, Adhchini, New-Delhi-110017,have changed my name to Prashant Padhihary and both are one and same person, for all purposes. 0040512732-6

I, Satyanarayan Prasad, S/O Shri Mahendar Raut R/O D-7/183,Sector-6, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Satyanarayan Raut. My DOB-06.06.1985 0040512763-3

I, Pragya Sharma W/O Sh. Surendra kumar Sharma D/O Sh.Ramesh kumar Pathak ,D.O.B 16.7.80, residing at F-41,Ansari nagar West,New Delhi-110029 change my name to Pragya Pathak for all purposes 0050155366-1

I, Poornima Raman W/o Kenjom Ngomdir R/o 3090, Ridge View Apartments, B-4 Vasant Kunj Delhi-110070 Have Changed My Name To Poornima Raman Ngomdir. 0040512732-8

I, Poonm Rani Gupta W/O Shailender Kumar Gupta R/O-H-36, Naveen-Shahdara, Shahdara Delhi-110032. Have Changed My Name To Poonam Rani Gupta. 0040512732-1

I, Pooja Vipul Barsaley W/O Vipul Barsaley R/O-J2/9C, Near-Radha Madhav-Mandir, Krishna-Nagar, Delhi-110051, Have Changed My Name From Pooja Vipul Barsaley To Shivani, For All Purposes.In Future. 0040512763-5

I, Pardeep Kumar R/O-C-246, III-Floor, Hari-Nagar, Clock-Tower, Mayapuri, Delhi-110064. Changed My Child Name Chavi To Chavi Gogna. 0040512740-3

I, Naneen Akhtar W/o Shuja Akhtar R/o B-Sbhaskar Compound-Abul Fazal-Enclave Part-I Kalandikunj-Road Jamia-Nagar Okhla Delhi-110025 changed my name to Nazneen. 0040512763-9

I, Nandini W/o Nalin Kumar R/o MG-II, Plot No-111, Vaishali Sector-6, Ghaziabad, U.P-201012, have changed my name to Nandini Sinha. 0040512679-1

I, Naina Devi, W/o Let.Sh. Amlesh. Resident Of D-3/159,Sangam Vihar, New Delhi 110062. Have changed my name Hansraji to Naina Devi for all future purposes. 0040512686-1

I, Mukesh Sharma s/o Chironji Lal Sharma r/o Second Floor, A-6-I, Amar Colony, Mundka, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to MUKESH GOURR. 0040512708-1

I, Meena Rani W/o Deen Dayal R/o WZ-B-17, First Floor, Vishnu Garden, New Delhi-110018, have changed my name as Meena for all future purposes. 0040512672-1

I, Manoj Kumar Chhabra S/o Sh.Sohan Lal R/o E-96, Gali No.2, Raj Nagar, Part-2, Palam Colony, New Delhi-110077 have changed the name of my minor son from Chetan to Chetan Chhabra for all purposes. 0040512669-2

I, Manisha D/o Rajiv Kumar Taneja R/o-A-39, 2nd Floor,Lajpat Nagar-1,South Delhi,Delhi-110025,have changed my name to Aisha Shah for all purposes. 0040512806-1

I, Madhu/Madhu Devi Rampuria W/O Sanjay Rampuria R/O-H-181, 2nd Floor, Ashok-vihar, Phase-1, Delhi-110052. Have changed my name to Madhu Rampuria. 0040512732-2

I, MAHANDER PAL SAWHNEY s/o KHERATI LAL SAWHNEY r/o 1173, Shora Kothi, Malka Ganj, Delhi-110007, have changed my name to MAHENDER SAWHNEY. 0040512690-1

I, Lalita Arya S/o-Randhir Arya R/o-9063, Arya Samaj Mandir, Govind Bhawan, Ram Bagh, Delhi-110007, have changed my name to Lalit Arya for all purposes. 0040512688-1

I Kamal Kumar Luthra S/o Late.Om Parkash Luthra R/o.B-23, Kotla-Feroz Shah, Vikram-Nagar, Delhi-110002, have changed my name to Kamal Luthra. 0040512732-10

I Jyostna Dolai W/O Basudev Dalai R/O-35-D/2, Near Pal-Dairy, Munirka, Delhi-110067. Have Changed My Name to Gauri Dalai. 0040512740-2

I Deepa W/O Junaid R/O-CN-10 S-210/322, B.R.Camp, Race Course-Club,NDMC Delhi-110003-Have Changed my Name to Rida. 0040512728-9

I, Komal D/o Ajay Kumar R/o 93, Gandhi Gali Fatehpuri Delhi-6 have changed my name to Ekta Jain W/o Sandip Jain. 0040512693-1

I, Khushahal Singh S/o Gabbar Singh Rawat R/o-H.No-2D-94B, Kamla-Vaishali, Ghaziabad-201010. Have Changed My Name to Khushal Singh Rawat. 0040512732-9

I, Keshav S/o Mukesh Nagpal R/o 5/1, 2nd Floor, Front Side, Ashok Nagar Delhi-110018 Have Changed My Name to Keshav Nagpal. 0070674656-1

I, Kanchan Kumari Jain W/o Surinder Kumar Singla R/o-NA-71A,Vishnu Garden, New Delhi-110018,have Changed my Name to Kanchan Singla for all future purposes 0040512687-2

I, KULWINDER KAUR W/o Saravjeet Singh R/o C-114, Pandav Nagar D-Park, Delhi-110092, have changed my name to MANINDER KAUR for all purposes 0040512709-1

I, KM.Arti Rani W/O Shri Chander Shekhar R/O E-3/626, Paradise Apartments, Sector-18, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Arti. 0040512763-1

I, Jagroop Singh Mann S/O Gurpyar Singh Mann R/O C-70, Airport Apartment, Vikas Puri, New Delhi-18, have changed my name to Jagroop Singh for all purposes. 0040512779-1

I, Hina Begum/Heena W/O Khalid Ateeq Khan, H.No-334, Gali No-13, Zakir Nagar, New Delhi-110025. Changed My Name To Hina Khan. 0040512740-7

I, Harjit Singh Sodhi S/O Dhiraj Singh Resident Of Wz B-40, GaliNo-11, Krishna-Park Extension, Tilak-Nagar, Delhi-110018 Have Changed My Name To Harjeet Singh. 0040512740-5

I, Gourave Gaba S/O Ramesh Gaba., R/O-Plot No-370, S4, Nitikhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P-201014, Changed My Name To Gaurav Gaba. 0040512740-8

I, Fahmida Bano R/o 1368, Chatta Rajan, Farash Khana, Delhi-110006 have changed my name to Fehmida Bano for all purposes. 0070674647-1

I, Dhiraj Duggal S/o Davinder Duggal, R/o G-1/100, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, declare that name of my daughter and mine has been wrongly written as Drishti and Dheeraj Duggal respectively in my minor daughter Drishti Duggal aged 14 years School Records. The actual name of my daughter and mine is Drishti Duggal and Dhiraj Duggal respectively 0070674667-1

I, Deepak Kumar Singh S/o Sukhdeo Prasad Singh R/o Flat No.2157,GoldCoast,Tower-12, Crossings Republik, Ghaziabad, UP-201016 have changed myname to Deepak Kumar. 0040512733-1

I, Balwinder Paul W/o Rajiv Kumar Sharma R/o-TA-115/3, Tughlakabad-Extn., New Delhi-110019, have changed my name to Balwinder Paul Sharma. 0040512756-4

I, Ashokkumar Harinarayan Wadhva Alias Wadhva Ashokkumar Harinarayan S/o Late Shri Hari Narayan Wadhva R/o A-15 Near Rajdoot Hotel Jangpura-B New Delhi-110014 have changed my name from Ashokkumar Harinarayan Wadhva Alias Wadhva Ashokkumar Harinarayan to Ashok Kumar Wadhva for all purposes. 0040512682-1

I, Archana Jindal / Archna Gupta W/o Anil Kumar Jindal R/o H.no-506/16 Civil Line Gurgaon-122001 Have Changed My Name to Archna Jindal. 0070674663-1

I hitherto known as Geeta Arora W/o Lakhmi Chand R/o-Flat No.151-A, Pocket-A-3, Mayur-Vihar, Phase-3, Delhi-110096.,have changed my name and shall hereafter be known as Geeta. 0040512732-4

I, Anju Mohan / Anju Mohan Mahajan aged 42 years W/o Sh. Gaurav Mahajan R/o Neelachal, B-401, Plot No-3, Sector - 4, Dwarka, New Delhi-110075, is one and the same person. I Shall henceforth be known by the name of Anju Mohan Mahajan (Aadhar No.-899955000724) only for all future purposes / references. 0040512759-1

I, Chandra Devi W/o Tikendra Bahadur Chand, R/o Chorshaula, Roadways Warkshop, Pithoragarh, Uttarakhand and now at H.No.17A, J-Block, Gali No. 2, Shyam Vihar, Najafgarh, New Delhi, confirm that Chandra Devi & Chandra Rajwar Kantichand is the name of same person. 0040512788-1

I, Amit Kumar, R/o-P-1211, Supertech Icon, NYAYKhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.201014,have changed my minor daughter's name from Saisha to Saisha Kumar. 0040512763-2

I, AMANDEEP KAUR W/o Sandeep Singh R/o 11E/3, Vishwa Karma Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my name from AMARI to AMANDEEP KAUR. 0040512667-1

I hitherto known as Gulistan D/o Ali Hasan R/o-786-A, Gali No-7, Vijay-Park, Maujpur, Delhi-110053.have changed my name and shall hereafter be known as Gulistan Alvi. 0040512732-3

मैं, शोवनाथ राय निवासी क्वार्टर नं. 17, पुलिस स्टेशन, अशोक विहार, दिल्ली–110052 एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना नाम शोवनाथ राय सुपुत्र श्री रामापति राय से बदल "**शोभनाथ राय**" रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे **शोभनाथ राय** नाम से जाना जाए।

मैं, रेहान इलाही, पुत्र श्रीमान रहमान इलाही, निवासी मकान नं. ए-61, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025, ने सभी कार्यों हेतु अपना नाम बदलकर रेहान इलाही रेहान से रेहान इलाही रख लिया है।

मैं विनोद कुमार S/o श्री हरपाल सिंह R/o H: NO-5/136 त्रिलोक पुरी दिल्ली-110091 ध्यान दें कि एमसीडी जाँच में मेरा नाम विनोद है और अन्य सरकारी दस्तावेजों में यह विनोद कुमार है जो मेरा वास्तविक नाम है। इसलिए भविष्य में मुझे विनोद कुमार के रूप में जाना जाए।

I Vineet Kumar S/O.Satpal Monga R/O.37/7, first-floor, Ashok-Nagar, Tilak-Nagar, New Delhi-110018.have changed my name to Vineet Monga, for all purposes. 0040512732-7

I Sanjay S/O-kanti Lal Rampuria R/O-H-181, 2nd-floor, Ashok-vihar , Phase-1,Delhi-110052.Have changed my name to Sanjay Rampuria. 0040512728-8

I Rajni Kumari W/o Rajesh R/o RZ 26 P/30 Street No.37 Indra Park, Palam New Delhi 110045 changed my minor daughter's name from Bhawna to Bhawna Rajbhar. 0040512715-2

I Manigandarajan S C/O Sundarmoorthy R/O-Flat No-RZ-T-26, 2nd Floor, Mahavir Enclave-1, Palam-Village, New Delhi-110045. Have Changed My Name to Manigandarajan. 0040512732-5

खोया-पाया

Lost my Class-X pass Marksheet Year-2012 Roll-No.8123211 CBSE Delhi, Ishu Batra S/o R.K.Batra R/o-127 Street No.5, East Azadnagar, Delhi-110051 0040512756-6

I, Banwari Lal S/o Hari Chand R/o E-598, JJ.Colony, Camp.No.2, Nangloi Delhi-110041 has lost my Original-CBSE 10th-Class Certificate Roll No.6370468 Year-2000. 0040512756-9

I, NEETU Dabas D/o Vinod Kumar R/o-H.No-51 main Bus-Stand Chandpur Delhi-81.have lost my original certificate class-10th year-2012 Rollno-8710931 CBSE- Delhi. 0040512756-8

It is notified for the information that my Original Certificate & Marksheet of Main Secondary Examination Year 2014, Roll No. 8195541 and Senior Secondary Examination Year 2016 Roll No. 9706330 issued by CBSE has been actually lost. Nima Bisht R/o RZ/159, C-Z Block, Gali No. 4, Mahair Enclave, N.D.110045 Mob. No. 9873592758. 0040512684-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year 2011, Roll No.8756692 issued by CBSE has been actually lost. Name of Candidate: Vikram Bhardwaj, R/o C-3/106, Harphool Vihar, Jai Vihar, Delhi-110043, Tel.9650144740 0040512726-1

Lost my Class-X pass Marksheet Year-2017. Roll No.8158883 CBSE, Delhi, Dipanshu Batra S/o R.K.Batra R/o-127 Street No.5, East Azadnagar, Delhi-110051. 0040512756-7

Lost my original recommendation letter (No. F33(31)/192/861&B/ALT.42446 dt 28.12.1998) of Plot No.-36, Pocket-A-3, Sector-34, Rohini, Delhi. Finder contact-Hazari Lal (M)-9990686826. 0040512677-2

रिक्त स्थान

सी.आर.एम. जाट कॉलेज हिसार

Walk in interview

आवश्यकता

योग्यता : हरियाणा सरकार/ जी.जे.यू. एस एण्ड टी के नियमानुसार नॉन टीचिंग स्टाफ की डी.सी. रेट पर निम्नलिखित पदों हेतु आवश्यकता है।

पद का नाम	संख्या
• कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
• चपड़ासी	02
• लैब अटैंडेंट	12
• टैकनिकल असिस्टैंट	01
• लाईब्रेरी अटैंडेंट	02

• पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार ज्यादा या कम हो सकती है
• साक्षात्कार की तिथि :– 22–09–2019, समय प्रातः 10:00 बजे
• सभी कागजात व दस्तावेजों सहित कार्यालय में उपस्थित हों।
• नोट : अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रधान
सतपाल सिंह
जाट एजुकेशन सोसायटी
हिसार (हरियाणा)

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I BIBHA BISWAS Daughter of Sh. RAMESH CHANDRA BISWAS and ex. wife of Ashim Biswas residing at TA-170, Gali No. 2, Tughlakabad Extension Delhi - 110019 declare that I remaried with Naresh Kumar Singh, S/o.- Sh. Bhola Prasad Singh, vide marriage certificate no. Ref 90730000081496, date - 05/08-2019 after divorce from my previous husband Ashim Bishwas vide court divorce petition no. HMA No. 34/2019 dated 16-01-2019 henceforth name of mine and my minor son Master ANIRBAN BISWAS aged about 14 year may be known as BIBHA SINGH and ANIRBAN KUMAR SINGH respectively and also the name of father of my minor son may be known as NARESH KUMAR SINGH in future to all purpose.

It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

अदालती सूचना

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
Notice U/o 5 Rule 20 C.P.C.
W.P. (s). No. 1108 of 2014

Rishikesh Kumar............Petitioner
Versus
Union of India & other.....Respondents

To,
Respondent No (5)
Narendra Singh Lalwal S/o not known to the petitioner No 94000834 Presently posted as HC (Lab Assistant Technician) At FHQ Hospital-1

Whereas, it has not been possible to secure service of notice upon you in the above mentioned writ application by registered post as well as by ordinary Process, you are hereby noticed to appear in person or through Advocate on or before 11/10/19 in this court and if no appearance is made on your behalf in the aforesaid writ application. The same will be heard and decided exparte, your absence not with standing.

Given under my hand and seal of the court, this 03rd day of Sep., 2019

By order of the Court
ASSISTANT REGISTRAR

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
Notice U/o 5 Rule 20 C.P.C.
W.P. (s). No. 1108 of 2014

Rishikesh Kumar............Petitioner
Versus
Union of India & other.....Respondents

To,
Respondent No (6)
Seena Kumari D/o not known to the petitioner No 97004001 Presently posted as HC (Lab Assistant Technician) At CH Kolkata

Whereas, it has not been possible to secure service of notice upon you in the above mentioned writ application by registered post as well as by ordinary Process, you are hereby noticed to appear in person or through Advocate on or before 11/10/19 in this court and if no appearance is made on your behalf in the aforesaid writ application. The same will be heard and decided exparte, your absence not with standing.

Given under my hand and seal of the court, this 03rd day of Sep., 2019

By order of the Court
ASSISTANT REGISTRAR

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
Notice U/o 5 Rule 20 C.P.C.
W.P. (s). No. 1108 of 2014

Rishikesh Kumar............Petitioner
Versus
Union of India & other.....Respondents

To,
Respondent No (7)
Devendra Kumar Dixit S/o not known to the petitioner No 97128999 Presently posted as HC (Lab Assistant Technician) At FHQ Hospital-1

Whereas, it has not been possible to secure service of notice upon you in the above mentioned writ application by registered post as well as by ordinary Process, you are hereby noticed to appear in person or through Advocate on or before 11/10/19 in this court and if no appearance is made on your behalf in the aforesaid writ application. The same will be heard and decided exparte, your absence not with standing.

Given under my hand and seal of the court, this 03rd day of Sep., 2019

By order of the Court
ASSISTANT REGISTRAR

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
Notice U/o 5 Rule 20 C.P.C.
W.P. (s). No. 1108 of 2014

Rishikesh Kumar............Petitioner
Versus
Union of India & other.....Respondents

To,
Respondent No (8)
Jitendra Kumar S/o not known to the petitioner No 97455062 Presently posted as HC (Lab Assistant Technician) At CH Kolkata

Whereas, it has not been possible to secure service of notice upon you in the above mentioned writ application by registered post as well as by ordinary Process, you are hereby noticed to appear in person or through Advocate on or before 11/10/19 in this court and if no appearance is made on your behalf in the aforesaid writ application. The same will be heard and decided exparte, your absence not with standing.

Given under my hand and seal of the court, this 03rd day of Sep., 2019

By order of the Court
ASSISTANT REGISTRAR

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
Notice U/o 5 Rule 20 C.P.C.
W.P. (s). No. 1108 of 2014

Rishikesh Kumar............Petitioner
Versus
Union of India & other.....Respondents

To,
Respondent No (9)
Bikash Kumar Pan S/o not known to the petitioner No 93600024 Presently posted as HC (Lab Assistant Technician) At CH Hyderabad

Whereas, it has not been possible to secure service of notice upon you in the above mentioned writ application by registered post as well as by ordinary Process, you are hereby noticed to appear in person or through Advocate on or before 11/10/19 in this court and if no appearance is made on your behalf in the aforesaid writ application. The same will be heard and decided exparte, your absence not with standing.

Given under my hand and seal of the court, this 03rd day of Sep., 2019

By order of the Court
ASSISTANT REGISTRAR

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
Notice U/o 5 Rule 20 C.P.C.
W.P. (s). No. 1108 of 2014

Rishikesh Kumar............Petitioner
Versus
Union of India & other.....Respondents

To,
Respondent No (10)
Ajit Roy S/o not known to the petitioner No 990060808 Presently posted as HC (Lab Assistant Technician) At CH Kadamtala

Whereas, it has not been possible to secure service of notice upon you in the above mentioned writ application by registered post as well as by ordinary Process, you are hereby noticed to appear in person or through Advocate on or before 11/10/19 in this court and if no appearance is made on your behalf in the aforesaid writ application. The same will be heard and decided exparte, your absence not with standing.

Given under my hand and seal of the court, this 03rd day of Sep., 2019

By order of the Court
ASSISTANT REGISTRAR

To Whomsoever It May Concern

This is certify that my client Mr. Harsh Kumar Verma S/o Mr. Raja Ram Verma @ Raja Ram resident of A-98, 1st Floor, Shardapuri, Ramesh Nagar, New Delhi has passed 12th from C.B.S.E. Board in the year of 2019 as Roll No. 9687343. Aadhar No. of Mr. Harsh Kumar Verma is 894898228889 and Schedule Caste Certificate No. of my client Mr. Harsh Kumar Varma is 90510000148233, same has made by Revenue Department Govt. of NCT of Delhi. This is also certify that father of my client Mr. Raja Ram Verma @ Raja Ram is same and one person. Aadhar No. of Mr. Raja Ram Verma @ Raja Ram is 280846945516.

Manvendra Kr. Tripathi (Advocate)
Enr. D/2601/08, Chamber No. 315,
Supreme Court of India,N.D.-01

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Sh. Ashok Kumar S/o. Late Sh. Sankar Lal and his wife Vimlesh both R/o. Qatar No. 104, Type-II, Block-1, Meerdard Lane, MAMC Complex, New Delhi - 110002 have severed relations/connections with their son Pawan Tank and his wife Rakhi D/o. Sh. Rajner for all purposes. They are further disentitled/disowned to claim any right/share in the moveable and immovable properties owned by my clients. Any person dealing with them in any manner shall be solely doing so at his own risk and costs. My clients shall not be responsible for discharging any liability/claim in this regard

BINAY KUMAR SINGH-ADVOCATE
Ch. No. 91, Civil Side,
Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my clients Om Parkash S/o Late Chunni Lal and his wife Smt. Kaushalya Devi Both R/o D-71-D, Nanhey Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059 do hereby disown and debar their son Harish Kumar and his wife Pooja from all their movable and immovable properties with immediate effect because they are out of control of my clients. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility. My clients will not be held responsible for their any act, deed and things done by them in future.

Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
SR-IInd B Coumpus, Janakpuri,N Delhi-58

PUBLIC NOTICE

Be it known to General Public that my client Mrs. Shashi Malik wife of late Sh. Arun Malik resident of Flat No. 262, KD block, Pitam Pura, Delhi-110034 has disowned/debarred her son namely Tarun Malik as he has gone out of control of my client, having insulted and tortured my client in public showing no respect and regard for his/her dignity and honour. Therefore, my client has disowned & debarred the above named Son, from all her moveable and immoveable properties and severed all the relationship with him with immediate effect. He will have no claim, right, title or interest in the affairs of my client socially or otherwise. If anybody deals with him in any manner he shall do so at his own risks, costs and consequences. My client shall not in any manner be liable and responsible for the same.

VINOD WADHWA & NITIN KAKKAR (Advocates)
Ch. No. 301, W.Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

My client Kailash S/o Late Sukha Ram R/o H.No. J-123, Ground Floor, Gali No. 100, Jahangir Puri, North West Delhi-110033, has severed all relations & disowned his sons (1) Vinod (Who is missing from last 2-3 years), his wife Taruna & their children Priya (12 yrs), Kumkum (5 yrs), Harshita (7 yrs) (2) Smt. Kamini @ Khushi W/o Late Pintu, her children Krishna (3 yrs), (3) Sunil, his wife Tulsi & their children Simran (6 yrs), Swati (4 yrs), Prachi (1 yrs) & (4) Mukesh & his wife Babita & their children Chetan (15 yrs) Muskan (14 yrs) from his all movable, immovable properties due to misconduct, misbehaviour. My client shall not be responsible for their acts.

S.K. Saxena (Advocate)
Ch. No. 335, Saket Court, New Delh-17

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I **LALITA** wife of Shri **NARENDER KUMAR**, residing at 35A Ambawata Farm House, Mand Road, Triveni Garden, Gadai Pur South Delhi, Delhi-110030 declare that the name of mine has been wrongly written as **LALITA AMBAWATA** in my minor son **RISHABH AMBAWATA** aged 11 years School Record. The actual name of mine is **LALITA**, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

it is for general information that I KUNVAR SINGH S/O INDER BAKSH SINGH residing at 8/456, Khichripur, Patparganj, East Delhi, Delhi-110091 declare that name of mine and my father has been wrongly written as PAPPU and INDER VATS SINGH in my Voter ID Card and Driving Licence No: DL-0120140192891. The actual name of mine and my father are KUNVAR SINGH and INDER BAKSH SINGH, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

My clients Chander Bhan S/o Genda Lal & Bimla Devi W/o Chander Bhan, Both R/o C-1345, Tigri, New Delhi-110062 have severed their relations from their son Aman and his wife Payal debar them from their all movable and immovable properties. My clients will not be responsible for their acts.

Sd/-
GAYTRI AGRAWAL (Advocate)
Ch. No. 353 Saket Courts New Delhi

PUBLIC NOTICE

That my clients Sh. Vijay Kumar S/o. Sh. Banwari Lal and Smt. Sunita Devi W/o. Sh. Vijay Kumar both R/o. 16/153 I, Bapa Nagar, Hardyan Singh Road, Karol Bagh, Delhi - 110005, has disowned their son Prashant Kumar (Aged 27 Years) from all their moveable and immovable properties and severed all their relations from him, due to his misconduct and misbehavior. If any person/s make any kind of deal with him, to do so own his/her risk, cost and consequences, my clients will not be responsible for the same"

S.S. RAGHAV-ADVOCATE
Ch. No. K-7,
Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concern that my client, Jai Bhagwan, S/o Late Paras Ram, R/o house No, B-207, Duggal Colony, Khanpur, New Delhi-110062, has disowned his son Sumit Garg, from all of his moveable and immoveable properties because of his bad behavior towards my client, In future anybody dealing with him shall do so at his/her own risk, consequences and responsibility. My client and his family will not be responsible for any act done by him with anyone.

Raj Kumar Advocate
Ch. No. 446, Saket District Courts, New Delhi-110017

अदालती सूचना

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI (ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)

CS(OS) 170/2018

Santosh Sharma ....Plaintiff
V/s
Sh. Rajender Sharma & Ors. ....Defendants

To
Defendant No. 2
2) Sh. Ramesh Chand Sharma S/o Late Sh. Tota Ram Sharma R/o, 45E, Phase-1, Pocket-4 Mayur Vihar, Delhi-110091.

WHEREAS the plaintiff above mentioned has instituted a **SUIT FOR PARTITION, RENDITION OF ACCOUNTS PERMANENT INJUNCTION AND MESNE PROFITS** against you, the above named defendant and whereas it has been shown to the satisfaction of this Court that it is not possible to serve you in the ordinary way therefore, this notice is given by publication directing you, the above named defendant to make appearance before the **Joint Registrar (Judicial) of this Court on 20.09.2019 at 11:00 AM.**

Take notice that in default of your appearance on the day above mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of this court on this the 08th day of August, 2019.

Sd/-
ASSISTANT REGISTRAR (O) for REGISTRAR GENERAL

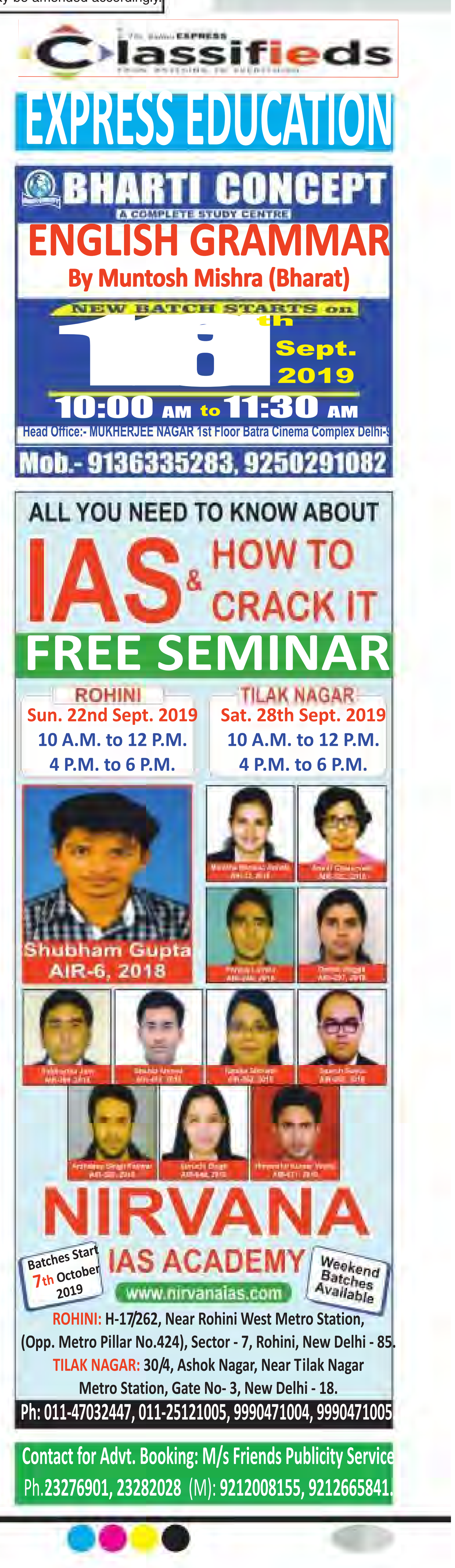

धमकी से आजिज यौन उत्पीड़न पीड़िता ने की खुदकुशी

आरोपी पहले होते गिरफ्तार तो बच जाती जान : पीड़िता के परिजन

बरेली, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

पुलिस कार्रवाई में हीलाहवाली होने पर यौन उत्पीड़न के आरोपियों और उनके साथियों के तानों से त्रस्त होकर पीड़ित किशोरी ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दूसरा मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि मृतका का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक थाना भमौरा क्षेत्र के एक गांव में एक किसान परिवार की किशोरी 11 सितंबर को खेत पर चारा लेने गई थी। उसे अकेला पाकर गांव के दो लड़कों दुर्वेश और धीरसिंह ने उसे पकड़ लिया था। उसके साथ छेड़खानी करने के अलावा बलात्कार करने का प्रयास भी किया। लेकिन किशोरी के पुरजोर विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। किशोरी अपने पिता के साथ थाना पुलिस के पास शिकायत लेकर गई तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उन्हें थाने से फटकार लगाकर भगा दिया गया। पीड़ित किशोरी ने महिला हेल्पलाइन को फोन किया और पुलिस के अधिकारियों से भी संपर्क किया तो थाना पुलिस ने 13 सितंबर को उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इससे आरोपियों के हौसले इतने बढ़े कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी को ताने मारने शुरू कर दिए। वे अक्सर उससे कहते थे कि पुलिस के पास जाकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इस तरह के ताने मारने के अलावा उसे धमकियां भी दे रहे थे।

उनकी तानेबाजी से किशोरी काफी परेशान रहने लगी थी। सोमवार को जब किसान परिवार खेत पर गया तो वह घर में अकेली ही थी। यौन उत्पीड़न के आरोपियों और उनके साथी शोहदों के तानों से अवसाद में आई किशोरी ने घर के कमरे में फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। खेत से वापस लौटने पर किसान परिवार ने अपनी बेटी को फंदे पर लटकते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किशोरी की आत्महत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया। थाना पुलिस ने आनन फानन में किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया।

थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में छेड़खानी और बलात्कार के आरोपियों दुर्वेश और धीरसिंह के अलावा उनके दो साथियों अशोक और रमेश को भी नामजद किया गया है। उन्होने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

पीड़िता के परिजनों का कहना है कि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो उनकी बेटी फंदे पर लटककर जान देने जैसा कदम नहीं उठाती। इस बारे में बात करने पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संसार सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर किसी पुलिस कर्मी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

यमुना खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर

उरई, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

जालौन जिले से गुजरने वाली यमुना व बेतवा का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर चला गया है। वहीं बेतवा का जलस्तर चार मीटर कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली।

यमुना नदी का खतरे का निशान 108 मीटर पर है लेकिन राजस्थान व मध्य प्रदेश में अधिक बारिश होने से यमुना नदी जालौन में खतरे के निशान को पार करते हुए 110 मीटर पर पहुंच गई जिसमें कालपी और जालौन तहसीलों के लगभग आधा सैकड़ा गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। हीरापुर, मैनूपुर, उरकरा, निवहना, महेवा, नरहान आदि में तो लोगों को निकालने के लिए नाव डाली गई। जिलाधिकारी मन्नान अख्तर ने बताया कि यमुना का जलस्तर 110 मीटर से अधिक पर है, जो और बढ़ने की आशंका है क्योंकि हमीरपुर में बेतवा व यमुना के मिलान के कारण वहां से पानी तेजी से नहीं निकल पा रहा है। दोनों नदियों की तेज धाराओं का टकराव हो रहा है जिससे नदियों का पानी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं बेतवा नदी का पानी कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिलाधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम कालपी में मौजूद है। एक बटालियन पीएसी की तैनाती बाढ़ प्रभावित इलाके में कर दी गई है। जिला प्रशासन यमुना नदी के बाढ़ प्रभावित इलाके पर नजर रखे हुए है। **स्कार्पियो चालक की गोली मारकर हत्या** : झांसी कानपुर नेशनल हाइवे- 27 पर एक सनसनीखेज वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया, जहां बदमाशों ने एक स्कार्पियो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को स्कार्पियो में ही डालकर भाग गए। जब स्थानीय लोग वहां से निकले तो उन्हें स्कार्पियो में एक युवक खून से लथपथ दिखाई दिया तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और फारेंसिक टीम व स्वाट टीम की मदद से जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान मृतक की शिनाख्त जालौन निवासी के रूप में हुई है जिसके परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के बड़ागांव के पास की है। बताया गया है कि स्कार्पियो नंबर यूपी में एक युवक का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था जिसे स्थानीय लोगों ने देखा ।

चिन्मयानंद अब भी चिकित्सकीय निगरानी में

शाहजहांपुर, 17 सितंबर (भाषा/जनसत्ता)।

बलात्कार के आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद मंगलवार को चिकित्सकीय निगरानी में रहे। एक दिन पहले चिन्मयानंद ने बेचैनी की शिकायत की थी। सोमवार को बलात्कार पीड़िता द्वारा अपना बयान एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने के बाद चिन्मयानंद ने बेचैनी की शिकायत की थी।

यहां के एक निजी निसंग होम के चिकित्सक डॉक्टर गौरव मिश्रा ने 72 वर्षीय चिन्मयानंद के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद बताया कि वह आज दोपहर तीन डाक्टरों की टीम के साथ स्वामी चिन्मयानंद को देखने गए थे। पूर्व राज्यमंत्री ने कमजोरी और हाथ पैरों में कंपन होने के साथ-साथ शुगर लेबल घटने-बढ़ने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एसआइटी मामले में जांच जारी रखे हुए है लेकिन भाजपा नेता के खिलाफ अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। मामले की जांच कर रही एसआइटी पीड़िता को सोमवार को अदालत ले गई थी जहां उसने अपना बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह के समक्ष दर्ज कराया।

देर रात चिन्मयानंद की तबीयत खराब हो गई थी और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उनका चेकअप करके उन्हें दवाइयां दी थीं।

TENNECO POWERTRAIN
फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : डीएलएफ प्राइम टावर, 10 पाउण्ड फ्लोर, एफ- 79 व 80, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020, [CIN]: L74899DL1954PLC002452
टेली./फैक्स: + 91 11 - 49057597
E mail : investor.grievance@tenneco.com, Website: www.federalmogulgoetzeindia.net

अंश प्रमाण-पत्र खोने एवं उनके एवज में दूसरे प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अंश प्रमाण-पत्र खो गये हैं/ कहीं गलत जगह रख दिए गये हैं एवं कम्पनी इनके एवज में डुप्लीकेट शेयर सर्टीफिकेट जारी करना चाहती है बशर्ते कोई वैध आपत्ति पत्र,समस्त सम्बन्धित वैध दस्तावेजों द्वारा समर्थित, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त न हो।

अंशधारक का नाम	प्रमाण पत्र सं.	विशिष्ट सं. से - तक	अंशों की सं.
श्रीमती शर्मिष्ठा खन्ना	83430 102740	6918330-6918429 11780614-11780638	100 25

सर्वसाधारण को, विशेषकर निवेशकों एवं शेयर ब्रोकरों को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उक्त अंश प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें।

कृते फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(डॉ. खालिद इकबाल खान)
पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 सितम्बर, 2019

सेल्सगर्ल के साथ सामूहिक बलात्कार

इटावा, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

जिले के नेशनल हाइवे पर स्थित एक एजेंसी की सेल्सगर्ल के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने आज दो अज्ञात लोगों ने शाम 7 बजे एजेंसी के सामने खेतों में ले जाकर सेल्सगर्ल के साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया।

जहरीला पदार्थ खाने के बाद एसपी की पत्नी भर्ती

इटावा, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

जिले में तैनात एसपी क्राइम महेश अत्रि की पत्नी पल्लवी चौधरी को जहरीला पदार्थ खाने के कारण सैफई मेडिकल यूनीवसिर्टी में भर्ती कराया गया हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आदेश कुमार ने बताया कि मरीज को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उसकी हालात स्थिर है। जहरीला पदार्थ खाने को लेकर एसपी के परिवार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आशंका है कि पल्लवी चौधरी ने किसी पारिवारिक कलह की वजह से ऐसा किया है।

मेडिकल आफीसर पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस के जरिए पल्लवी चौधरी लाया गया था, जांच में जहरीला पदार्थ सेवन करने की बात सामने आई है। उपचार के बाद भी चौधरी के गर्दन वगैरह में दर्द है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की सुबह करीब दस बजे अत्रि दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे।

इस बीच उनकी चालीस वर्षीय पत्नी पल्लवी की तबियत खराब होने की जानकारी उनके नौकर ने उन्हें दी। इसके बाद आवास के सामने रहने वाले सीओ चकरनगर एसएन वैभव पांडेय घर पर पहुंचे और कार से एसपी की पत्नी को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें सैफई मेडिकल यूनीवर्सिर्टी रेफर कर दिया गया।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
'NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED'
(A Govt. of India Undertaking)
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3 मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700071
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
फोन : 033-2283 1728/ 39 फैक्स : 033-2283740
सीआईएन नं0 : U10200WB1906GOI001713

प्रस्ताव सूचना एनआईसी/आईटी/आरएफपी/
टू फैक्टर ऑथ/ आरएफपी/05/2019 हेतु आग्रह

उपर्युक्त सूचना के संबंध में आरएफपी प्रपत्र शुल्क, न्यूनतम अर्हता मानदंड सहित विस्तृत जानकारी के साथ आरएफपी प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट (www.nationalinsuranceindia.com) से 19 सितंबर, 2019 (पूर्वा. 10.00 बजे) से 26 सितंबर, 2019 (अप. 05.45 बजे) (दोनों दिन समाहित) तक डाउनलोड किए जा सकते हैं। आरएफपी # **दो फैक्टर ऑथेन्टिकेशन साल्यूशन के प्रापण हेतु है।**

CIN-L74899DL1990PLC041790
LT Foods Ltd.
DAAWAT
Regd. Office: Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Center, New Delhi-110 010
Telephone: 0124-3055100, Telefax- 0124-3055199, Email: ir@ltgroup.in
Website: www.ltgroup.in

सूचना
एलटी फूड्स लिमिटेड की 29वीं आम बैठक सूचना का शुद्धिपत्र

उपरोक्त विषय के संदर्भ में एलटी फूड्स लिमिटेड के शेयरधारकों और अन्य शेयरधारकों सूचित किया जाता है कि व्याख्यात्मक विवरण (मद सं. 7, बिन्दु सं. 4) में उल्लिखित मटीरियल संबंधी पार्टी ट्रांजेक्शन की राशि रु. 81,279 लाख के बजाय गलती से रु. 50,810 लाख अंकित हो गई है। आप से निवेदन है कि मतदान करते हुए कृपया इस राशि को रु. 50,810 लाख के बजाय रु. 81,279 लाख पढ़ें।

आदेशानुसार
कृते एलटी फूड्स लि.
हस्ता.
मोनिका चावला जगिया
(कम्पनी सचिव)
सदस्यता सं. F5150

तिथि : 18.09.2019

विधायक को जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज

इटावा, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

जिले की भरथना विधायक सावित्री कठेरिया को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि वधायक को मोाबइल फोन पर धमकी के मामले की जानकारी मिलने पर अनजान व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

जल्दी मोबाइल पर विधायक को जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। विधायक कठेरिया ने आज यहां पत्रकारो को बताया कि मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले ने अपने को विधायक का बेटा कंचन सिंह कह कर फोन किया था।

वह फोन पर गाल गालौज करते हुए अभद्रता करने लगा तो उसको शालीनता से समझाने का प्रयास किया गया इसके बाद भी वह नहीं माना लगातार गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।

Form No INC-19
NOTICE
[Pursuant to rule 22 of Companies (Incorporation) Rules 2014]

1) Notice is hereby given that in pursuance of sub section (4) (ii) of section 8 of Companies Act, 2013, an application has been made by M/s Reimagine Giving Foundation to the Registrar of Companies Uttar Pradesh at Kanpur for revocation of license issued U/S 8 (5) of the Companies Act 2013. After the cancellation of license, the company will be required to add "Private Limited" to its name in place of Foundation.

2) Principal objects of the company after revocation of license as per the provision's U/s 8 (4) (ii) of Companies Act 2013, shall be as follows.

"1. To carry on the business of online shopping, net marketing, Internet advertising and marketing, creating virtual malls, stores, shops, creating shopping catalogues, providing secured payment processing, net commerce solutions for business to business and business to consumers, online trading in and outside India but does not include banking and money circulating business.

3) A copy of the draft memorandum and articles of the proposed company may be seen at Westcott Building, The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh-208001

4) Notice is hereby given that any person, firm, company, corporation or body corporate, objecting to this application may communicate such objection at Registrar of Companies Kanpur, Westcott Building, The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh-208001

Name of Applicant
FOR REIMAGINE GIVING FOUNDATION
ANURUDDH MISHRA
(DIRECTOR)

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ
प्रबन्ध नगर, आई.आई.एम.रोड, लखनऊ-226013 (उ0प्र0)
द्वारा नामांकन आमंत्रण

19वीं एक वर्ष अंशकालिक कार्यकारी अधिकारी हेतु सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम 2019-20 (240 घंटों का शिक्षण, प्रत्येक 9 दिनों के 4 परिसर स्थित मॉड्यूल" के साथ)

जीएमपीई को कार्यरत कार्यकारी अधिकारियों के आगामी करियर परिवर्तन हेतु तैयारी के लिए आवश्यक सहयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम वास्तविक विश्व व्यापारिक प्रचलनों के साथ उन्नत प्रबंधन सिद्धांत, व्यवहारिक कौशल और मात्रात्मक विधियों को जोड़ने का कार्य करेगा।

पूर्ण आवेदन, रु. 2,000/- (गैर-वापसी योग्य) डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी द्वारा देय: "वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एमडीपी), भारतीय प्रबन्ध संस्थान, प्रबंध नगर, आईआईएम मार्ग, लखनऊ-226013" के साथ अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर, 2019 तक भेजना होगा। आवेदन पत्र http://www.iiml.ac.in/executive-education/long-duration-programmes/gmpe से डाउनलोड किया जा सकता है।

विवरण हेतु संपर्क करें: फोन नं.(0522) 6696287,6696288,6696283,6696282,
ईमेल: gmpe19@iiml.ac.in | वेबसाइट: http://www.iiml.ac.in/

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक
मुख्य कार्यालय: मंगलुरु-575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128
परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
8 बी, प्रथम तल, राजेन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060,
फोन/फैक्स: 011-25813466, ई-मेल: delhiarm@ktkbank.com, मो: 9319891680

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत **कर्णाटका बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **23.11.2018** जारी कर ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारन्टरों: (1) **मै. न्यू वर्ल्ड एण्टरप्राईजेज, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पार्टनर्स: i) श्री मोह. समी, ii) श्री मोह. सल्लाउद्दीन, एच.नं. डी. 21/9, गली नं. 5, विजय कॉलोनी, न्यू उस्मानपुर, दिल्ली-110053, 2) श्री मोह. समी, पुत्र श्री मोहम्मद रफी, एच.नं. 1544, गली कोटाना, सूईवालान दरियागंज, दिल्ली-110002, 3) श्री मोह. सल्लाउद्दीन, पुत्र स्व. फूल हुसैन, 33ए, ए4 ब्लॉक, गली-9, चाणक्य प्लेस, पार्ट 1, उत्तम नगर, दिल्ली-110059** को सूचना में वर्णित राशि पीएस ओवर ड्राफ्ट खाता नं. 5617000600003101 के अंतर्गत रु. 2,23,03,631.50 (रुपये दो करोड़ तैईस लाख तीन हजार छः सौ इक्तीस एवं पैसे पचास मात्र) के साथ 1.1.2018 से आगे का ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.09.2019 से उस पर आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ पीएसओवर ड्राफ्ट खाता सं. 5617000600003101 के अंतर्गत रु. 2,56,49,185.30 की राशि के लिये कर्णाटका बैंक लिमिटेड, अशोक विहार शाखा, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

[ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।]

अचल संपत्तियों का विवरण

1. श्री मोह. सल्लाउद्दीन के स्वामित्व में 'डाबरी एक्स्टेंशन' के नाम से विदित कॉलोनी, सीतापुरी के निकट, नई दिल्ली-110045 में ग्राम डाबरी की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 26/19 में आवासीय सम्पत्ति सं. आरजेड-ए-87, माप 200 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी: पूर्व:** 20 फीट चौड़ी सड़क; **पश्चिम:** 10 फीट गली रोड, **उत्तर:** अन्य प्लॉट; **दक्षिण:** अन्य प्लॉट।
2. श्री मोह. सल्लाउद्दीन के स्वामित्व में चाणक्य प्लेस-, ब्लॉक-ए-1, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के नाम से विदित कालोनी की आबादी में ग्राम असालतपुर की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 19/5/1 में आवासीय सम्पत्ति नं. 33ए, माप 128 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी: पूर्व:** 20 फीट चौड़ा रोड; **पश्चिम:** 10 फीट चौड़ी गली, **उत्तर:** प्लॉट का भाग, **दक्षिण:** अन्य प्लॉट।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 13.9.2019

कर्णाटका बैंक लि. के लिये
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

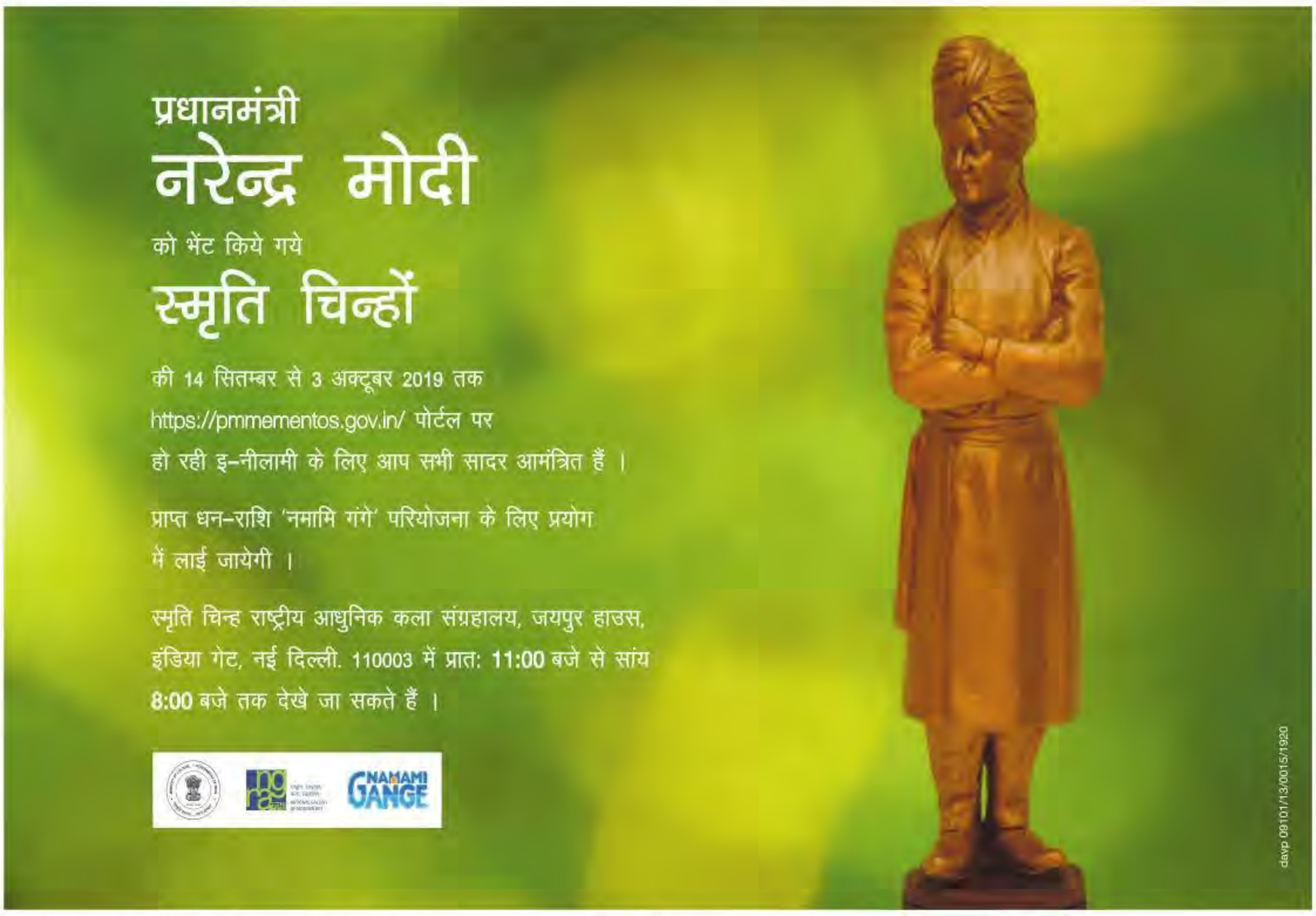

ढाई साल में प्रदेश की दो बार परिक्रमा कर चुके हैं योगी

लखनऊ, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

गोरक्षपीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महज ढाई सालों में उत्तर प्रदेश की दो बार परिक्रमा कर चुके हैं। ऐसा करने वाले वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के दो दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां योगी दस बार पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने हवाई मार्ग से उत्तर प्रदेश में करीब सवा लाख किलोमीटर की यात्रा की। 19 दिसंबर को योगी सरकार अपने ढाई साल पूरे होने पर जश्न मनाने जा रही है। वह प्रदेश की जनता को यह बताने की कोशिश में हैं कि आखिर किस तरह योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों से अलग हैं।

उन्होंने सिर्फ ढाई साल के भीतर उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारने का कारनामा कर दिखाया। इसके पूर्व ऐसा कर पाने के दावे तमाम हुए, लेकिन कोई भी सरकार पांच सालों में पचास हजार करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतार पाने में कामयाब नहीं हो सकी। देश में योगी आदित्यनाथ अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्जवला योजना का अनुपालन करा कर दोनों में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया। अब तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, मेरठ और बुंदेलखण्ड के जिलों की योगी ने दस बार या उससे अधिक यात्राएं कीं। उत्तर प्रदेश के बाकी के बचे हुए जिलों में मुख्यमंत्री कम से कम दो बार पहुंच चुके हैं। औसतन रोज किसी जिले में योगी आदित्यनाथ दौरा करते हैं।

शुरुआत के एक साल में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उन जिलों पर ध्यान केंद्रित किए हैं जो बीमारू थे। इनमें बुंदेलखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां की रोज की प्रगति की वे खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस बाबत उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के छोटे और बड़े सभी अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि वो विकास को ध्यान में रख कर काम करें। उत्तर प्रदेश के तीव्र विकस के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ढाई साल में योगी सरकार की उपलब्धियों की बाबत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर से जूझ रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पहली बार इस जानलेवा बीमारी से लगभग मुक्ति दिला चुकी योगी सरकार ने अब कुपोषण, रक्त की कमी सरीखी बीमारियों से मुक्ति दिलाने की कोशिशें तेज की हैं। साथ ही अयोध्या में राम जन्मोत्सव, मथुरा में रंगोत्सव और प्रयागराज में कुम्भ का आयोजन, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो रहा है। वो कहते हैं, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की छवि मुख्यमंत्रियों के हेड मास्टर की बन गई है। देश के जब मुख्यमंत्री दिल्ली में एकत्र होते हैं तो योगी हर बार इसी भूमिका में नजर आते हैं। अपनी बेदाग छवि और इमानदार प्रयासों से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।

भाजपा ने 17 पिछड़ी जातियों के साथ किया छल : राजभर

बलिया, 17 सितंबर (भाषा)।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राज्य की भाजपा सरकार पर 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के नाम पर छलने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर वाकई इन जातियों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो केंद्र के पास प्रस्ताव भेजकर उसे पारित कराएं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में फायदा लेने के लिए 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का नाटक रचा। उन्होंने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री होते हुए भी आपको यह जानकारी नहीं है कि इस संबंधी प्रस्ताव संसद में पारित होना होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। भाजपा सिर्फ यही चाहती थी कि यह मामला अदालत में जाए और उसने अपने ही एक आदमी गोरखनाथ को खड़ा करके अदालत से रोक लगवा दी, ताकि जनता के बीच जाकर यह कहा जा सके कि भाजपा तो चाहती थी कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करें, लेकिन अदालत ने उस पर रोक लगा दी है। प्रदेश के पूर्व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से कहेंगे कि अगर आप वास्तव में इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार के पास भेजें और सवर्ण आरक्षण की तरह 72 घंटे में इन 17 पिछड़ी जातियों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल करवाएं, तब मैं मानूंगा। नहीं तो हम यही समझेंगे कि आप लोग जुमलेबाजी और झूठ बोलने में माहिर हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों की पार्टी है। अगर मुख्यमंत्री 17 जातियों को हिस्सा देना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार से प्रस्ताव भेजकर लोकसभा और राज्यसभा से पारित क्यों हीं करवा देते, राष्ट्रपति की मुहर क्यों नहीं लगवा देते। तब उसके खिलाफ कोई भी अदालत में नहीं जाता।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की राज्य सरकार की अधिसूचना पर सोमवार को रोक लगा दी थी।

गंगा, यमुना, घाघरा समेत कई नदियों ने लिया रौद्र रूप

मानसून फिर सक्रिय, कई इलाकों पर तेज बारिश के बाद आई बाढ़

लखनऊ, 17 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में फिर शुरू हुई मानसूनी बारिश के सिलसिले और जलभरण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से गंगा, यमुना और घाघरा समेत विभिन्न नदियां जबर्दस्त उफान पर हैं।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी औरैया, कालपी (जालौन), हमीरपुर, चिल्लाघाट (बांदा) और नैनी (प्रयागराज) में खतरे के निशान को पार कर गयी है। वहीं, गंगा नदी गाजीपुर और बलिया में कहर ढा रही है। इन दोनों ही स्थानों पर यह लाल चिह्न से ऊपर बह रही है। साथ ही कचलाब्रिज (बदायूं), फाफामऊ (प्रयागराज), इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी में इसका जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है।

घाघरा नदी एल्गिनब्रिज (बाराबंकी) और अयोध्या में खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि तुर्तीपार (बलिया) में यह इस चिह्न के नजदीक बह रही है। शारदा पलियाकलां (लखीमपुर खीरी) में, वहीं बेतवा नदी सहिजना (हमीरपुर) में लाल निशान के ऊपर बह रही है।

जालौन, बलिया और बांदा समेत बाढ़ प्रभावित विभिन्न इलाकों में अफरा-तफरी का आलम है। सैलाब से प्रभावित गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इस बीच, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है और पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश हुई। इस दौरान कुंडा (प्रतापगढ़) में सबसे ज्यादा 17 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जौनपुर में 15, अतर्रा (बांदा) में 11, बस्ती और डलमउ में नौ-नौ सेंटमीटर बारिश दर्ज की गई।

अगले 48 घंटे के दौरान भी राज्य के पूर्वी भागों में ज्यादातर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है।

प्रयागराज में मंगलवार को गंगा के पानी में डूबे मकान।

गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर

गाजीपुर, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

जिले में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर बह रही है। इस समय एक सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। शाम 5 बजे 63.920 मीटर दर्ज किया गया। जो खतरे के बिंदु से एक मीटर के लगभग ऊपर पहुंचने वाला है।

जिले में पिछले दो दिनों से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। जब तीन बांधों और एक बैराज से 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंगा नदी के पानी में खतरनाक बढ़ोतरी के कारण जिले में बहने वाली सहायक नदियों का पानी निचले इलाकों में फैल कर तबाही मचाने लगा है। गंगा नदी का पानी करंडा तालुका के दर्जनों गांव में फैल गया है। महाबलपुर, गद्दो गाड़ा, दीनापुर, तुलसीपुर में गांगी का पानी तबाही मचा रहा है तो गजाधरपुर, गोपालपुर, रामपुर आदि गांव में गंगा नदी का पानी खेत में भर गया है।

गाजीपुर, मोहम्मदाबाद व जमानिया तहसील के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। जिन गांव और खेतों में पानी बाढ़ का पानी तांडव कर रहा है वहां के लोगों को रतजगा करना पड़ रहा है। सबसे भीषण समस्या पशुओं को चारा उपलब्ध कराने की खड़ी हो गई है। जिले की समस्त बाढ़ चौकियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। जिलाधिकारी के बालाजी का कहना है कि सभी उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को आदेश दिया गया है कि वह बराबर चक्रमण कर बाढ़ का जायजा लेते रहे। यह प्रयास रहे की जनहानि किसी भी कीमत पर ना हो। रातभर बढ़ाव जारी रहा तो गाजीपुर नगर के पूर्वी मोहल्ले में नालों के जरिए पानी भर जाएगा। बरसात होने से भी लोग डरे हुए हैं।

युवती ने फांसी लगाई

उन्नाव, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

अजगैन कोतवाली अंतर्गत नवाबगंज के वार्ड नंबर सात में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का फांसी के फंदे पर लटकता शव पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज कस्बे में मदारी खेड़ा निवासी लक्ष्मी ने फंदे से लटककर संदिग्ध स्थिति में जान दे दी। परिजनों ने बताया कि महिला के पति सुरेंद्र ने उसे मोबाइल पर किसी पुरुष मित्र से बात करने से मना किया था। इसके बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

1800 पेटी शराब बरामद : जिले की स्वाट टीम और थाना सोहरामऊ पुलिस ने दो अलग-अलग ट्रकों में अंग्रेजी व देशी शराब की 1800 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक एमपी वर्मा ने बताया कि गुरमेल सिंह पुत्र जसबीर सिंह निवासी बड़ा वी पोस्ट व थाना खरड़ जिला यस यस नगर मोहाली पंजाब व दीपक बड़ेला पुत्र गौरी लाल बटाला निवासी पीपल वाला थाना समय पुर बादली दिल्ली को पकड़ा गया है। इन दोनों ने बताया कि राजू दुजाना गिरोह के लिए काम करते हैं।

पति के सामने शिक्षिका से लूटी चेन

शाहजहांपुर, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

बाइक सवार लुटेरों ने चाकू के बल पर शिक्षिका से सोने की चेन लूट ली। शिक्षिका के पति ने बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन बाइक पर पीछे बैठा बदमाश उन्हें चाकू दिखाकर भाग गया।

चौक कोतवाली क्षेत्र में बरेली मोड़ स्थित साउथ सिटी कॉलोनी निवासी मुकुल श्रीवास्तव सुदामा प्रसाद इंटर कॉलेज रेती में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्नी चितवन श्रीवास्तव रोशनगंज स्थित चित्रगुप्त जूनियर हाईस्कूल में शिक्षिका हैं। मुकुल श्रीवास्तव सुबह करीब पौने आठ बजे स्कूटी से पत्नी को स्कूल में छोड़ने के लिए गेट पर रुके थे। तभी केरूगंज की तरफ से बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने उनकी स्कूटी के पास अपनी बाइक रोक ली और चाकू दिखाकर चितवन श्रीवास्तव के गले से सोने की चेन लूट ली। चेन लूटने के बाद दोनों युवक बेरी चौकी तरफ बाइक लेकर भागे। मुकुल श्रीवास्तव ने स्कूटी से उनका पीछा भी किया लेकिन पीछे बैठा हुआ लुटेरा उन्हें चाकू दिखाकर डराते हुए भाग गया। बेरी चौकी के बाद दोनों बाइक लेकर कहीं गायब हो गए। पुलिस ने जांच पड़ताल की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के पुलिस ने फुटेज खंगाले है। पुलिस को फुटेज से कुछ सुराग भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक 25 से 30 वर्ष की उम्र के हैं। बाइक चला रहे युवक ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। जबकि पीछे बैठे हुए युवक का मुंह खुला हुआ था।

टेंपो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत : तिलहर नगर के हाइवे तिराहे पर बाइक और टेंपो की हुई टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सीएससी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद चालक टेंपो सहित फरार हो गया। कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी 25 वर्षीय संतराम बाइक से सुबह करीब 10 बजे गांव से तिलहर दवाई लेने निकला था। दोपहर करीब 12 बजे संतराम की बाइक नगर चौराहे से सवारियां लेकर शाहजहांपुर के लिए जा रहे टेंपो से टकरा गई। इस घटना में संतराम बाइक सहित सड़क पर गिर गया जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। बाइक उसके ऊपर गिर जाने से गरम साइलेंसर उसके सीने से छू गया जिससे उसका सीना भी जल गया। लोगों ने तत्काल उसे सीएचसी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने संतराम को मृत घोषित कर दिया।

भीम आर्मी के जेल भरो आंदोलन में 190 लोग ने दी गिरफ्तारी

सहारनपुर, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

भीम आर्मी का जेल भरो आंदोलन मंगलवार को फुस्स हो गया। कुल 190 कार्यकर्ताओं ही जिलाधिकारी कार्यालय गिरफ्तारी देने पहुंचे। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि 10 सितंबर को बाबा साहब आंबेडकर की घुन्ना गांव में तोड़ी गई प्रतिमा के विरोध में रास्ता जाम और पथराव को लेकर पुलिस ने देहात कोतवाली में 104 नामजद और 750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। नामजदगी में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया का नाम भी था। झूठी नामजदगी के विरोध में भीम आर्मी ने कल एलान किया था कि उनके हजारों कार्यकर्ताओं जिला कलेक्टेट पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां देंगे।

एडीएम प्रशासन श्याम बहादुर सिंह की ओर से कहा गया था कि जिले में सीआरपीसी की धारा 144 घोषित है। जो कोई भी उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर नगर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर पुलिस ने आज कड़ी चौकसी बरती। शहर में कई स्थानों पर बेरिकेटिंग लगाई गई और पीएसी, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस बल सहित 800 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। लेकिन आज कुल मिलाकर 200 लोग भी गिरफ्तारी देने नहीं निकल पाए। कलेक्टेट पर पहुंचे दलित वर्ग के लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में बने अस्थाई कारागार में ले गई। जहां शाम को सभी को रिहा कर दिया गया।

राजकीय यूनिवर्सिटी की देवबंद में स्थापना की उम्मीद बढ़ी: राज्य सरकार के जरिए घोषित राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना देवबंद में होने की उम्मीद बढ़ गई है। अभियान समिति के संयोजक अशोक गुप्ता ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर संजय कुमार से मिलकर देवबंद में यूनिवर्सिटी के लिए भूमि उपलब्ध होने का प्रस्ताव सौंपा है। अशोक गुप्ता ने बताया कि देवबंद में नेशनल हाइवे पर गांव सांखनकलां के पास सवा दो सौ बीघा जमीन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते सहारनपुर आगमन पर गंगौह में घोषणा की थी कि जिला प्रशासन जितनी जल्दी और जहां भी भूमि उपलब्ध करा देगा, तत्काल राज्य सरकार वहां यूनिवर्सिटी की स्थापना की प्रक्रिया तेजी के साथ प्रारंभ कर देगी। देवबंद में यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग के समर्थन में मुजफ्फरनगर के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री विजय कश्यप, देवबंद के विधायक कुंवर बृजेश रावत, भाजपा के पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल आदि ने मांगपत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

इकबाल अंसारी पर मामला दर्ज करने का आदेश

अयोध्या, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

बाबरी मस्जिद के मुद्दई स्वर्गीय हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी के खिलाफ निशानेबाज वर्तिका सिंह की याचिका पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश थाना राम जन्मभूमि के थानाध्यक्ष को दिया है। उन्होंने कहा है कि मुकदमा दर्ज करके तीन दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराया जाए। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वर्तिका सिंह ने धारा 156/3 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, फैजाबाद न्यायालय में ये याचिका दायर की थी। उन्होंने देशद्रोह और कई अन्य मामलों को लेकर ये याचिका दायर की थी।

तीन सिबंतर को वर्तिका सिंह इकबाल अंसारी के घर पहुंची थीं। जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया था। मामले में इकबाल अंसारी ने वर्तिका सिंह के खिलाफ राम जन्म भूमि थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने वर्तिका सिंह को हिरासत में लेकर लखनऊ भेजा था। मामले में वर्तिका सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील संगीता सिंह पैरवी कर रही हैं। मामले में इकबाल अंसारी के अनुसार वो अयोध्या में अपने घर पर थे। यहां एक महिला और एक पुरुष उनसे मिलने आए थे।

महिला ने उनके गनर को बताया कि वो वतिर्का सिंह हैं। इकबाल अंसारी का कहना है कि इसके बाद महिला और पुरुष से उनकी बातचीत शुरू हुई। इस दौरान वर्तिका सिंह अचानक उग्र हो गईं और हाथापाई पर उतारू हो गईं।

इस दौरान इकबाल अंसारी के सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव किया और मामले की जानकारी थाना राम जन्मभूमि को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची महिला पुलिस वर्तिका सिंह को अपने साथ ले गई। अभी तक पुलिस पूछताछ और जांच की बात कह रही है। उधर इकबाल अंसारी ने वर्तिका सिंह के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। इकबाल अंसारी के अनुसार एक महिला और एक पुरुष उनसे मिलने आए। बात-बात में वो उनसे हाथापाई पर उतर आए। इकबाल अंसारी के अनुसार जिस तरह से उन पर हमला हुआ है, उन्हें लगता है कि उनकी जान को खतरा है।

भारत बनेगा विश्व गुरु : महेंद्रनाथ

चंदौली, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय की अगुआई में चंदौली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर देश विश्व गुरु बन जाएगा। भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के जरिए देश के लिए किए गए विभिन्न कार्यों और मुख्य योजनाओं के बड़े- बड़े पोस्टर लगाए गए। मंत्री ने मुख्यालय से सटे एक बनबासी बस्ती मधुबन में चिकित्सकीय शिविर का निरीक्षण किया।

कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष, सर्वेश कुशवाहा, महामंत्री अभिमन्यु सिंह, सूर्यमुनि तिवारी, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष जीतेंद्र पांडेय और उपाध्यक्ष सौरभचंद्र के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सुल्तानपुर में दस हजार पौधे रोपे

सुल्तानपुर, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

सांसद मेनका गांधी की अगुआई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69 वें जन्मदिवस पर कमला नेहरू शिक्षण संस्थान के फरीदपुर परिसर में दस हजार पौधे रोपे गए। इस अवसर पर मेनका ने कहा की उनकी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वह जिले की ओर से उन्हें एक बड़ा तोहफा दें। कहा कि इसी तर्ज पर हर वर्ष उनके निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नमो वन की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा की यह देश का पहला नमोवन है।

इससे पूर्व मेनका ने कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान मेले में एक हजार पौधौं का वितरण किया। उन्होंने बल्दीराय के गनापुर गांव में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सौ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बांटे फल

बुलंदशहर,17 सितंबर (जनसत्ता)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के रखरखाव व सफाई व्यवस्था आदि का मुआयना किया। मंजू दिलेर ने बताया कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पर्व के रूप में मना रहे हैं। इस के तहत कार्यकर्ता अस्पतालों में फल बांट रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कराया जा रहा है। मंजू ने बताया कि वह भी इसी के तहत यहां आई हैं। उन्होंने पहले मरीजों को फल बांटे फिर मरीजों की समस्याएं सुनीं और उनका निदान कराया।

फर्जी प्रमाणपत्रों पर नौकरी कर रहे दो शिक्षक बर्खास्त

गोण्डा, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

बेसिक शिक्षा विभाग ने दूसरे के अभिलेख पर नौकरी कर रहे दो शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने बताया कि दो शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। दोनों शिक्षकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही दोनों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने का आदेश सबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही पूर्व में सेवा से बर्खास्त किए गए 58 शिक्षकों से वसूली की तैयारी शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े से नौकरी लेने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने फिर दो लोगों की सेवाएं समाप्त कर दिया है। कार्रवाई के दायरे में आए बस्ती जनपद के पडरौना निवासी नर्वदा चंद्र जिले के छपिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कमरपुर में 23 जनवरी 1998 को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। पदोन्नति के बाद 6 अक्तूबर 2007 को प्राथमिक विद्यालय वासुदेवपुर ग्रंट में प्रधानाध्यापक के पद तैनाती दी गई थी।

इनके बारे में महराजगंज जनपद में कार्यरत शिक्षक नर्वदा चंद्र नाम के व्यक्ति ने शिकायत भेजी कि टीडीएस कटौती 87575 रुपए होने का मैसेज मिला तो पता चला कि उनके नाम पर गोंडा में भी एक शिक्षक कार्यरत है। बीएसए ने इसकी शिकायत पर जांच कराई तो पता चला 6 सितंबर 2019 से प्रधानाध्यापक स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया और 13 सितंबर 2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। शिक्षक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा शिकोहाबाद के स्वामीनगर रेलवे स्टेशन निवासी सुनील सिंह की सहायक अध्यापक के पद नियुक्ति 27 सितंबर 2016 में प्राथमिक विद्यालय पूरे रामदास ब्लॉक बेलसर में हुई थी। नियुक्ति के समय प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। इन्होंने निवास प्रमाण पत्र ही फर्जी लगा रखा था।

आवेदन पत्र में संलग्न निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन में फिरोजाबाद के जितेंद्र सिंह के नाम से मिला, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र फिरोजाबाद के जसरना की अंजू के नाम से मिला। दूसरे नाम से प्रमाण पत्र लगाने के मामले पर जवाब मांगा गया लेकिन कोई संतोष जनक जवाब नही दे पाए। इससे सुनील सिंह को बर्खास्त कर दिया गया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने बताया खंड शिक्षा अधिकारी छपिया व बेलसर को निर्देश दिया गया है कि दोनों शिक्षकों के विरुद्ध थाने में एफआइआर दर्ज कराएं। इसके अलावा दोनों शिक्षकों को निर्देश दिया है कि अब तक मिले वेतन व भत्तों को तत्काल राजकोष में जमा कर दें। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने पूर्व में बर्खास्त किए गए 58 शिक्षकों से वेतन रिकवरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त एवं लेखाधिकारी से अब तक किए गए भुगतान का ब्योरा मांगा है।

प्रधानाध्यापिका से रसोइयों ने की मारपीट

कुशीनगर, 17 सितंबर (जनसत्ता)।

जिले में काम से हटाए जाने से खफा दो रसोइयों ने मंगलवार को ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंची और प्रधानाध्यापिका के साथ मारपीट की।

उन्होंने प्रधानाध्यापिका का कालर पकड़ कर सड़क पर भी घुमाया। सूचना पर पहुंचे शिक्षक नेताओं और पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों ने गरीब परिवार की दोनों रसोइयों को गलत तरीके से हटाने का आरोप लगाया है। मामला रामकोला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मेहदीगंज का है।

सूत्रों के मुताबिक विद्यालय की रसोइया आशा व सिरजावती को 10 दिन पहले काम से हटा दिया गया था। इसे बात को लेकर रसोइयों व हेडमास्टर साधना सिंह के बीच विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे दोनों रसोइया स्कूल में भोजन बनाने पहुंचीं।

आरोप के अनुसार प्रधानाध्यापिका ने उन्हें देखते ही भड़क गईं और गाली देते हुए स्कूल से बाहर निकालने लगीं। शोर सुनकर गांव के तमाम लोग स्कूल पहुंच गए। उनका कहना था कि रसोइया के चयन व निष्कासन का अधिकार ग्राम प्रधान को है। दोनों रसोइयों को गलत तरीके से निकाला गया है। इस बात को लेकर कहासुनी होने लगी। इसी दौरान महिलाओं ने प्रधानाध्यापिका से मारपीट की और कालर पकड़कर सड़क पर घुमाया। घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है।

इस संबंध में एसओ संजय कुमार मिश्र का कहना है कि रसोइयों की ओर से तहरीर मिली है। विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। छानबीन कर केस दर्ज किया जाएगा।

प्रधानाध्यापिक साधना सिंह ने बताया कि दोनों रसोइया पपउर गांव की रहने वाली हैं। इन्हें विद्यालय प्रबंध समिति की संस्तुति पर हटाया गया है। इनकी जगह मेंहदीगंज की महिलाओं को रखा गया है। सोमवार सुबह इनके साथ पहुंचे लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में एके गुप्ता बीईओ ने बताया कि मामले से वरिष्ठ अफसरों को अवगत करा दिया गया है। मामले की जांच होगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यात्री ट्रेन में अब लगेंगे सिर्फ बिजली इंजन

• हटाए जाएंगे डीजल इंजन, हर ट्रेन में लगेगा एक अतिरिक्त कोच

• दिव्यांग के लिए होगा विशेष कोच, सामान्य सीटों की संख्या बढ़ेगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

देशभर में यात्री ट्रेन में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन का प्रयोग होगा और हर ट्रेन में एक दिव्यांग विशेष कोच लगाया जाएगा। इस तकनीक की मदद से जहां एक तरफ प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी, वहीं यात्रियों के लिए भी अतिरिक्त सीट उपलब्ध होंगी। सदस्य (रोलिंग स्टॉक) रेलवे बोर्ड राजेश अग्रवाल ने बताया कि मंत्रालय ने गाड़ियों को 20 साल बाद डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब तक 342 ट्रेन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदला गया है।

रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर यह पहल की है। नई तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हर ट्रेन में दिव्यांगों के लिए एक विशेष कोच उपलब्ध होगा। इसमें दिव्यांग अपने सहायक के साथ सफर कर सकेंगे। ये कोच विशेषतौर पर दिव्यांगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं। इनमें कॉरिडोर काफी चौड़ा रखा गया है और शौचालयों में भी दिव्यांगों की परेशानियों का ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के लिए भी इस कोच में सीट उपलब्ध रहेंगी। अतिरिक्त कोच में सामान्य श्रेणी की सीट व पार्सल आदि की जगह भी बढ़ जाएगी। 284 राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, संपर्क क्रांति, हम सफर व अन्य मेल-एक्सप्रेस ट्रेन दिसंबर अंत तक इस तकनीक से जुड़ जाएंगी। मंत्रालय के मुताबित नई तकनीक की मदद से करीब 1400 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह बचत डीजल प्रयोग बंद होने, पार्सल के लिए जगह बनने से होगी।

इस कदम को प्रदूषण के मद्देनजर भी काफी अहम माना जा रहा है। इसकी मदद से 1724.6 टन प्रतिवर्ष कार्बन डाईआक्साइड, 7.28 टन प्रति वर्ष नाइट्रोजन आक्साइड की मात्रा में कमी लाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त एसपीएम, स्मोक व प्रदूषण आदि से राहत होगी। वर्तमान व्यवस्था में हर ट्रेन में 500 केवीए क्षमता के दो जनरेटर लगाए जाते हैं। इनसे ही ट्रेन चलाई जाती है लेकिन नई व्यवस्था में हर ट्रेन में एक जनरेटर कार की जगह समाप्त हो जाएगी, इसकी जगह एक विशेष कोच ले लेगा।

अब तक ये ट्रेन जुड़ी है तकनीक से

ट्रेन	संख्या
राजधानी	13
शताब्दी	14
दुरंतो	11
संपर्क क्रांति	06
हम सफर	282

- 20 साल बाद दिव्यांगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
- सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए अतिरिक्त 31 सीट जुड़ेंगी
- पार्सल कोच के लिए भी अधिक जगह उपलब्ध होगी
- ध्वनि प्रदूषण में 105 डीबी घटकर शून्य रह जाएगा
- डीजल खपत खत्म होने से 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत होगी
- अभी 22 रुपए प्रति यूनिट खर्च करता है रेलवे, नई तकनीक में खर्च 6 रुपए प्रति यूनिट होगा
- साल 700 मीट्रिक टन कार्बन-नाइट्रेजन तत्वों की मात्रा में कमी आएगी

आपकी मांग पर चलेगी रेलगाड़ी, नहीं होगी कोई 'वेटिंग'

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रेलवे अलगे चार साल में दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर मांग के आधार पर यात्री रेलगाड़ी चला सकेगी, जो प्रतीक्षा सूची के झंझट से मुक्त होगी। समर्पित माल गलियारे (डीएफसी) के 2021 तक बनने के बाद ऐसा हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि इन दो मार्गों पर समर्पित माल गलियारे का निर्माण 2021 तक पूरा होने से मालगाड़ियां मौजूदा रेललाइनों से हट जाएंगी, जिससे उन पर अधिक यात्री रेलगाड़ियां चलाई जा सकेंगी। उन्होंने बताया, 'जब इन दो मार्गों पर डीएफसी का काम पूरा हो जाएगा, तो दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा की मौजूदा लाइनों से मालगाड़ियां पूरी तरह हट जाएंगी। तब हम मांग पर यात्री गाड़ियां चला सकेंगे। इस रूट पर (रेलगाड़ियों की गति) बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने को पहले ही मंजूरी मिल गई है और ये काम अगले चार साल में पूरा हो जाएगा।'

यादव ने कहा, 'इसलिए अगले चार साल में मालभाड़ा और यात्री रेलगाड़ियां मांग के आधार पर चला सकेंगे और इसका अर्थ है कि हम आवागमन की जरूरतें पूरी कर सकेंगे। इन मार्गों पर अगले चार साल के अंदर कोई प्रतीक्षा नहीं होगी।' उन्होंने कहा कि उत्तर-दक्षिण (दिल्ली-चेन्नई), पूर्व-पश्चिम (मुंबई-हावड़ा) और खड़गपुर-विजयवाड़ा समर्पित माल गलियारे पर काम चल रहा है और अगले एक साल के भीतर लोकेशन सर्वे का काम पूरा हो जाएगा।

उन्होंने बताया, 'ये डीएफसी करीब 6,000 किलोमीटर लंबे होंगे और इन्हें अगले 10 साल में पूरा किया जाएगा। जब ये काम हो जाएगा, हमारे पास बहुत अधिक क्षमता होगी और हम कई रेलगाड़ियां चला सकेंगे।' यादव ने कहा, 'इसलिए समय के साथ हमारे पास इतनी अधिक क्षमता होगी कि हम निजी संचालकों को भी शामिल कर सकते हैं और उत्पादन इकाइयों का निगमितीकरण भी किया जा सकता है। ताकि देश में 160 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले आधुनिक डिब्बे उपलब्ध हो सकें और साथ ही हम उनका निर्यात भी कर सकें।'

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमएम शांतानागौडर ने मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। विधायकों ने अयोग्य ठहराने के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति शांतानागौडर, न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे। उन्होंने शुरुआत में ही कहा- इस मामले (की सुनवाई) में, मैं शामिल नहीं हो रहा हूं। पीठ ने सुनवाई की तारीख 23 सितंबर तय की है।

इससे पहले अदालत ने विधायकों की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने संबंधी कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था और पूछा था कि इसकी क्या जल्दी है और याचिकाएं सूची के अनुसार ही सुनवाई के लिए आएंगी। विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने उन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था जिनकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की जद (सेकु)-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई थी। कुमारस्वामी विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी क्रम में वहां पर बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनी थी। अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

सीआरपीएफ में होगी कैडर समीक्षा

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 2.37 लाख जवान और उप-अधिकारी सरकार द्वारा की जाने वाली अब तक की पहली कैडर समीक्षा से लाभान्वित होंगे। मंगलवार को जारी एक आदेश में यह बात कही गई।

पूर्व संवासिनी के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में चार गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर बालिकागृह मामला

- पुलिस ने कहा, पूछताछ में आरोपियों ने अपराध करने की बात स्वीकारी

बेतिया/पटना, 17 सितंबर (भाषा)।

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में नगर थानाक्षेत्र में इंदिरा चौक के समीप मुजफ्फरपुर बालिकागृह की एक पूर्व संवासिनी के साथ चलते वाहन में कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को बताया कि उक्त मामले के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की स्वीकारोक्ति के आधार एक अन्य गैर नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध किए जाने की बात स्वीकार की है।

जितेंद्र ने बताया कि एफएसएल टीम ने जांच नमूने एकत्रित किए हैं और अपराध अनुसंधान विभाग की टीम को भी जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी और पीड़िता की पहले से जान पहचान थी और उनके बीच बातचीत भी होती रही है।

पश्चिम चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम आकाश कुमार, साजन कुमार, कुंदन कुमार और अंशु कुमार हैं। इनमें से आकाश और साजन सगे भाई हैं, बाकी अन्य दो आरोपी पीड़िता के जानने वाले हैं। पीड़िता को गत शनिवार देर शाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मेडिकल जांच रविवार को डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई। इसमें कोई बाहरी और अंदरूनी जख्म की पुष्टि नहीं हुई है।

जितेंद्र ने बताया कि पीड़िता मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मिली थी और उसे एक साल पहले मई महीने में मुजफ्फरपुर बालिकागृह में रखा गया था और वहां से सात दिन बाद पटना जिले के मोकामा स्थित बालिकागृह हस्तांतरित कर दिया गया था। उसके परिवार के अनुरोध पर उसे जुलाई 2018 में वहां से छोड़ा गया और तबसे वह अपने परिवार के साथ रह रही है।

पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया की निवासी उक्त युवती की शिकायत पर उसे महिला थाने के संरक्षण में इलाज के लिए शनिवार देर शाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रविवार को मेडिकल जांच डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि शुक्रवार रात जब वह अपने मोहल्ले से गुजर रही थी तभी एक चार पहिया वाहन में सवार चार युवकों ने उसे अपनी गाड़ी में खींचकर जबरन बैठा लिया और चलती गाड़ी में उसके साथ बलात्कार किया।

पिछले साल मुजफ्फरपुर स्थित एक बालिकागृह में 34 लड़कियों के यौन शोषण का मामला प्रकाश में आने पर गत वर्ष 26 जुलाई को राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआइ जांच के लिए सौंप दिया था।

कोयंबटूर दोहरा हत्याकांड में मौत की सजा पर रोक लगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोयंबटूर दोहरे हत्याकांड के दोषी की मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी। बलात्कार और दोहरे हत्याकांड के इस अपराधी को सुनाए गए मृत्यु दंड की सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले महीने पुष्टि कर दी थी और 20 सितंबर को उसकी मौत की सजा पर अमल होना था। न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने शीर्ष अदालत के एक अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मनोहरन की मौत की सजा के अमल पर रोक लगाई।

मनोहरन की वकील ने दलील दी कि वे इस मामले में बहस करने से पहले निचली अदालत में रखे इस मुकदमे के रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहती हैं। पीठ ने दोषी की वकील को अंतिम अवसर देते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें इस मामले में 16 अक्तूबर को बहस करनी होगी क्योंकि यह मौत की सजा से संबंधित मामला है। दोषी की वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले में सात वकील बदले गए जिसकी वजह से निचली अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक दोषी का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ।

शीर्ष अदालत ने पिछले महीने ही एक के मुकाबले दो के बहुमत से मनोहरन की मौत की सजा की पुष्टि की थी। मनोहरन को एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करने और उसके व उसके छोटे भाई की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
धारूहेरा, सोहना रोड, एनएच-2, रेवाड़ी जिला धारूहेरा, हरियाणा-123106

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)
[अधिनियम-नियम 8(1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 6.6.2019 जारी कर ऋणधारक(कों) दिनेश बूट हाउस एवं गारन्टर श्री तेज सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 12,10,792.59 (रुपये बारह लाख दस हजार सात सौ बानवे एवं पैसे उन्सठ मात्र) तथा उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **आज, 12 सितम्बर, 2019** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.05.2019 को रु. 12,10,792.59 (रुपये बारह लाख दस हजार सात सौ बानवे एवं पैसे उन्सठ मात्र) तथा उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि, 01.06.2019 से, के लिये सिंडिकेट बैंक, धारूहेरा, सोहना रोड एनएच-2, रेवाड़ी जिला धारूहेरा, हरियाणा-123106 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

जयपाल, पुत्र दियाकिशन के स्वामित्व में धारूहेरा में भूमि एवं भवन
चौहद्दीः पूर्वः 17 फीट रास्ता आम, **पश्चिमः** 20 फीट चौड़ा प्रा. रास्ता
पूर्वः जयपाल सिंह का मकान, **दक्षिणः** सूरत सिंह का मकान

तिथिः 18.9.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः धारूहेरा — सिंडिकेट बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
बीओः वृहत्त कॉर्पोरेट शाखा, टॉल्स्टॉय हाउस, टॉल्स्टॉय रोड, नई दिल्ली-110001
फोनः 23311654, 23752604, फैक्सः 23323480, ईमेलः bo2164@pnb.co.in

ऋणधारक/ गारन्टरों/ नान-ग्रुप कॉर्पोरेट गारन्टर (रों)/ ग्रुप कॉर्पोरेट गारन्टर (रों) के लिये कारण बताओ सूचना

मै. सुप्रीम बसई भिवाडी टोलवेज प्रा. लिमिटेड, 903-905, टावर बी, 9वाँ तल, मिलेनियम प्लाजा, सेक्टर-27, गुड़गाँव-122002
श्री विक्रम बी शर्मा, शर्मा बिल्डिंग, लेक कैशल बिल्डिंग के पीछे, हीरानंदानी कॉम्प्लैक्स, पोवई, मुम्बई-400076

विषयः बैंक में मै. सुप्रीम बसई भिवाडी टोलवेज प्रा. लिमिटेड की ऋण खाता में ''विलफुल'' के रूप में डिफॉल्ट की पहचान- तदनुसार ''विलफुल डिफॉल्टर्स'' के रूप में आपके नाम का उद्घाटन तथा प्रकाशन

कृपया, हमारी सूचना तिथि 3.4.2019 एवं 10.6.2019 देखें जिसके माध्यम से हमने ऋण खाता में विलफुल डिफॉल्ट की घटना (ओं) का उल्लेख किया था। आप ने पत्र तिथि निल के माध्यम से विलफुल डिफॉल्ट की घटना (ओं) पर प्रतिनिधित्व किया था। हमारी ओर से उसकी समीक्षा की गई, लेकिन आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला।

मामले के तथ्यों को विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति के समक्ष रखा गया जिसने मामले के तथ्यों, अभिलेख पर साक्ष्य तथा आपके द्वारा की गई प्रतिनिधित्व के अध्ययन के उपरान्त यह पाया है कि आपके द्वारा इस मामले में जानबूझकर डिफॉल्ट की गई है।

तदनुसार, बैंक द्वारा स्थापित ''विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति'' ने अन्य बातों के अलावे निम्न कारणों से आप (ऋणधारक) एवं निदेशकों/ पार्टनरों/ आदि को ''विलफुल डिफॉल्टर'' के रूप में वर्गीकृत करने के लिये विलफुल के रूप में डिफॉल्ट की पहचान की है।

निधियों का दुष्प्रयोग
निधियों का साइफनिंगः

यदि ''विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति'' के निष्कर्ष से आप स्वयं को आहत महसूश कर रहे हों तो यदि आप चाहें, ''विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति'' के पास आपना स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं तथा यह कारण बता सकते हैं कि क्यों न आपको ''विलफुल डिफॉल्टर'' के रूप में वर्गीकृत किया जाय। आपका स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाना चाहिये तथा उसे डाक के पते अर्थात् उप महा प्रबंधक, एसएएसटीआरए प्रभाग, 3रा तल, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के पास भेजा जा सकता है।

यदि हमें आपका स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपनी प्रतिरक्षा में (''विलफुल डिफॉल्टर्स'' पर समिति के निष्कर्ष के विरुद्ध) कुछ नहीं कहना है तथा बैंक जो भी उपयुक्त समझे अपनी सम्प्रभु स्वेच्छा से उस प्रक्रिया तथा उस माध्यम से भा.रि.बैं./ सीआईबीआईएल/ अन्य साख सूचना कम्पनियों के लिये आपकी कम्पनी/ फर्म/ यूनिट तथा आपके निदेशक/कों/ पार्टनर/रों/ प्रॉपाइटर का नाम ''विलफुल डिफॉल्टर्स'' के रूप में प्रकाशित करेगा।

तिथिः 17.9.2019, स्थानः नई दिल्ली — शाखा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN No.: L20211CH1991PLC011732
एससीओ 14, सेक्टर 7-सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019
Tel: 0172-5021555, Email: cs@stylam.com, Website: www.stylam.com

28 वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का संवर्धन

यह चंडीगढ़, क्लब लिमिटेड, सेक्टर-1, चंडीगढ़ में सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाने के लिये निर्धारित कम्पनी के शेयरधारकों की 28वीं वार्षिक साधारण सभा के आमंत्रण के लिये शेयरधारकों को भेजी गई सूचना तिथि 26.8.2019 के संदर्भ में है। यह एजीएम सूचना उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उपयुक्त अनुपालन में कम्पनी के सभी शेयरधारकों को पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई है।

10.9.2019 को कम्पनी के निदेशक मंडल से श्री आशुतोष प्रदीप सरदेसाई (DIN:07860331) के नामांकन वापस लेने तथा लाइटहाउस ईमर्जिंग इंडिया इन्वेस्टर्स लिमिटेड, कम्पनी में एक विदेशी निवेशक की सिफारिश पर 16.9.2019 को स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में श्री सचिन कुमार भरतिया (DIN:02122147) की नियुक्ति के कारण कम्पनी को श्री सचिन कुमार भरतिया (DIN:02122147) की कम्पनी के नॉमिनी निदेशक की उम्मीदवारी की स्वीकृति के साथ 27 जून, 2019 को आयोजित कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक में नॉमिनी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये कम्पनी के नामिनी निदेशक के रूप में श्री आशुतोष प्रदीप सरदेसाई (DIN:07860331) की उम्मीदवारी की स्वीकृति के लिये सूचना में मद सं. 11 को विस्थापित करना पड़ा।

तदनुसार, कम्पनी ने 28वें एजीएम की सूचना के लिये संवर्धन में मद सं. 11 को विस्थापित कर 28वें एजीएम की सूचना को संशोधित किया है। एजीएम की सूचना का यह संवर्धन कम्पनी के शेयरधारकों के लिये प्रसारित की गई सूचना तिथि 26.8.2019 का एक अभिन्न भाग होगा।

उनकी जानकारी तथा आवश्यकता कार्रवाई के लिये बीएसई तथा लिंकइन्टाइम की वेबसाईट पर एजीएम की सूचना में उपरोक्त संवर्धन को अद्यतन करने के लिये कम्पनी आवश्यक कार्रवाई करेगी। सदस्यों तथा अन्य स्टेकधारकों से अनुरोध है कि इस संवर्धन के साथ एजीएम की सूचना को पढ़ें।

भेजी गई ई-वोटिंग से संबंधित सभी प्रक्रियाऐं, टिप्पणियाँ, निर्देशों तथा जो आगामी 28वीं एजीएम के लिये लागू हैं, वे 28वें एजीएम की सूचना के इस संबर्धन में प्रस्तावित प्रस्ताव के लिये ई-वोटिंग के लिये उसी रूप में लागू रहेंगे। पुनः आगामी 28वें एजीएम के लिये नियुक्त पर्यवेक्षक 28वें एजीएम की सूचना में इस संवर्धन में प्रस्तावित प्रस्ताव के लिये पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

28वें एजीएम की सूचना का उक्त संवर्धन कम्पनी की वेबसाईट www.stylam.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थानः चंडीगढ़ — जतिन
तिथिः 16.9.2019 — कम्पनी सचिव

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, 114-116, प्रथम तल, कम्पोनेंट हाउस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001 फोन - 011-42143976 ई-मेलः cb587@corpbank.co.in, वेबसाइटः www.corpbank.com

नियम-8(1) के अन्तर्गत भौतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत कार्पोरेशन बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **मैसर्स माँ सरस्वती एजुकेशन सोसायटी अध्यक्ष / सचिव / कैशियर और गारंटर 1. श्री राधेश्याम पुत्र श्री बेग राज 2. श्री तुमेश चंद पुत्र श्री बेग राज 3. श्रीमती बरखा रानी पत्नी श्री तुमेश चंद 4. श्री शिव कुमार पुत्र श्री राधेश्याम और 5. श्रीमती भाग्यवती देवी पत्नी श्री राधेश्याम** को एक मांग सूचना दिनांक 11.08.2016 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु 10,07,82,543.10 (रु. दस करोड़ सात लाख ब्यासी हजार पाँच सौ तैंतालीस और पैसे दस मात्र), दिनांक 11.08.2016 तक प्लस अर्जित ब्याज / अवास्तविक ब्याज साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, और आकस्मिक खर्चे, इत्यादि सहित अदायगी की तिथि तक** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता / गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का **कब्जा,** उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **13 सितम्बर, 2019** को लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **कार्पोरेशन बैंक, आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, 114-116, प्रथम तल, कम्पोनेंट हाउस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001** द्वारा उल्लेखित राशि **रु 10,07,82,543.10 (रु. दस करोड़ सात लाख ब्यासी हजार पाँच सौ तैंतालीस और पैसे दस मात्र), दिनांक 11.08.2016 तक प्लस अर्जित ब्याज / अवास्तविक ब्याज साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, और आकस्मिक खर्चे, इत्यादि सहित अदायगी की तिथि तक।**

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

साम्यिक बंधक भूमि एवं भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें खसरा नं. **45/16, 25/1, 46/19/2/2,20/2,21/1,22/1, 65/1/2, 10,11,66/5/2,6,7,8, 13** से **18** और के एच नं. **65/2/1/2,2/2,3/1/2/1/2, 9/1, 9/2** कलानौर खुर्द के रेवेन्यू ईस्टेट के अंतर्गत, जिला रोहतक, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स माँ सरस्वती एजुकेशन सोसायटी के नाम पर है (2) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कम्प्यूटर और एसी फर्नीचर और फिक्चर्स और इंटीरियर, लैब उपकरण का हाइपोथिकेशन

दिनांकः 13.09.2019, स्थानः कलानौर — प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF REIL ELECTRICALS INDIA LIMITED
CIN: L31909TG1973PLC015448)
Corporate & Registered Office: No.8-2-409, Road No.6, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana- 500 034,
Tel No: +91 40-23354833, Website: www.reilindia.com, Email: cs@reilindia.com,
Contact Person: Mrs. Girija Rampalli, Company Secretary.

This Public announcement **("Exit Offer PA")** is issued in accordance with Securities and Exchange Board of India **(Delisting of Equity Shares)** Regulations, 2009, as amended ("Delisting Regulations") by Karvy Investor Services Limited, Manager to the Exit Offer on behalf of **Mr Bhupinder Singh Sahney**, represented by Promoter & Promoter Group / Acquirers (on his behalf and on behalf of B S Real Estate Ventures Private Limited (Formerly known as "Bhupinder Investment Company Private Limited")), Ms Brijween Kaur Sahney, Ms Jasmine Sahney Pillai, Ms Anjana Sahney Thakker, Ms Ambita Sahney and Ms Deepika Sahney) **(hereinafter collectively referred to as Acquirers of REIL Electricals India Limited)** in respect of voluntary delisting of the equity shares of Rs.10/- each of REIL Electricals India Limited **("Company"/"REIL")** from BSE Limited **("BSE")**. This Exit Offer PA is in continuation to and should be read in conjunction with the public announcement published on February 26, 2019 **("PA")** and Exit Offer Letter dated May 17, 2019 **("Exit Offer Letter")**.

Capitalised terms used but not defined in this Exit Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the PA, Exit Offer Letter and the Exit Offer Final Letter (As defined below).

1. Intimation of date of delisting

Pursuant to the delisting offer made by the Acquirers to the public shareholders of the Company, the Company has applied to BSE on August 05, 2019 to delist the Equity Shares of the Company from BSE.

BSE, vide its notice no. 20190917-11 dated September 17, 2019 has communicated that the trading in equity shares of the Company will be discontinued with effect from September 24, 2019 and the equity shares of the Company will be delisted from BSE records with effect from October 01, 2019 **("Date of delisting")**.

Delisting of the Equity Shares means the Equity Shares cannot and will not be traded on the BSE.

2. Outstanding Equity Shares after Delisting

In accordance with regulation 27(1) of the Delisting Regulations and pursuant to SEBI Order No. SEBI/WTM/GM/CFD/ 88 /2018-19 dated February 04, 2019 (hereinafter referred to as "Order"/"SEBI Order")and as communicated earlier in the Exit Offer Letter, the remaining Public Shareholders of the Company who did not or were not able to participate in the Delisting Offer or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the Delisting Offer will be able to offer their Equity Shares to the Acquirers at a price of Rs.45/- per Equity Share **("Exit Price")** for a period of two years starting from the Date of Delisting i.e. from October 01, 2019 to September 30, 2021 **("Exit Period")**.

3. Procedure for tendering your Equity Shares under the Exit Offer:

a)Procedure for Residual Public Shareholders holding Equity Shares in Dematerialised Form:

The Residual Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form who are desirous of tendering their Equity Shares in the Exit Offer, must transfer their equity shares from their respective depository accounts to the following Escrow Depository Account in **off- market mode:**

Special Depository Account Name	**REIL - DELISTING EXIT OFFER - ESCROW DEMAT ACCOUNT**
Name of the Depository Participant	**KARVY STOCK BROKING LIMITED**
Name of the Depository	**National Securities Depository Limited (NSDL)**
Depository Participant	**Identification Number IN300394**
Client Identification Number	**20014061**
ISIN Number	**INE814K01015**

Residual Public Shareholders who hold their equity shares through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will have to execute inter-depository delivery instructions for the purpose of crediting their equity shares in favour of the aforesaid Escrow Depository Account.

On transferring the shares, Residual Public Shareholders are advised to send a copy of the delivery instruction slip duly acknowledged by the concerned depository together with duly completed, signed **"Exit Offer Final Application Form"** and other applicable documents by hand delivery or by registered post or by speed post or by courier (at their own risk)marking the envelope **"REIL Electricals India Limited –Exit Offer"** at the address of Registrar as mentioned below

b) Procedure for dematerialization of the Physical Shares:

The Residual Public Share holders holding Equity Shares in physical form, who are desirous of tendering their Equity Shares in the Exit Offer must convert their physical shares into dematerialization form by submitting the physical shares to their respective Depository Participants where the shareholder holds demat account to enable the Depository Participant to forward the same to the Registrar to the Company for further process. Once the physical shares are converted into demat form, the Residual Public Shareholder should follow the same procedure as enumerated in the above paragraph a) to tender the shares during the exit offer period of two years

The offer letter **("Exit Offer Final Letter")** in this regard shall be provided to the remaining Public Shareholders whose names appear in the register of members of the Company as on September 20, 2019 **("Residual Shareholders")**. In the event of any Residual Shareholders not receiving, or misplacing their Exit Offer Final Letter, they may obtain a copy by writing to the Registrar to the Offer i.e. **"Aarthi Consultants Private Limited,** located at D.No: 1-2-285, Domalguda, Hyderabad, Telangana - 500 029" Telephone: 91 40-27634445, 27642217, 66611921, Fax: 91 40-27632184 E-mail: info@aarthiconsultants.com Website: www.aarthiconsultants.com Contact Person: Mr Bhaskar Murthy, clearly marking on the envelope **"REIL Electricals India Limited-Exit Offer"**. However, all public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares of the Company are eligible to participate in the Exit Period. Further, the soft copy of the application form can be downloaded from the website of the Registrar to the Offer i.e. www.aarthiconsultants.com

4. Payment of consideration to Public/Residual Shareholders

Subject to any regulatory approvals as may be required, the Acquirers intend to make payments on a monthly basis, within 10 working days of the end of the relevant calendar month **("Monthly Payment Cycle")**. Payments will be made only to those Public/Residual Shareholders who have validly tendered their Equity Shares, as per the instructions laid out in the Exit Offer Final Letter together with the application form **("Final Exit Application Form")**. The first Monthly Payment Cycle shall commence from November 15, 2019 for equity shares validly tendered upto October 31, 2019.

All other terms and conditions set forth in the PA and Exit Offer Letter shall remain unchanged

All queries may be directed to the Registrar to the Company or the Manager to the Offer

This Exit Offer PA is issued on behalf of the Acquirers by Manager to the Offer

MANAGER TO THE OFFER:	COMPLIANCE OFFICER OF THE COMPANY:	REGISTRAR TO THE COMPANY:
Karvy Investor Services Limited **Registered Office:** Plot No.31, 8th Floor, Karvy Millennium Nanakramguda, Financial District, Gachibowli, Hyderabad, Telangana, 500 032 **Telephone** : +91 40 23428774 / 23312454 / 33216840-33216844, **Fax:** +91 40 23374714 **Email ID** :cmg@karvy.com **Website**: www.karvyinvestmentbanking.com	Ms Girija Rampalli Designation : Company Secretary REIL Electricals India Limited No.8-2-409, Road No.6, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana, 500 034 Tel: 040-23354833- 47, Fax: 040-23354833 **Email:** cs@reilindia.com, **Website** : www.reilindia.com	**Aarthi Consultants Private Limited,** 1-2-285, Domalguda, Hyderabad,Telangana, 500 029 **Telephone:** +91 40 27638111 27634445 **Fax number:** +91 40 2763 2184 **Email ID:** info@aarthiconsultants.com **Website** : www.aarthiconsultants.com

Date: September 17, 2019
Place: Hyderabad

For and on behalf of Acquirers
Sd/-
Bhupinder Singh Sahney

जनसत्ता

18 सितंबर, 2019

घाटी के हालात

कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कदम से यह उम्मीद बंधती है कि घाटी के जिलों में जनजीवन जल्द पटरी पर लौटेगा। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन जो कहा है वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पीठ ने कुछ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रहित को देखते हुए सरकार को ऐसे कदम तत्काल उठाने चाहिए, जिनसे जनजीवन सामान्य हो सके। पिछले महीने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से राज्य में बनी स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रोजाना खबरें आ रही हैं और टीवी चैनलों की रिपोर्टों में भी देखने को मिल रहा है कि घाटी में सब बंद जैसा ही है। पूरा क्षेत्र एक तरह से कैदखाने में तब्दील हो चुका है। घाटी में लंबे समय से संचार सेवाएं ठप-सी हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। काम-धंधे भी बंद हैं। स्कूल खुल नहीं रहे। सड़कों पर फौज और सुरक्षा बल चप्पे-चप्पे पर गश्त दे रहे हैं। अखबार छप तो रहे हैं, लेकिन जबर्दस्त प्रतिबंधों के बीच। ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि घाटी में सब कुछ सामान्य नहीं है। इन्हीं हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त घाटी के हालात संवेदनशील हैं। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते वक्त सरकार को शायद इस बात का अंदाजा था कि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही पूरी घाटी में चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे और संचार साधनों, जैसे लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, टीवी चैनलों का प्रसारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन सच यह है कि इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में पाबंदियों के बारे में जो याचिकाएं दायर की गई थीं, उनमें खासतौर से इन्हीं मुद्दों को उठाया गया था। हालांकि सरकार के दावे शिकायतों के उलट हैं। सर्वोच्च अदालत में इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जो जवाब पेश किए गए, उनसे तो यही लगता है कि घाटी में सब कुछ सामान्य है। सबसे चौंकाने वाली बात उस याचिका में आई, जिसमें कहा गया था कि जरूरतमंद लोग जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश को यह कहना पड़ा कि अगर ऐसे हालात हैं तो वे खुद कश्मीर जा सकते हैं।

यह भी सच है कि कश्मीर घाटी में सरकार के लिए कोई एक चुनौती नहीं है। उसके लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की ओर से है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी फौज बड़ी संख्या में आतंकवादियों को कश्मीर में घुसपैठ करा कर हालात बिगाड़ने की साजिश रच रही है। पाकिस्तान ने युद्ध जैसे हालात बना रखे हैं और रोजाना युद्ध की धमकियां दे रहा है। फिर केंद्र सरकार को यह भी डर है कि अगर सारी पाबंदियां हटा ली गईं तो अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के विरोध में उसे स्थानीय लोगों के हिंसक विरोध का सामना कर पड़ सकता है और आतंकवादी इसका पूरा फायदा उठाएंगे। श्रीनगर में चौबीस से ज्यादा आतंकवादी तो खुलेआम घूमने की बात खुद वहां के पुलिस प्रमुख ने मानी है। यह सही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और होनी भी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि आम नागरिकों को हालात की कीमत न चुकानी पड़े।

संवेदनहीन सरकार

पिछले साल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जब एक बालिका गृह में चौंतीस लड़कियों के बलात्कार और उन पर अत्याचार का मामला सामने आया था, तो यह समूचे देश में चिंता का विषय बना था। समूची घटना के जिस तरह के ब्योरे उजागर हुए थे, उससे स्वाभाविक ही यह सवाल उठा था कि क्या किसी राज्य की सरकार इस कदर संवेदनहीन हो सकती है कि पहले ही मजबूरी और लाचारी की हालत में जी रही छोटी-छोटी बच्चियों पर अत्याचार की घटनाओं के प्रति आंखें मूंदे रहे! विडंबना यह है कि न तो पहले बिहार सरकार ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी समझा, न मामले के सामने आने के बाद उसे संवेदनशील होने और जिम्मेदारी निबाहने की जरूरत लगी। हालत यह है कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में जिस बच्ची के खिलाफ लंबे समय तक यौन हिंसा हुई थी, उसे एक बार फिर बलात्कार का दंश झेलना पड़ा। खबरों के मुताबिक, बेतिया में जब वह सड़क से गुजर रही थी तो चार लोगों ने उसे जबरन कार में खींच लिया और चलती गाड़ी में उससे सामूहिक बलात्कार किया। यह अपने आप में झकझोर देने वाली घटना है कि लंबे समय तक जिस यातना से गुजर कर पीड़ित लड़की किसी तरह से एक जगह से मुक्त हो सकी थी, बाहर आने के बाद उसे फिर उसी अपराध का सामना करना पड़ा।

सवाल है कि राज्य सरकार और उसके शासन-तंत्र को क्या अपनी इस जिम्मेवारी का अहसास है कि पीड़ित लड़की के खिलाफ हुए अपराध उसकी लापरवाही का नतीजा हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को उचित ही बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। पिछले साल जिन हालात में पीड़ित लड़की को मुजफ्फरपुर बालिका गृह से निकाला गया था, उसमें उसकी सुरक्षा, संरक्षण और उसे इंसाफ दिलाने की जवाबदेही किसकी है? बालिका गृह में लंबे समय से उतनी बड़ी तादाद में बच्चियों को कई तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ रहा था तो वह किसकी अनदेखी का नतीजा था? जहां ऐसे आश्रय गृहों की नियमित जांच और उसमें गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वहां अगर एक स्वतंत्र संस्थान- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सोशल ऑडिट के लिए नहीं पहुंचता तो शायद यह मामला और लंबे वक्त तक दबा रहता। क्या ऐसा इसलिए होता रहा कि इस समूचे प्रकरण में शामिल लोग ऊंचे कद के हैं और उनकी खासी राजनीतिक पैठ है? आखिर किन वजहों से सरकार ने इसके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नरम रवैया अख्तियार किया था?

इस लिहाज से देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यह टिप्पणी अपने आप में हालत बताने के लिए काफी है कि बलात्कार पीड़िता राज्य सरकार की बेपरवाही की पीड़ित बन गई है; लड़की को दो बार बलात्कार का शिकार बनाया जाना बिहार में अराजकता का संकेत देता है और अपराधी कानून से बेखौफ खुल कर अपनी इच्छानुसार जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल मामले के उजागर होने के बाद राज्य सरकार को काफी तल्ख सवालों का सामना करना पड़ा था। मगर हैरानी की बात यह है कि उसके बाद भी सरकार को संवेनदशीलता और आरोपियों के खिलाफ सख्ती बरतना जरूरी नहीं लगा। अब अगर बालिका गृह में पहले ही बलात्कार और यातना झेल चुकी लड़की को दुबारा उसी त्रासदी का सामना करना पड़ा है तो उसकी जवाबदेही किस पर आएगी?

कल्पमेधा

उड़ने के बजाय जब झुकते हैं, तब बुद्धि के ज्यादा पास होते हैं।
– वर्ड्सवर्थ

ऊर्जा की कूटनीति

संजीव पांडेय

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन प्रेम के कारण भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा है। ओली चीन के करीबी हैं। वे लगातार यह जताने की कोशिश करते रहे कि भारत नेपाल को अपना उपनिवेश समझता है, अब नेपाल भारत से बराबरी के स्तर पर संबंधों को निर्धारित करेगा। ओली लगातार भारत को दबाव में लेने की कोशिश करते रहे। वे लगातार चीन से नजदीकियां दिखाते रहे। ओली ने चीन से पेट्रोलियम आयात की योजनाएं भी बनाईं, ताकि भारत से तेल आयात की निर्भरता से धीरे-धीरे मुक्ति पाई जा सके।

नेपाल-भारत के बीच हाल में शुरू हुई तेल पाइप लाइन दक्षिण एशिया के कई देशों के लिए सुखद संदेश है। यह पाइप लाइन दक्षिण एशिया की पहली तेल पाइप लाइन है जो दो मुल्कों को आपस में जोड़ रही है। इसका आर्थिक महत्त्व निश्चित तौर पर नेपाल के लिए है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत-नेपाल तेल पाइप लाइन के दूरगामी असर दक्षिण एशिया के कई मुल्कों पर पड़ेगा। ऊर्जा संकट से जूझ रहे दक्षिण एशिया के कई देशों को तेल और गैस की जरूरत है। भारत-नेपाल तेल पाइप लाइन का उद्घाटन उस समय हुआ है, जब भारत और नेपाल के आपसी संबंध अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। इसलिए तेल पाइप लाइन का महत्त्व और बढ़ गया है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों मुल्कों के बीच संबंधों में आई खटास में इस तेल पाइप लाइन से कमी आएगी। इससे दक्षिण एशिया के कई देशों को आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ऊर्जा मिलेगी। दक्षिण एशिया में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए कई देश तेल और गैस पाइप लाइन निर्माण की योजनाएं तो काफी पहले बना चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें तेजी नहीं आई। जबकि दक्षिण एशिया में ऊर्जा की समस्या दूर करने के लिए पाइप लाइनों को होना जरूरी है।

भारत और नेपाल के बीच यह तेल पाइप लाइन बिहार के मोतिहारी को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ती है। लगभग सड़सठ किलोमीटर लंबी इस पाइप लाइन का छत्तीस किलोमीटर का हिस्सा नेपाल में है। इस पाइप लाइन से भारत नेपाल को प्रतिवर्ष बीस लाख टन तेल भेजेगा। हालांकि भारत भी ऊर्जा को लेकर आयात पर निर्भर है। भारत भी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात दूसरे मुल्कों से ही करता है। लेकिन तेल को लेकर नेपाल पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, क्योंकि नेपाल के पास अपना कोई बंदरगाह तो है नहीं। नेपाल के लिए तेल आयात का एकमात्र रास्ता भारत ही है। भारत अपने तेल शोधक कारखाने से तेल नेपाल को भेजता है। नेपाल को अभी तक बिहार के बरौनी से सड़क मार्ग के जरिए ही तेल पहुंचाया जाता है। अब नेपाल को पाइप लाइन से तेल भेजा जाएगा। इससे रास्ते में तेल आपूर्ति में आने वाली कई अड़चनें भी दूर होंगी। गौरतलब है कि नेपाल में मधेसियों के आंदोलन के दौरान सड़क मार्ग से तेल आपूर्ति में खासी दिक्कतें आई थीं।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन प्रेम के कारण भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा है। ओली चीन के करीबी हैं। वे लगातार यह जताने की कोशिश करते रहे कि भारत नेपाल को अपना उपनिवेश समझता है, अब नेपाल भारत से बराबरी के स्तर पर संबंधों को निर्धारित करेगा। ओली लगातार भारत को दबाव में लेने की कोशिश करते रहे। वे लगातार चीन से नजदीकियां दिखाते रहे। ओली ने चीन से पेट्रोलियम आयात की योजनाएं भी बनाईं, ताकि भारत से तेल आयात की निर्भरता से धीरे-धीरे मुक्ति पाई जा सके। हालांकि ओली ने भारत-नेपाल तेल पाइप लाइन उद्घाटन के वक्त भारत-नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया। लेकिन इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल में इस समय सबसे ज्यादा चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। चीन नेपाल में ढांचागत क्षेत्र में भारी निवेश कर चुका है। ओली चीन के कितने नजदीक जा चुके हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि ओली ने ढाई अरब डालर के लागत से बनने वाली बुधी गंडकी पनबिजली योजना का जिम्मा दुबारा चीन को दे दिया। पहले भी यह परियोजना चीन को मिली थी, लेकिन बाद में चीनी कंपनी को मिले ठेके को रद्द कर दिया गया था। ओली ने सत्ता में आने के बाद फिर बुधी गंडकी पनबिजली योजना चीन के हवाले कर दिया।

चीन नेपाल में रेललाइन, आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू कर चुका है। चीन ने नेपाल में सड़क और हवाई अड्डे निर्माण में भी निवेश किया है। नेपाल में चीनी पर्यटकों की आवक काफी बढ़ी है, नेपाल के स्कूलों में चीनी भाषा सिखाई जा रही है। चीन और नेपाल की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुकी है। चीन नेपाल को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। हालांकि नेपाल में चीन का निवेश चीन की अपनी मजबूरी भी है। चीनी कंपनियों को निवेश के लिए नए इलाके की तलाश है। चीनी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए। नेपाल में चीन का निवेश चीन की वैश्विक और एशियाई आर्थिक नीति का हिस्सा है।

रिकार्ड समय में बनाई गई भारत-नेपाल तेल पाइप लाइन अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के लिए अच्छा संदेश है। पिछले कई सालों से तापी (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) गैस पाइप लाइन परियोजना अधर में ही लटकी है। यह पाइप लाइन भारत में पंजाब के फाजिल्का शहर तक प्रस्तावित है। हालांकि इस पाइप लाइन का तुर्कमेनिस्तान की सीमा में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन कई कारणों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाइप लाइन निर्माण का काम नहीं के बराबर है। हालांकि इस गैस पाइप लाइन का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान और भारत को मिलने वाला है। दोनों मुल्कों को इस बात का इंतजार है कि कब अफगानिस्तान में शांति आए और तापी पाइप लाइन का काम तेजी से शुरू हो। लेकिन मौजूदा हालात तापी गैस लाइन के हक में नहीं हैं। आज जो हालत तापी गैस पाइप लाइन की है, वही हाल प्रस्तावित ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइप लाइन की है। 1995 में इस गैस पाइप लाइन पर विचार शुरू हुआ था। 1999 में भारत भी इससे जुड़ने को तैयार हो गया। हालांकि पाकिस्तान और ईरान के बीच गैस पाइप लाइन निर्माण पर पूर्ण सहमति 2009 में बन गई थी और ईरान-पाकिस्तान के बीच गैस पाइप लाइन निर्माण का काम शुरू भी हो गया था। लेकिन 2013 में काम रुक गया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि तब तक ईरान अपनी सीमा में गैस पाइप लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा कर चुका था। 2013 में पाकिस्तानी सीमा में गैस पाइप लाइन का काम शुरू हुआ था इस बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस कारण पाकिस्तान को अपने इलाके में गैस पाइप लाइन का निर्माण कार्य रोकना पड़ा। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच हुए परमाणु करार होने के बाद 2017 में पाकिस्तान ने एक बार फिर गैस पाइप लाइन निर्माण का काम शुरू किया। लेकिन अमेरिका ने 2018 में फिर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इसके बाद फिर से पाकिस्तान ने गैस पाइप लाइन निर्माण का काम रोक दिया।

ओली इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि सिर्फ चीन के सहारे नेपाल नहीं चल सकता है। चीन और नेपाल का संबंध तिब्बत के रास्ते है, जहां की भौगोलिक स्थिति बहुत दुर्गम है। इसी साल जून में चीन-नेपाल रेलवे सहयोग समिति की बैठक हुई थी, जिसमें चीनी रेल विशेषज्ञों ने नेपाल के प्रतिनिधियों को स्पष्ट बताया था कि तिब्बत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रेल लाइन के काम शुरू करने से पहले अभी और अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि खतरनाक भूकंप क्षेत्र से प्रस्तावित रेलवे लाइन को गुजरना है। इसलिए रेल लाइन निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद से ओली के सुर बदले हैं। चीन से नेपाल को सुगम आयात को लेकर भी कई चुनौतियां हैं। नेपाल-तिब्बत के सीमाई इलाके में भारी बर्फ पड़ती है। इससे साल में कुछ महीने व्यापार में भारी परेशानी आएगी। उस सूरत में पेट्रोलियम और दवाइयां जैसी जरूरी चीजों के लिए नेपाल चीन पर ज्यादा समय तक निर्भर नहीं रह सकता।

हाशिये पर विवेक

कुमार विजय

दुनिया मेरे आगे

चोरी गए बच्चे किनके थे या ऐसे बच्चे कहां से गायब हुए? चुराए गए या गुम हुए बच्चों के बारे में पहले की तरह चिंता क्यों नहीं जताई जा रही या यह बहस का विषय क्यों नहीं बन रहीं? ऐसे सवाल मन में उठना लाजिमी है। खासतौर पर तब, जब सोशल मीडिया के ताकतवर अंग- वाट्सऐप पर लगातार बच्चा-चोर गिरोहों की सूचनाएं तैर रही हों, जिनके शिकार वे तमाम निरीह और कमजोर लोग बनाए जा रहे हों, जिन्हें शहरों में पहचानने वाले लोग बमुश्किल हों। जाहिर है, ऐसे अजनबी और रोजी-रोजगार की तलाश में अपना गांव-घर छोड़ कर शहरों की ओर निकले बेसहारा भूखे-प्यासे लोगों को भला कोई क्यों पहचानने लगा! यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब खून के रिश्ते के बहुत निकट के परिजन दादा-दादी और पिता बताए जाने पर भी लोग मानने और पहचानने को तैयार न हों, तो भला ऐसी अविवेकी भीड़ को क्या कहेंगे!

मामले का एक दिलचस्प पहलू यह है कि बच्चा-चोरी की अफवाहों को लेकर गली-मुहल्लों में भी खूब रस लेकर चर्चा में मशगूल लोगों से अगर आप पूछिए कि क्या इस दौरान किसी के बच्चे के चोरी होने या लापता होने की ऐसी खबरें मीडिया में आपने देखी हैं तो उन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जाहिर है जाने-अनजाने ऐसे लोग भी अफवाहों को हवा ही देते हैं, जिससे उन अभिभावकों की भी चिंता बढ़ती है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं।

बहरहाल, अभी तक यही माना जा रहा था कि यह बेरोजगार ऊबे और पूरी तरह बेकार खाली बैठे कस्बाई नौजवानों का अपनी ऊब मिटाने और 'साहस' जीने का एक शगल हो सकता है, जैसा कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन देश के अलग-अलग राज्यों के शहरों-कस्बों में जितनी तेजी से ये घटनाएं घट रही हैं, उनका चलन काफी कुछ भीड़-हिंसा की तरह रहा है। पहले बहाना गाय बनी थी, अब निरीह बच्चे बन रहे हैं। लेकिन इसकी चिंता किसी को है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में तो एक ही दिन छह शहरों में ऐसी घटनाएं हुईं। पुलिस प्रशासन अब जाकर हरकत में आया है कि किसी संदिग्ध बच्चा चोर के पाए जाने पर कानून अपने हाथ में न लें, पुलिस को सूचित करें। कई जगह यह भी हुआ है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं तो कुछ मामलों में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अच्छी बात है। लेकिन वाट्सऐप के उन अफवाह वीरों का क्या? क्या उन पर भी कोई कार्रवाई वांछित हो सकती है? कुछ निषेधात्मक कदम उठाए जा सकते हैं? उन पर कोई साइबर कानून लागू हो सकते हैं? अगर हां, तो अब बिना देर किए इन्हें लागू किया जाना चाहिए।

हाल में कुछ दिलचस्प घटनाएं घटी हैं। चंदौली के नौगढ़ में पहले कुछ ग्रामीणों ने दो विक्षिप्त युवकों को बच्चा चोर समझ कर पीटा और फिर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों विक्षिप्त घर से भटके थे। दोनों में एक बीस साल पहले घर से निकला हरदोई का दिनेश था तो दूसरा बलिया से बारह साल पहले भटका बीरबल। इनके मिल जाने पर, जाहिर है परिजन खुश हो गए और इसे कुदरत का करिश्मा माना। यहां तक तो ठीक। लेकिन उन्हें निरपराध पीटने वाले ग्रामीणों का क्या हुआ?

अक्सर खबरों में बताया गया है कि ऐसी घटनाओं के शिकार अमूमन वे लोग हो रहे हैं, जो देखने में दीन-हीन और विक्षिप्त लगते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, जो बिना कुछ जाने-समझे इन्हें पीट रहे हैं? कहीं हम एक अवसादग्रस्त समाज तो नहीं बनते जा रहे हैं?

कुछ समय पहले एक घटना सोनभद्र में घटी, जिसमें अपनी छोटी बच्ची को गोद से उतार कर गाड़ी में बिठाते हुए एक पिता बच्चा चोर का शोर मचा कर पीटा गया। गनीमत यह थी कि उसी क्षेत्र में रहने वाले उस 'भाग्यशाली' पिता को कुछ लोग पहचानते थे। इस तरह वह आगे की और पिटाई से बच गया। मगर मामले में एक नया कोण यह उपस्थित हुआ कि पिता को चोर बता कर पीटने की पहल करने वाले दंपति पड़ोस के ही गांव के थे, जिनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पिता ने पुलिस को तहरीर दी। जाहिर है, यह घटना किसी रंजिश या साजिश का नतीजा भी हो सकती है।

यानी ऐसी घटनाएं अब नए मोड़ ले रही हैं। आगे कैसे-कैसे और कितने कोण जुड़ सकते हैं, इसकी कल्पना भी भयावह हो सकती है। इसलिए इन्हें महज युवाओं के खालीपन या ऊब मिटाने के 'साहस' का शगल मान कर उपेक्षा करना घातक होगा। दूसरी ओर उपेक्षित और निरीह किस्म के लोगों के प्रति समाज को भी थोड़ा संवेदनशील बनना होगा। मौके पर हस्तक्षेप की पहल करनी होगी। आवश्यक होने पर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पुलिस को सूचना देनी होगी, तभी हम एक संवेदनशील समाज बन सकेंगे और ऐसी हवा-हवाई बहानों का शिकार बनने वाले मासूम लोगों को शायद बचा भी पाएंगे। किसी जिम्मेदार समाज के लिए यह जरूरी भी है।

कैसा लोकतंत्र?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसका स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा से वंचित होते जा रहे हैं। या फिर, लोकतंत्र के नाम पर भारत देश एक उदाहरण मात्र बन कर रह गया है। इस लोकतांत्रिक देश में हमने वोट देने और सरकार चुनने का अधिकार तो अपनाया है, लेकिन बावजूद इसके आज भी हमने जाति, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव पाया है। इतना ही नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक को दबाया जा रहा है। देश के लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित होने के इतने सालों बाद भी, क्यों आज भारतीय लोकतंत्र खतरे में पड़ता चला जा रहा है? या हम लोकतंत्र की परिभाषा भूल गए हैं या हमारा देश जनतंत्र से पुनः राजतंत्र के रास्ते पर बढ़ता नजर आ रहा है?

● *ललित कुमार प्रजापति, आंबेडकर नगर, उप्र*

लोकतंत्र और सवाल

पूरे विश्व में पंद्रह सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों के पास यह अधिकार है कि वह अपनी सरकार को निष्पक्ष रूप से चुन सके। परंतु आज इक्कीसवीं सदी में आमजन के जहन में इस लोकतंत्र की परिभाषा पूर्ण रूप से बदल चुकी है और इस बदलाव का प्रकाश मतों के समय में नजर आता है जब समाज के हिस्से के कुछ ही लोग अपनी सराकर को चुनने के लिए लाइनों में लगे होते हैं। आज लोगों के लिए लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ यही है कि नारेबाजी करना, धरना देकर अपनी बात मनवाना या फिर किसी स्थान को बंद घोषित कर देना। क्या हमारे एतिहासिक पन्नों पर लोकतंत्र की परिभाषा यही थी? जबकि लोगों को आज इसके बारे में और भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी बात मनवाने का जरिया है लोकतंत्र, जबकि लोकतंत्र तो एक जरिया है अपने समाज और अपने देश के लिए एक सही सरकार चुनने का। लेकिन लोग इस परिभाषा से भटक कर लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

● *जानवी बिट्टल, जलंधर*

मंदी की मार

भारत को अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना शायद मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि मंदी का आलम ये है कि भारत में प्रस्तावित निवेश पिछले चौदह वर्षों के निम्नतम स्तर पर है। पिछले साल आरबीआइ द्वारा चार बार कुल मिला कर एक फीसद के आसपास ब्याज दरों को कम किया गया है, फिर भी निवेश दर में कुछ खास असर नही पड़ा है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि ने इस वित्त वर्ष के लिए लगभग सात फीसद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, लेकिन वृद्धि दर अभी तो पांच फीसद के आसपास ही है, क्योंकि जिन आंकड़ों के माध्यम से इन्होंने ये अनुमान लगाया था, वे सरकार द्वारा केवल संगठित क्षेत्र के डाटा के हिसाब से था। यदि हम किसी देश की वित्तीय स्थिति को समझना चाहते हैं तो हमें संगठित व असंगठित क्षेत्र दोनों का समेकित अध्ययन करना होगा। असंगठित क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग पैंतालीस फीसद का योगदान देता है और इसी क्षेत्र की लगभग चौरानवे फीसद नौकरियां हैं। इनमें से ज्यादातर नौकरियां नोटबंदी और जीएसटी के बेहतर ढंग से क्रियान्वित नहीं होने से चली गईं। आज मंदी के दौर में इस क्षेत्र के रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। सरकार को इस क्षेत्र की हालत सुधारने पर ध्यान देने की जरूरत है।

● *अरविंद पांडेय, सिद्धार्थनगर, उप्र*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बदहाल विश्वविद्यालय

बिहार के ज्यादातर विश्वविद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इस वजह से आज राज्य के लिए शैक्षणिक पिछड़ापन सबसे बड़ी समस्या है। सरकार परंपरागत के साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा तो दे रही है, पर शिक्षा के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता और लापरवाही नौजवानों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। हालत यह है कि उचित शिक्षा नीति का अभाव, शिक्षकों की नियुक्ति में देरी और अराजकता के माहौल ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर डाला है। राजभवन में होने वाली बैठकों में परीक्षा, परिणाम और वर्ग संचालन पर निर्देश जारी होता है, पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के स्वतंत्र शिक्षण कार्य जैसे मसलों पर सभी मौन हो जाते हैं।

राज्य में हर साल लाखों नौजवान अपना भविष्य संवारने कॉलेजों में आते हैं, पर वहां योग्य शिक्षकों की घोर कमी और समुचित व्यवस्था का अभाव उनको खुद के साथ छल होने का अहसास कराता है। योग्य शिक्षक नहीं मिलने की वजह से उच्च शिक्षा के लिए छात्र राज्य से बाहर जाने को मजबूर होते हैं। यह शर्म की बात है। बदहाली का आलम यह है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए शिक्षकों के सृजित पदों में भी लगभग पैंसठ फीसद पद खाली हैं। यह स्थिति तब है जब हाल में बिहार लोक सेवा आयोग सहायक शिक्षकों की नियुक्ति कर चुका है।

● *संत जी, पटना विवि, पटना*

प्लास्टिक में उलझी जिंदगी

प्लास्टिक की खोज निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि रही है। प्लास्टिक ने जिंदगी के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा तो घरों में रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक थैलियां समस्या बन गई हैं। प्लास्टिक की रोकथाम पर सरकार की सख्ती देख रोजगार सहित प्लास्टिक के विकल्पों को लेकर शोर होने लगा। एक बार इस्तेमाल होने वाला यानी सिंगल यूज प्लास्टिक की व्याख्या से पुलिसिया खौफ तक लोगों को सता रहा है। सवाल तो यह है कि खुले तेल या कोई तरल खरीदने के लिए जहां प्लास्टिक बोतलें ही आसान विकल्प हों और प्लास्टिक रैपरों में दवाइयां खरीदनी मजबूरी हों तो लोग कहां जाएंगे? निश्चित ही सरकार को इनके विकल्प बताने होंगे। जूट के थैले उतने ही दुर्लभ हैं जितनी प्लास्टिक थैलों की आसान पंहुच है। ऐसे में प्लास्टिक में उलझी जिंदगी विकल्पों की तलाश में जिंदगी मुश्किल बना दे।

● *एमके मिश्रा, रातू*

दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा

विश्व रंगमंच पर आज स्थिति यह है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर विश्व को नरेंद्र मोदी का इंतजार करता है। सात से अधिक मुसलिम राष्ट्रों ने अब तक अपने सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा है। अमेरिका, रूस और फ्रांस ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी के नाम किया है। 21 जून को योग दिवस आज विश्व भर में नरेंद्र मोदी के प्रयत्न से मनाया जाता है। चाहे भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो, विश्व में सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो, व्यापार सुगमता की रैंकिंग में सुधार की बात हो या फिर विश्व को जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचाने की बात हो या आतंकवाद और गरीबी से मुक्त करने की बात हो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमे भारत का मस्तक ऊंचा करने के लिए नरेंद्र भाई ने कसर छोड़ी हो।

वैश्विक बन गया है प्रधानमंत्री का चेहरा

प्रभात झा

कौन कहता है कि गरीब की ओर देश नहीं देख सकता। कौन कहता है कि गरीब प्रथम पंक्ति में आ नहीं सकता। रेलगाड़ी में लोगों को चाय पिलाने वाला अपना भविष्य नहीं, बल्कि भारत का भविष्य संभालेगा, यह कोई सोच नहीं सकता था। मां हीरा बा ने जन्म दिया। पिता चाय बनाते थे और वे दौड़-दौड़ कर यात्रियों को चाय पिलाते थे। माता-पिता ने इस गरीबी में भी नरेंद्र मोदी को रात-दिन संस्कारित करने का प्रयत्न जारी रखा।

गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्मा वह बालक गरीबी के हर थपेड़े सह रहा था। वह चाय जाकर बेचता था, पर अपने स्वाभिमान को कभी बिकने नहीं दिया। कुछ वर्षों बाद भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा पर नरेंद्र भाई जाने लगे। कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी समझ बढ़ाई। स्कूली शिक्षा समाप्त कर वे कुछ समय के लिए हिमालय की ओर बढ़ गए। उनका मूल स्वभाव आध्यात्मिक ही रहा।

नरेंद्र भाई को बचपन से ही ललक थी कि कैसे मैं मां भारती की सेवा करूं। संघ कार्यालय और संघ कार्य से गहरा नाता जुड़ता गया। गुजरात को देखने और समझने लगे। फिर वे गुजरात भाजपा के संगठन मंत्री बने। उसके बाद संगठन ने उन्हें केंद्र की राजनीति में लाने का निर्णय भी लिया। वे बतौर प्रचारक राष्ट्रीय मंत्री के नाते दिल्ली आ गए। वे नई-नई तकनीकी से जुड़ते गए। दिल्ली में उन्हें अटल जी, आडवाणी जी और डॉ. जोशी का जहां आशीष मिला, वहीं अरुण जेटली जैसे मित्र भी मिले। संगठन का कार्य उनके माथे पर बढ़ता गया। वे महामंत्री बने।

डॉ जोशी द्वारा पूरे भारत में निकाली गई एकात्मता यात्रा के वे प्रभारी भी बने। उनका अखिल भारतीय स्वरूप धीरे-धीरे उभरता गया। इस बीच गुजरात में भाजपा सरकार संक्रमण काल से गुजर रही थी। अटलजी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आडवाणी जी से चर्चा की और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए।

गुजरात के विकास के नए-नए आयाम उन्होंने तय किए। देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में उनके नाम की चर्चा होने लगी। इसी बीच गुजरात में गोधरा कांड हो गया। विरोधी बहुत हावी हुए। पर अटलजी के कथनानुसार नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन करते रहे। आंतरिक और बाहरी विरोधों के बावजूद वे सोने की तरह तपकर निकले और पुनः गुजरात में सरकार बनाकर अपनी साख बढ़ाई। फिर वे सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ आगे बढ़ते गए। जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब सबके मन में आया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार समिति का संयोजक नरेंद्र मोदी को क्यों न बनाया जाए। राजनाथ सिंह ने कुछ ही महीनों बाद दल की सर्वानुमति से यह निर्णय लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे।

भारत की सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बनारस से भी संगठन ने उन्हें लड़ाने का निर्णय लिया, वहीं गुजरात के बडौदा से भी वे लड़े। उन्होंने बनारस में फॉर्म भरते हुए कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र भाई के शब्द को सुनकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक नए प्रकार का जागरण हुआ। इस बीच अमित शाह राष्ट्रीय महामंत्री बन चुके थे। उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया। 16वीं लोकसभा का परिणाम इतिहास रचने जैसा आया। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भाई नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास की एक नई विकास गाथा लिखना शुरू की। लाल किले की प्राचीर से दिया गया उनका पहला भाषण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुष्टि करता है। उन्होंने भारत के आम आदमी की नब्ज टटोली। भारत के गांव और कृषि को आधार बनाया। भारत के नारकीय जीवन जी रहे लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का प्रयास किया। उसी में से निकली शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान, जन धन योजना, आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, 60 से अधिक उम्र के किसान और व्यवसायी परिवार को पेंशन, किसान सम्मान निधि योजना, किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दोगुना करने के साथ-साथ नोटबंदी और जीएसटी, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने, मंगलयान और चंद्रयान-2 जैसे अकल्पनीय, अदभुत, अवस्मरणीय निर्णय लेकर उन्होंने विरोधियों के राजनीतिक मिजाज को ठंडा कर दिया।

इस बीच नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह आए। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अनेक राज्यों में भाजपा की सरकार बनी।

नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उरी की घटना हुई तब सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकियों को मार कर भारत का मस्तक ऊंचा किया। पुलवामा की घटना जब घटी तब एअर स्ट्राइक कर भारत ने विश्व में अपनी धाक जमाई।

इसी बीच सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव आया। इस चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर का ज्वार उठा। विरोधियों ने क्या-क्या नहीं कहा। फिर भी भाजपा 303 और एनडीए 366 सीट जीतकर आया। इस चुनाव परिणाम से विश्व का केवल नजरिया ही नहीं बदला बल्कि यह संदेश भी गया कि नरेंद्र मोदी भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं।

इसके बाद संविधान में एक अस्थायी धारा 370 को 70 साल बाद हटाकर 130 करोड़ भारतवासियों का न केवल मन जीता बल्कि विश्व में यह संदेश दिया कि राष्ट्रहित में निर्णय लेने वाली मोदी सरकार दमदार सरकार है।

भारत के लोग नरेंद्र मोदी के साहस को देख कर यह कहने में जुट गए हैं की वह दिन दूर नहीं जब पीओके हमारे कब्जे में होगा। आम नागरिकों के मुंह पर यह जो बात है उसमे एक आदमी के साहस की प्रेरणा है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से विश्व को यह संदेश दिया है कि न आंखें दबाकर, न आंखें झुकाकर, बल्कि आंखें मिलाकर काम करने की ओर बढ़ रहे हैं। नागरिकों में आया यह मौलिक परिवर्तन स्वतः दर्शाता है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है।

लेखक सांसद (राज्यसभा) हैं।

साधु के कैमरे में खूबसूरत हिमालय

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड

जानेमाने छायाकार संन्यासी स्वामी सुंदरानंद 72 साल में हिमालय में आए बदलावों के साक्षी हैं। उन्होंने फोटोग्राफी के जरिए हिमालय का मानो साक्षात्कार किया है। एक छायाकार के साथ स्वामी सुंदरानद की तपोस्थली भी रही है हिमालय की चोटियां, घाटियां और कंदराए।

हिमालय के सांपनुमा पर्वतों में ट्रैकिंग और पवर्तारोहण के शौकीन स्वामी सुंदरानंद ने अपने कैमरे में हिमालय के 60-70 हजार से ज्यादा फोटो कैद की हैं। उन्होंने गोमुख और गंगोत्री के ही 50 हजार से ज्यादा फोटो खींचे हैं, जो गोमुख-गंगोत्री के ग्लेशियरों में 70 साल के दौरान आए बदलावों के चश्मदीद गवाह हैं। स्वामी सुंदरानंद को उत्तराखंड के लोग फोटोग्राफर बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। दक्षिण भारत से आया यह यायावर हिमालय का ही होकर रह गया।

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के अनन्तपुरम गांव में 1926 में जन्मे स्वामी सुंदरानंद को बाल्यकाल से ही उत्तराखंड के पहाड़ खींचते रहे हैं। पांच बहनों के अकेले भाई स्वामी सुंदरानंद 1947 में घरवार छोड़कर पुरी भुवनेश्वर होते हुए बनारस और वहां से 1948 में गंगोत्री धाम पहुंचे थे। गंगोत्री में उनकी मुलाकात तपोवन बाबा से हुई। तपोवन बाबा के सानिध्य में रहकर उन्होंने हिमालय के आध्यात्मिक महत्त्व को जाना और उनसे दीक्षा ली।

दरअसल, स्वामी सुंदरानंद युवावस्था में 1955 में कालिंदीखाल ट्रैक पर ट्रैकिंग करने गए थे। ट्रैकिंग करते समय स्वामी सुंदरानंद और उनके साथियों का एकाएक आए भयंकर बर्फीले तूफान से सामना हुआ। वे अपने साथियों के साथ बच तो निकले, परंतु इस घटना ने उन्हें हिमालय के विभिन्न रूपों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद उन्होंने मात्र 25 रुपए में एक कैमरा खरीदा और वहीं से उन्होंने हिमालय को अपने कैमरे में कैद करने की तपस्या का श्रीगणेश किया। साल 2002 में स्वामी सुंदरानंद ने हिमालय के अपने अनुभवों पर एक पुस्तक 'हिमालय-थ्रू द लेंस ऑफ ए साधु' लिखी। इस पुस्तक का विमोचन तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उनकी इस पुस्तक से पूरे विश्व में स्वामी सुंदरानंद के हिमालय को लेकर की गई अत्यंत आकर्षित फोटोग्राफी के कामकाज को जाना। स्वामी सुंदरानंद के हिमालय को अपने कैमरे में कैद करने को अब कलादीर्घा (आर्ट गैलरी) के रूप में तब्दील किया गया है। बीते शुक्रवार को स्वामी सुंदरानंद के सभी चित्रों को संग्रह कर गंगोत्री धाम में तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी एवं हिमालय ध्यान योग केंद्र का लोकार्पण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह सुरेश सोनी और उत्तराखंड उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर स्वामी सुंदरानंद ऑटोग्राफी पुस्तक का भी विमोचन किया गया।

स्वामी सुंदरानंद और उनके चित्रों की प्रदर्शनी।

स्वामी सुंदरानंद ने यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल के केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्य से प्रभावित होकर अपनी आर्ट गैलरी का कार्य संपन्न करने का जिम्मा उनको दिया। समय का अभाव था, परंतु कर्नल कोठियाल की टीम ने दिन-रात मेहनत कर निश्चित समय पर आर्ट गैलरी का आयोजन करवाया।

स्वामी सुंदरानंद कहते हैं कि उन्होंने छायाकार के रूप में हिमालय भ्रमण के दौरान प्रकृति में ईश्वर की तलाश की और उससे साक्षात्कार करने का एक प्रयासभर किया। यह अनुपम कलादीर्घा उसी ईश्वर को समर्पित है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वामी सुंदरानंद ने एक ही जगह पर हिमालय के दिव्य दर्शन कराने का अनूठा और उल्लेखनीय कार्य किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्वामी सुंदरानंद का संकलन आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनूठी विश्व धरोहर है और उनकी 72 वर्ष की तपस्या का संग्रह विश्व को समर्पित हो गया है।

इस कलादीर्घा की ट्रस्टी अमेरिका की डेबरा उर्फ दयामयी ने कहा कि वह साल 2003 में स्वामी सुंदरानंद से मिली थीं। तब से योग-ध्यान के जरिये उनसे एक आध्यात्मिक रिश्ता सा जुड़ गया और वे स्वामी जी के हिमालय के प्रति किए गए कार्यों से बेहद प्रभावित हुईं।

घाटे से जूझ रही रोडवेज बसों की कमी ने बढ़ाई मुसीबत

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान

राजस्थान में भारी घाटे से जूझ रही रोडवेज में अब बसों की कमी ने भी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। रोडवेज की अब पांच हजार की जगह 3100 बसें ही सड़क पर हैं। ऐसे हालात में रोडवेज को कई मार्गों पर बस संचालन बंद करना पड़ रहा है। रोडवेज का यात्री भार अब प्रतिदिन एक लाख किलोमीटर भी कम हो गया है। इसके चलते भी रोडवेज का घाटा रोजाना बढ़ता जा रहा है। घाटे के कारण सबसे ज्यादा परेशानी रोडवेज के श्रमिकों और कर्मचारियों के सामने आ गई है।

राजस्थान रोडवेज के बेडे में आमतौर पर साढ़े चार हजार से पांच हजार बसें रहती थीं। रोडवेज ने गत चार वर्ष से नई बसें नहीं खरीदी हैं। इसके चलते ही अब बसों की कमी सामने खड़ी हो गई है। रोडवेज हर साल 500 बसों की नई खरीद करता रहा है, पर पिछले पांच वर्ष में इस पर लगाम लग गई थी। राजस्थान रोडवेज की मौजूदा स्थिति के अनुसार 5000 बसें होनी चाहिए, पर अभी केवल 3459 बसें ही हैं। रोज करीब 350 बसें खराब होती हैं। इसके कारण चालू हालत में सिर्फ 3100 बसें ही हैं। हालात नहीं सुधरें तो साल के अंत तक रोडवेज के पास सिर्फ 1950 बसें ही बचेंगी। राजस्थान रोडवेज ने सरकार को एक हजार नई बसों की खरीद का प्रस्ताव भिजवाया है, पर सरकार ने उस पर अभी कोई ध्यान नहीं दिया है। बंद होने के कगार पर पहुंच गई रोडवेज के दस हजार से ज्यादा कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा होने के आसार हैं। एटक, सीटू, इंटक मजदूर संगठनों और रिटायर कर्मचारियों के संगठनों ने रोडवेज बचाने के लिए साझा तौर पर आंदोलन भी शुरू कर दिया है। रोडवेज के मजदूर नेता और एटक के प्रदेश अध्यक्ष एमएल यादव का कहना है कि रोडवेज को बचाना ही उनका मुख्य मकसद है। रोडवेज बचेगी तो उनका रोजगार भी बचेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नए-नए हथकंडे अपना कर रोडवेज को बंद करने पर तुली है। श्रमिकों को जनवरी 2017 से चार फीसद, जुलाई 2017 से तीन फीसद और जनवरी 2018 से तीन प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जायज मांग को भी प्रशासन नहीं मान रहा है। रोडवेज के मई, 2014 से अब तक रिटायर हुए करीब चार हजार कर्मचारियों का सात सौ करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है।

रोडवेज के चार साल में रिटायर हुए करीब चार हजार कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, ओवर टाइम आदि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। रिटायर रोडवेज एंप्लाइज एसोसिएशन के महासचिव हरगोविंद शर्मा का कहना है कि सेवानिवृत्त श्रमिकों के रोडवेज पर करीब 310 करोड़ रुपए बकाया हैं। रिटायर कर्मचारी अपने भुगतान के लिए अदालत तक गए। रोडवेज का घाटा दूर करने के लिए सरकार को बजट आबंटित करना चाहिए और कर्मचारियों के वेतन व पेंशन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि रोडवेज को किसी भी हालत में बंद नहीं किया जाएगा। रोडवेज के घाटे की भरपाई के लिए सरकार मदद की योजना बना रही है। रोडवेज के निजीकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ नए मार्गों पर बसों के संचालन के लिए लाइसेंस जनता की सुविधा के लिए ही जारी किए गए हैं। सरकार श्रमिकों के वेतन और भत्तों को लेकर चिंतित है। इसके लिए वित्त विभाग से सलाह-मशविरा किया जा रहा है। सरकार रोडवेज में नई बसों की खरीद पर जल्द ही निर्णय लेगी।

पितृ पक्ष

...ताकि याद आएं पुरखे

शास्त्री कोसलेन्द्रदास

वेद-पुराणों में वर्णित श्राद्ध का भाव हमारे वास्तविक आचरण में उतर जाए तो सारा विश्व एक कुटुंब बन जाए। ऐसे में जरूरी है कि युगों से संचित जटिल बातों को त्यागते हुए हमें धार्मिक कृत्यों एवं उत्सवों के निहितार्थ को समझकर उनका सामाजिक प्रयोग करना चाहिए। कोई आप से पूछे कि आप कौन हैं? आपके दादा और उनके पिता कौन थे? किस वंश के हैं आप? कहां से आए थे आपके पुरखे? आप आज जहां खड़े हैं, वहां तक आपको पहुंचाने वाले पूर्वजों का ध्यान है आपको? ऐसे प्रश्न जब भी सुनते हैं तो हमारे मन में एक तड़प-सी होने लगती है कि भला वे कौन थे जिनकी विरासत आज हमें मिली हुई है। इन सवालों के जबाव ढूंढ़ते हैं तो हम अपने-आप को ऋणी पाते हैं उन पूर्वजों का, जिन्हें शायद हमने कभी देखा, छुआ या महसूस ही ना किया हो। आज की पीढ़ी का स्याह सच यह है कि उसे अपने पुरखों की विरासत का गौरव नहीं है। प्रतिवर्ष श्राद्ध के पखवाड़े में पुरखों की तिथि को याद कर उनका श्राद्ध निकालते हैं, फिर पूरे साल उन्हें भूले रहते हैं।

क्या है श्राद्ध?

कई दृष्टियों से श्राद्ध बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है। याज्ञवल्क्य स्मृति की 'मिताक्षरा' ने श्राद्ध को यूं परिभाषित किया है, 'पितरों को उद्देश्य कर-के उनके कल्याण के लिए श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का या उनसे संबंधित द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।' श्राद्ध नाम इसीलिए पड़ा कि इसका मूल स्रोत श्रद्धा है। केवल कर्मकांड के लिए नहीं बल्कि अपने पुरखों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए श्राद्ध हर साल आते हैं।

श्रद्धा के सोलह दिन

पितरों को पूजने का सर्वोत्तम समय है, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक के सोलह दिन। शास्त्रों का मत है कि पितरों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। हालांकि इन सोलह तिथियों की विशिष्टता के कारण इस पक्ष को 'पितृपक्ष' कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय भगवान सूर्य कन्या राशि में विचरण करते हैं, इस नाते इन्हें 'कनागत' भी कहा जाता है। समस्त पूर्वज अपने लोकों से अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए इन दिनों पृथ्वी पर विचरते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुरखों को इस काल में याद करना चाहिए तथा श्राद्ध निकालना चाहिए।

श्राद्ध में खास

श्राद्ध में कुछ बातें महत्त्व की हैं, जैसे-कुतप वेला अर्थात दिन का आठवां मुहूर्त (मध्याह्न में लगभग 11:30 से 12:30 तक का समय)। श्राद्ध में आठ चीजों का ध्यान जरूरी है। मध्याह्न काल, शुद्ध व स्वच्छ पात्र, कंबल, चांदी, कुशा, तिल, गौ माता और दौहिता (कन्या का पुत्र), इन आठों का एक जगह इकट्ठे होना श्राद्ध में श्रेयस्कर है। किसी कारण से ये एकसाथ इकट्ठे न हो सकें तो भी दौहिता, मध्याह्न और काले तिल इन तीनों का उपयोग श्राद्ध में करना ही चाहिए।

समर्पण से करें तर्पण

श्राद्ध पूर्वजों के प्रति आंतरिक श्रद्धा और समर्पण का महाभाव है। ब्रह्मपुराण में श्राद्ध के बारे में लिखा है कि 'अपने पुरखों को लक्ष्य करके जो दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है।' परंपरा बताती है कि पितरों के प्रति श्रद्धावनत होकर अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं का दान देना ही श्राद्ध है। सीधी बात है, श्रद्धापूर्वक सविधि किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध कहते हैं।

श्राद्ध की सनातन परंपरा

श्राद्ध हजारों साल पुरानी शास्त्रों में वर्णित परंपरा है। ब्रह्मपुराण कहता है, 'देश, काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार श्रद्धा से पितरों को उद्देश्य करके जो कुछ किसी धर्मनिष्ठ, शास्त्रज्ञ व पवित्र ब्राह्मण को दिया जाता है, वह श्राद्ध है।' पुराणों में लिखा है कि श्राद्ध से केवल अपनी तथा अपने पितरों की ही संतृप्ति नहीं होती, अपितु जो व्यक्ति विधिपूर्वक धन व उपलब्ध साधनों के अनुसार श्राद्ध करता है, वह समस्त देवताओं से लेकर संसार के कीट-पतंग आदि जीवों को संतुष्ट करता है।

श्राद्ध एक, पितर अनेक

ऋषियों ने मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को प्रकट किया गया है। संस्कृत में 'पितृ' शब्द का अर्थ है पिता। पितृ शब्द 'पितर' रूप में जाना जाता है। 'ऋग्वेद' में अपने पिता से पहले के तीन पूर्वजों को 'पितृ' कहा गया है। मानव के आरंभिक या सर्वप्राचीन पूर्वज, जिनसे आदिमानव पहले-पहल जब कभी पैदा हुए, वे सभी 'पितृ' कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर के दाह संस्कार के बाद उसकी मृतात्मा को 'वायव्य' नामक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस अप्राकृत दिव्य शरीर की प्राप्ति के बाद मृतात्मा 'पितृलोक' में जाती है। श्राद्ध केवल अपने पितरों की तृप्ति के लिए ही नहीं होता बल्कि वेद-पुराणों में वर्णित श्राद्ध से चराचर की तृप्ति होती है। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मा से लेकर तिनके तक को संतृप्त करता है। ऐसे में जरूरी है कि युगों से संचित जटिल बातों को त्यागते हुए हमें धार्मिक कृत्यों एवं उत्सवों के निहितार्थ को समझकर उनका सामाजिक प्रयोग करना चाहिए।

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त की तलाश के लिए विशेष दल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

सारदा चिट फंड घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचने पर सीबीआइ ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की तलाश के लिए विशेष दल का गठन किया है। सीबीआइ का कहना है कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद वह 'टालमटोल' कर रहे हैं। इस बीच, अग्रिम जमानत के लिए पश्चिम बंगाल की बारासात सत्र अदालत पहुंचे राजीव कुमार को वहां से कोई राहत नहीं मिली। जज एस रशीदी ने उनकी याचिका रद्द करते हुए कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि सारदा घोटाले का केस कोलकाता की अलीपुर अदालत में पंजीकृत है।

सीबीआइ के अधिकारियों के मुताबिक, जांच एजंसी राजीव कुमार की तलाश कर रही है और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा गया है कि वे कुमार को जांच दल के सामने उपस्थित होने का निर्देश दें। कुमार का पता लगाने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है।

इससे पहले सीबीआइ से दो बार नोटिस मिलने के बावजूद कुमार एजंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उन्हें सारदा पोंजी घोटाले के संबंध में सीबीआइ के समक्ष पेश होना था। एजेंसी ने उन्हें मंगलवार सुबह दस बजे पेश होने को कहा था, लेकिन वह नहीं आए। उनके जांच एजंसी के सामने आने में विफल रहने के कारण अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

सीबीआइ ने अब कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक ने सोमवार को एक पत्र के जरिए सीबीआइ को बताया था कि उसके नोटिस कुमार के आधिकारिक आवास पर भेजे गए थे और अभी उनका जवाब मिलना बाकी है। पत्र में शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा था कि अपने वकील के जरिए कुमार ने उन्हें बताया था कि वह 25 सितंबर तक छुट्टी पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह कानूनी उपाय तलाशने का प्रयास कर रहे हैं।

नीतीश संग दोबारा सियासी खिचड़ी पकाने के खिलाफ है लालू की पार्टी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

लालू यादव की अगुआई वाले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (एकी) के बीच फिर से सियासी खिचड़ी पकाए जाने की अटकलों को राजद नेता तेजस्वी यादव ने तो खारिज किया ही है, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी जनता दल (एकी) संग हाथ मिलाए जाने के खिलाफ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद, जद (एकी) और कांग्रेस को मिलाकर फिर से महागठबंधन बनाए जाने के विकल्प की बात करने वाले पार्टी नेताओं की पार्टी में ही पुरजोर मुखालफत हो रही है।

राजद नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने हाल ही में यह बयान दिया कि बिहार में राजद व जद (एकी) के बीच अंदरखाने बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में दोनों दल एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। उनके इस बयान ने पटना से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी। हंगामा बढ़ता देख पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने उनके बयान को सिरे से खारिज कर दिया और तेजस्वी के कड़े तेवर देख, रघुवंश सिंह ने भी अपना बयान वापस ले लिया।

नीतीश कुमार की अगुआई वाले जद (एकी), भाजपा व लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) गठबंधन में हालिया खटपट की खबरों के मद्देनजर राजद नेता सिंह ने बिहार में फिर से महागठबंधन बनाए जाने की बात कही थी। इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं का कहना है कि आखिर राजद, जद (एकी) और कांग्रेस किस तरह एक साथ आ सकते हैं। संसद से लेकर सड़क तक नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के साथ रही है। ऐसे में महज चुनावी फायदे नुकसान के लिए साथ आने की बात करना बेमानी है।

राजद सूत्रों ने कहा कि अब तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर अचानक नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ कर भजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला क्यों कर लिया। उनके इस फैसले से राजद और विशेषकर पार्टी प्रमुख लालू यादव व उनके परिवार पर क्या असर हुआ, यह तो वह परिवार ही समझता है। ऐसे में चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हों या पार्टी का कोई अन्य नेता हो, कैसे कह सकता है कि राजद व जद (एकी) को एकबार फिर से साथ आ जाना चाहिए। यह फैसला तो पार्टी प्रमुख ही करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता लेकिन दोस्ती राजद ने नहीं तोड़ी, नीतीश कुमार ने तोड़ी, लिहाजा अब उनके ही कदमों से यह तय होगा कि आगे दोनों दलों के साथ आने की कोई संभावना हो सकती या नहीं।

अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से पूछा, दलीलों में कितना समय लगेगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली,17 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सभी पक्षकारों के वकीलों से मंगलवार को कहा कि वे अपनी दलीलें पूरी करने के बारे में अनुमानित समय की जानकारी दें। इस मामले की सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भोजनावकाश के बाद एकत्र होते ही मुसलिम पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन से जानना चाहा कि उन्हें अपनी बहस पूरी करने में कितना वक्त लगेगा क्योंकि उसे भी इस मामले में फैसला लिखने के लिए उपलब्ध समय की जानकारी रहेगी।

आगामी 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे प्रधान न्यायाधीश ने धवन से कहा कि वे अपने सहयोगियों के साथ बैठकर मंत्रणा करें और शीर्ष अदालत को बताएं कि उन्हें अपनी बहस पूरी करने में अभी कितने दिन और लगेंगे। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

सुन्नी वक्फ बोर्ड और मूल वादी एम सिद्दीक सहित अन्य की ओर से आठवें दिन बहस कर रहे धवन ने कहा कि वे भी इस मामले में फैसला चाहते हैं और वे अपनी दलीलें तेजी से रखेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि यह कार्यक्रम मालूम होगा तो हम जान सकेंगे कि हमारे पास फैसला लिखने के लिए कितना समय है। धवन ने जब कहा कि अदालत को उन्हें इस शुक्रवार को मोहलत देने पर विचार करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि वे अवकाश ले सकते हैं परंतु मुसलिम पक्षकारों की ओर से दूसरे वकील शुक्रवार को अपनी बहस जारी रख सकते हैं। धवन ने कहा -मैं अपनी बहस का तारतम्य नहीं तोड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि उनका एक कार्यक्रम है और वे बहस की गति के प्रति सचेत हैं। पीठ ने कहा कि धवन को अवकाश की जरूरत होगी लेकिन उनकी युवा टीम सक्षम है और वह मेहनत करना चाहेगी।

सरदार पटेल से प्रेरित है जम्मू कश्मीर पर फैसला : मोदी

पेज 1 का बाकी

कि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की जरूरतों को पूरा कर रही है और वह सरदार सरोवर परियोजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले लाखों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं।

बड़ी परियोजनाओं से पर्यावरण पर होने वाले असर पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है। प्रकृति हमारे लिए आराध्य है, प्रकृति हमारा आभूषण है।' अपने गृह राज्य की यात्रा पर आए मोदी ने इससे पहले मंगलवार को सरदार सरोवर बांध पर देवी नर्मदा की आरती की। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। मोदी केवडिया स्थित तितली उद्यान भी गए। मोदी ने अपनी दो दिन की गुजरात यात्रा की शुरुआत 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' और सरदार सरोवर बांध जाकर की।

ऐसा कहा जाता है कि 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसका उद्घाटन मोदी ने पिछले साल 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर किया था। इससे पहले उन्होंने अपने हेलिकॉप्टर से बनाया गया सरदार पटेल की मूर्ति का वीडियो भी पोस्ट किया।

राजस्थान : बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में

पेज 1 का बाकी

समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान में दिसंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की थी।

बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का लगभग 10 साल पुराना इतिहास फिर दोहराया गया है। 2009 में भी अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल के दौरान बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार बहुमत से पांच कम थी और यह कमी बसपा विधायकों के शामिल होने से पूरी हो गई थी।

इस विलय के बाद संख्या बल के हिसाब से राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 106 विधायक, भाजपा के 72, माकपा, आरएलपी व बीटीपी के दो-दो विधायक हैं। तेरह विधायक निर्दलीय हैं और दो सीट खाली हैं।

राज्य में नवंबर में 52 नगरपालिकाओं के 2455 वार्डों के चुनाव होने हैं। आगामी जनवरी में पंचायत चुनाव भी होने हैं। इसके अलावा मंडावा व खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में बसपा विधायकों के कांग्रेस में आने को राज्य में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।

बसपा प्रमुख मायावती ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा- राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर बसपा के विधायकों को तोड़कर गैर-भरोसेमंद व धोखेबाज पार्टी होने का प्रमाण दिया है। यह बसपा आंदोलन के साथ विश्वासघात है जो दोबारा तब किया गया है जब बसपा वहां कांग्रेस सरकार को बाहर से बिना शर्त समर्थन दे रही थी। मायावती के अनुसार कांग्रेस अपनी कटु विरोधी पार्टी से लड़ने के बजाय हर जगह उन पार्टियों को ही आघात पहुंचाने का काम करती है जो उन्हें सहयोग व समर्थन देते हैं। कांग्रेस इस प्रकार एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी है। वह इन वर्गों के आरक्षण के हक के प्रति कभी गंभीर व ईमानदार नहीं रही है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि मायावती जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि उनकी ऐसी प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। लेकिन उनको यह भी सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी की सरकार तो है नहीं, न बनने की संभावना है। अगर विधायकों ने स्थिति देखी राजस्थान की, क्षेत्र के लोगों की भावनाएं देखीं कि हमें काम करवाना है, विकास करवाना है और यह सरकार के साथ जुड़कर ही करवा सकते हैं। ऐसे में सरकार स्थिर रहनी चाहिए और उन्होंने यही सोचकर फैसला किया। हमने उन पर कोई दबाव नहीं दिया, कोई प्रलोभन भी नहीं दिया गया।

भारत में एक इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं : शाह

पेज 1 का बाकी

भारतीय प्रबंधन संघ (एआइएमए) के एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 'सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले के बाद से दुनिया का नजरिया बदला है और भारत की ताकत को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया है।' सेना ने 29 सितंबर, 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जम्मू कश्मीर के उरी में एक ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकियों के हमले के बाद सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों द्वारा सीआरपीएफ की एक बस को विस्फोट में उड़ाने के बाद बालाकोट में एक आतंकी ठिकाने पर वायु सेना ने इस साल 26 फरवरी को हमला किया।

जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के फैसले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि यह फैसला 'अखंड भारत' की ओर महत्त्वपूर्ण कदम था। गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले हर जगह अव्यवस्था थी। सीमा पर कोई सुरक्षा नहीं थी। लोगों को बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास नहीं था।

उन्होंने कहा, 'अगर आपको याद हो तो 2013 में हर जगह गहरी निराशा का माहौल था। हर मंत्री खुद को प्रधानमंत्री समझने लगा था, वहीं प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं समझता था।' शाह ने कहा कि 2014 में मिले ऐतिहासिक जनादेश के साथ 30 साल से चल रहा गठबंधन सरकारों का युग समाप्त हो गया और पहली बार कोई गैर-कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ काबिज हुई।

गृह मंत्री ने कहा, '2014 से 2019 तक जनता ने एक निर्णायक सरकार देखी। पहले की सरकारों ने 30 साल में पांच बड़े फैसले लिए। लेकिन मोदी सरकार के पहले पांच साल में 50 बड़े फैसले लिए गए। जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन और अब अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 ए पर फैसले- ये साहसिक निर्णय रहे।'

जेएनयू छात्र संघ के चारों पदों पर वाम का कब्जा बरकरार

पेज 1 का बाकी

की आईशी घोष अपने निकटतम उम्मीदवार एबीवीपी के मनीष जांगिड़ से 1,185 मतों से आगे रहीं। आईशी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) की कार्यकर्ता हैं और उन्हें 2,313 मत मिले। वहीं, मनीष को 1,128 मत प्राप्त हुए। बिरसा आंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बापसा) के जितेंद्र सुना 1,121 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) के प्रशांत कुमार को 771, छात्र राष्ट्रीय जनता दल (सीआरजेडी) की प्रियंका भारती को 156 और निर्दलीय उम्मीदवार राघवेंद्र मिश्रा को 53 मत मिले।

इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर अंतिम रुझानों में वाम एकता के उम्मीदवार साकेत मून 3,365 मतों के साथ सबसे आगे रहे। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) के साकेत एबीवीपी की श्रुति अग्निहोत्री से 2,030 मतों से आगे रहे। श्रुति को 1,335 मत प्राप्त हुए। वहीं, सीआरजेडी के ऋषिराज यादव को 285 मत मिले। महासचिव पद पर वाम एकता के उम्मीदवार सतीश यादव ने एबीवीपी के सबरीश पीए से 1,163 मत अधिक प्राप्त किए।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कार्यकर्ता सतीश को कुल 2,518 मत मिले जबकि सबरीश को 1,355 मतों से संतोष करना पड़ा। वहीं, बापसा के वसीम आरएस को 1,232 मत प्राप्त हुए। सह सचिव पद पर दो ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। यहां वाम एकता के उम्मीदवार मोहम्मद दानिश को 3,295 मत मिले जबकि एबीवीपी के उम्मीदवार सुमंता साहू को 1,508 मत प्राप्त हुए। दानिश को साहू से 1,787 मत ज्यादा मिले।

ईपीएफ पर मिलेगा 8.65 फीसद ब्याज

पेज 1 का बाकी

व्यस्त चल रही हैं। उनके पास संबंधित फाइल पड़ी हुई है। वह इससे असहमत नहीं हैं। हमने 2018-19 के लिए 8.65 फीसद की दर से ब्याज दिए जाने की जो मंजूरी दी है, वह अंशधारकों को मिल जाएगी। यह काम कुछ दिनों में हो जाना चाहिए।

बांध का काम रुकवाने के लिए पाकिस्तान कर रहा गोलीबारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तानी बलों ने जम्मू के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अभूतपूर्व गोलीबारी की है। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय चौकियों की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में चल रहे बांध बनाने के काम को पाकिस्तान की ओर से बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ही उस पार से गोलीबारी की जा रही है।

बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक, बीते तीन दिनों से सतपाल पोस्ट पर निर्माण कार्य जारी है। मंगलवार दोपहर एक बजकर पचास मिनट पर पाकिस्तानी रेंजरों ने छोटे हथियारों से गोलाबारी कर संघर्षविराम उल्लंघन किया, जिसके बाद एहतियातन काम को बंद कर दिया गया। माहौल शांत होने के बाद काम फिर शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने एक बार फिर सतपाल पोस्ट के नजदीक काम कर रही मशीनों को निशाना बनाते हुए गोलियां दागनी शुरू कर दीं। पाकिस्तान की भीखाचक पोस्ट से हुए संघर्ष विराम उल्लंघन का बीएसएफ ने भी जवाब दिया।

दोनों घटनाओं में पाकिस्तान की ओर से लगभग 70 और जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने 14 राउंड गोलियां दागीं। बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि सांबा सेक्टर में बीएसएफ की तैनाती वाले इलाकों में सीमापार से छोटे हथियारों से बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। बीएसएफ ने कहा कि भारत में संपत्ति के नुकसान या क्षति की सूचना नहीं मिली है।

मोइन कुरैशी का दिल्ली में फार्महाउस व बीकानेर में किला कुर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई करते हुए उसकी कई संपत्तियां कुर्क की हैं। विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी व अन्य के खिलाफ धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत दिल्ली में एक फार्महाउस, राजस्थान के बीकानेर में एक पुराना किला समेत देहरादून और गोवा में स्थित अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। इन संपत्तियों का मूल्य 9.35 करोड़ रुपए बताया जाता है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि ये संपत्तियां मुखौटा कंपनियों की आड़ में रखी गई थीं, जिनका नियंत्रण कुरैशी द्वारा किया जाता था। बयान में कहा गया है कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्की का एक अस्थाई आदेश जारी किया गया था और संपत्तियों का कुल मूल्य 9.35 करोड़ रुपए है।

ईडी ने कहा, 'अचल संपत्तियां दिल्ली, राजस्थान, देहरादून और गोवा में है। कुर्क संपत्तियों में दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित एक फार्महाउस और राजस्थान के बीकानेर जिले में एक पुराना किला शामिल है।'

मोइन कुरैशी की बेटी पर्निया फैशन स्टोर चलाती है। उसकी शादी लंदन स्थित सीए अजीत प्रसाद के बेटे अर्जुन से हुई। बेटी की शादी में एक नामी गायक को गाने के लिए बुलाया गया था। वह 56 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा गया था।

दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू न होना दुर्भाग्यपूर्ण : डॉ हर्षवर्धन

पेज 1 का बाकी

बताया कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को बनाकर लागू ही नहीं किया बल्कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिन-प्रतिदिन योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि योजना में सुधार किया जा सके।

उन्होंने बताया कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। इसी के तहत शिकायत मिलने और आरोप साबित होने के बाद अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्री ने बताया कि अब तक 97 अस्पतालों को इस योजना से बाहर किया गया है और छह अस्पतालों के खिलाफ तो पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने खुदकुशी की

केवडिया (गुजरात), 17 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केवडिया यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात प्रदेश पुलिस के एक उप निरीक्षक ने मंगलवार को सहयोगी की सर्विस रिवाल्वर से गोली मार कर आत्महत्या कर ली।

अमरेली के पुलिस उपाधीक्षक आरडी ओजा ने बताया कि आत्महत्या करने वाले पुलिस उप निरीक्षक की पहचान एन सी फिनाविया (29) के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक नवसारी जिले में स्थानीय अपराध शाखा में तैनात थे और मंगलवार को केवडिया सर्किट हाउस के बाहर उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था । उन्होंने बताया कि फिनाविया ने सुबह साढ़े दस बजे गोली मार कर आत्महत्या कर ली। ओजा ने नर्मदा जिले के केवडिया पुलिस थाने में इस घटना के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना उस वक्त हुई जब मोदी केवडिया के दौरे के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र में निर्मित पर्यटक सुविधाओं का जायजा ले रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि फिनाविया की इस कथित आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

अदालत ने शिवकुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को एक अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। दरअसल जांच एजंसी ने भी न्यायिक हिरासत में भेजने पर सहमति जताई थी। जिसपर अदालत ने मंगलवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने न्यायिक हिरासत में भेजते हुए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह पहले कर्नाटक के पूर्व मंत्री को अस्पताल ले जाए और देखे कि वहां चिकित्सक भर्ती करने के बारे में क्या सुझाव देते हैं।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से शिवकुमार को पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त महान्यायवादी (एएसजी) केएम नटराज ने अदालत से कहा कि पूछताछ अब तक पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उनके स्वास्थ्य की स्थिति के चलते कारगर पूछताछ नहीं हो पाई।

नटराज ने अदालत से यह भी कहा कि धन शोधन शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के जरिए हुआ। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवकुमार की ओर से पेश होते हुए अदालत में दलील दी कि कांग्रेस नेता की स्थिति बहुत गंभीर है। वे दिल का दौरा पड़ने के करीब पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भी अदालत से कहा कि यह जमानत देने का एक मामला है, अदालत शर्तें नहीं लगा सकती। नहीं तो, फिर शिवकुमार को मेडिकल जमानत देने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि शिवकुमार को हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है, उनका कोई आपराधिक अतीत नहीं है।

हालांकि, ईडी ने कहा कि शिवकुमार की मेडिकल स्थिति का जांच एजंसी ने ध्यान रखा और नियमित जमानत याचिका का विरोध किया। बहरहाल, अदालत ने शिवकुमार की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया है। शिवकुमार को ईडी ने धन शोधन के मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। हिरासत में पूछताछ की अवधि खत्म होने पर अदालत में उन्हें पेश किया गया।

जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया पर 2018 से ही दबाव

पेज 1 का बाकी

और बार-बार विभिन्न राजनयिक चैनलों के जरिए इसके लिए मलेशिया पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने रूस के व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री मोदी और महातिर मोहम्मद की मुलाकात में भी यह मुद्दा उठाया गया था।

जाकिर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक, 'पांच सितंबर को मैंने मीडिया को बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने महातिर के साथ द्विपक्षीय बैठक में नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ उठाया था।' दरअसल, नाइक के प्रत्यर्पण के बारे में पूछे जाने पर महातिर ने मलेशियाई रेडियो स्टेशन बीएफएम 89.9 से कहा, 'बहुत अधिक देश उसे पसंद नहीं करते। मैंने मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस व्यक्ति के लिए नहीं कहा।' उन्होंने यह भी कहा कि मलेशिया को एक स्थान की तलाश है, जहां जाकिर नाइक को भेजा जा सके जिसने हाल में हिंदू और चीनी मलेशियाई लोगों के खिलाफ नस्ली रूप से संवेदनशील टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री महातिर ने उसके बाद दोहराया कि नाइक द्वारा नस्ली रूप से विभाजनकारी टिप्पणी के बाद अब उसे मलेशिया में सार्वजनिक रूप से बोलने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, 'वह इस देश का नागरिक नहीं है। मैं समझता हूं कि उसे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्थायी निवासी का दर्जा दिया गया था। किसी स्थायी निवासी से उम्मीद नहीं की जाती कि वह इस देश की व्यवस्था और राजनीति के बारे में टिप्पणी करे। उसने उल्लंघन किया है। अब उसे बोलने की इजाजत नहीं है।' उन्होंने कहा, 'हम कुछ ऐसे स्थान की तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं जहां उसे फिलहाल भेजा जा सके, लेकिन उसे (नाइक) कोई स्वीकार नहीं करना चाहता।' भारतीय प्राधिकारियों को कथित रूप से धनशोधन और नफरत फैलाने वाले भाषणों से अतिवाद भड़काने के लिए नाइक की 2016 से तलाश है। 53 वर्षीय नाइक 2016 में भारत छोड़कर मुसलिम बहुल मलेशिया चला गया था जहां उसे स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर पर की नर्मदा आरती

केवडिया, 17 सितंबर (भाषा)।

अपने जन्मदिन पर मंगलवार को गृह राज्य गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी की आरती की।

नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के उच्चतम स्तर 138.68 मीटर तक पानी भर जाने के अवसर पर गुजरात सरकार 'नमामी देवी नर्मदा महोत्सव' का आयोजन कर रही है। इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह केवडिया पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी नर्मदा नदी की पूजा की। मोदी केवडिया में बटरफ्लाय गार्डन भी गए, जहां उन्होंने केसरिया रंग की टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया।

पीओके एक दिन हमारे वास्तविक कब्जे में होगा

पेज 1 का बाकी

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत 'पड़ोस प्रथम' की नीति को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसके समक्ष एक पड़ोसी की 'अलग तरह की चुनौती' है, जिसे सामान्य व्यवहार करने और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा, 'पाकिस्तान के साथ तब तक रिश्ते नहीं ठीक होंगे, जब तक वह देश एक सामान्य पड़ोसी नहीं बन जाता है और सीमा पार आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता।' जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक ही मुद्दा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है और अपनी इस नीति में बदलाव नहीं कर रहा है। पाकिस्तान खुलेआम अपने देश में पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। जबतक वह आतंक को खत्म नहीं करता, कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के सवाल पर जयशंकर ने कहा, 'हमारा उद्देश्य जाधव का हाल जानना था। जाधव से मिलने का मकसद उनके अधिकार दिलाना था। हम एक निर्दोष शख्स को उसके देश वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।'

नई दिल्ली

स्वच्छता का 'गोलकीपर' बनने पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे सम्मानित

न्यूयॉर्क, 17 सितंबर (भाषा)।

स्वच्छता मिशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किया सम्मान का एलान
24 सितंबर को प्रधानमंत्री को अमेरिका में सम्मानित करेगा फाउंडेशन
9 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं अब तक देश में
98 फीसद गांवों तक पहुंच गया है देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज
38 फीसद था चार साल पहले यह कवरेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में स्वच्छता की दिशा में किए गए अहम सुधार और उनके नेतृत्व के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अगले सप्ताह प्रतिष्ठित 'ग्लोबल गोलकीपर अवॉर्ड' से सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। इस दौरान वे ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में वैश्विक नेताओं और कॉर्पोरेट अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे।

फाउंडेशन ने बताया कि मोदी को 2019 का 'ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड' प्रदान किया जाएगा। फाउंडेशन के अनुसार इस पुरस्कार का उद्देश्य ऐसे राजनीतिक नेता को विशेष सम्मान प्रदान करना है, जिन्होंने अपने देश में या विश्व स्तर पर प्रभावशाली कार्यों के माध्यम से 'ग्लोबल गोल्स' के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मोदी को स्वच्छ भारत मिशन में उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसे उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था।

महत्त्वाकांक्षी मिशन का लक्ष्य देशभर में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी को उनकी 150 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप देश में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज को हासिल करने के प्रयासों में तेजी लाना है।

दो अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच को खत्म करने के लिए अब तक 9 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं और वर्तमान में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज भारत के 98 फीसद गांवों तक पहुंच गया है, जो चार साल पहले तक महज 38 फीसद ही था।

फाउंडेशन 24 सितंबर को चौथे वार्षिक 'गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स' का आयोजन करेगा। फाउंडेशन ने कहा, 'हम मोदी को भारत में 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वच्छता प्रदान करने के लिए अपना वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार प्रदान करेंगे।'

खुमैनी ने अमेरिका के साथ बातचीत से किया इनकार

तेहरान, 17 सितंबर (एएफपी)।

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी ने मंगलवार को अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर बातचीत से इनकार किया। सऊदी तेल संयंत्रों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका द्वारा तेहरान को जिम्मेदार ठहराने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर अधिकतम दबाव की राजनीति को अपनाया है क्योंकि उसका मानना है कि वह किसी दूसरे तरीके से इस्लामिक गणराज्य को घुटनों के बल नहीं ला सकता है। उन्होंने एक टीवी संदेश में कहा, ईरान राष्ट्र के खिलाफ 'अधिकतम दबाव' की नीति बेकार है और ईरान इस्लामिक गणराज्य के सभी अधिकारियों का एकमत से विश्वास है कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था और नए प्रतिबंध लगा दिए। सऊदी अरब में ताजा हमलों के बाद ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब की मदद करने को तैयार है। इस हमले के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति छह फीसद घट गई और कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। ट्रंप ने कहा, मैं इस समय किसी नए टकराव में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा हमला था और इसे कई गुना बड़ा हमला कहा जा सकता है।

खबर कोना

लंदन में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जातीं ब्रेग्जिट विरोधी प्रचारक जीना मिलर।

पाकिस्तान में हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई हिंदू लड़की

कराची, 17 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू युवती हॉस्टल के कमरे में मृत मिली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक लरकाना जिले के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा नम्रिता चांदनी सोमवार को अपने पलंग पर पड़ी मिली, उसके गले में रस्सी बंधी थी। उसका कमरा भीतर से बंद था। नम्रिता घोटकी की रहने वाली थी, जहां रविवार से ही मंदिर समेत कई स्थानों पर तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इन मामलों में 218 दंगाइयों के खिलाफ तीन मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस अभी यह तय नहीं कर पाई है कि युवती ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है। कॉलेज की वाइस चांसलर अनीला अताउर रहमान ने कहा कि यह आत्महत्या की घटनाओं जैसे मामलों में से एक ही लगती है। हालांकि मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा।

अफगानिस्तान में चुनाव से पहले दोहरे बम धमाकों में 48 की मौत

काबुल, 17 सितंबर (एएफपी)।

अफगानिस्तान में चुनाव से पहले राजधानी काबुल और परवान प्रांत में मंगलवार को हुए आत्मघाती बम धमाकों में 48 लोगों की मौत हो गई।

पहला धमाका मध्य परवान प्रांत में हुआ जहां राष्ट्रपति अब्दुल गनी की रैली कर रहे थे। हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और रैली स्थल के नजदीक पुलिस चौकी में बम लगाकर धमाका कर दिया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गए। इसके ठीक एक घंटे बाद मध्य काबुल में अमेरिकी दूतावास के नजदीक धमाका हुआ जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने ली। इस धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई और 38 लोग घायल हो गए।

जॉनसन के फैसले पर ब्रिटेन की शीर्ष अदालत में सुनवाई

संसद निलंबित करने का मामला

लंदन,17 सितंबर (एपी)।

ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ से देश के अलग होने से पहले संसद निलंबित करके क्या कानून तोड़ा है।

ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से अलग होने की समयसीमा 31 अक्तूबर है और प्रधानमंत्री ने नौ सितंबर से 14 अक्तूबर तक के लिए संसद निलंबित कर दी है। इस कदम के लिए कई सांसदों ने जॉनसन की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह निर्णय ब्रिटेन को ईयू से किसी समझौते के साथ, अथवा बिना किसी समझौते के बाहर करने की उनकी योजना को किसी चुनौती से बचाने के लिए है।

जॉनसन के इस निर्णय ने कानूनी जंग छेड़ दी है जिस पर निचली अदालतों ने परस्पर विरोधी फैसले दिए हैं। इंग्लैंड के उच्च न्यायालय ने कहा कि निलंबन कानूनी मामला न हो कर राजनीतिक कदम है वहीं स्कॉटलैंड की अदालत ने कहा कि जॉनसन ने लोकतांत्रित जांच से बचने के लिए गैरकानूनी कदम उठाया है। अब मामला देश की शीर्ष अदालत के पास है और उसे निर्णय देना है कि कौन सही था। यह मामला तीन दिन तक चलने की उम्मीद है। जॉनसन का तर्क है कि निलंबन नियमित प्रक्रिया है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक!

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली
ईमेलः bo4168@pnb.co.in

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र, इस समाचारपत्र में दिनांक **15.09.2019** को प्रकाशित इरादतन चूककर्ता सूचना के सन्दर्भ में है। जिसमें **खाता मै. देश राज करन कुमार** में कर्जदार/गारंटर के दूसरे बिन्दु में **श्रीमती सुमन भाटिया** का नाम गलती से प्रकाशित हो गया है, इसे नजरअंदाज करें। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।

स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 18.09.2019 — पंजाब नेशनल बैंक

प्ररूप संख्या आईएनसी-25 क

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदया भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110003 कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

और

ट्रैकोन इंटरनेशनल लिमिटेड
(CIN : U52110DL1978PLC009131)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **602, मर्केंटाइल हाउस 15, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110001** में स्थित है, के मामले में,

........**आवेदक**

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कम्पनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए **सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2019** को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संपरिवर्तित करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विरोध के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदया भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय **602, मर्केंटाइल हाउस 15,** कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 में भी भेज दें।

कृते **ट्रैकोन इंटरनेशनल लिमिटेड**
तिथि : 17.09.2019 — गुड़िया गुप्ता (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली — DIN : 02671084

फार्म न. आईएनसी-26
(कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में परिवर्तित करने हेतु समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

और

सभिक एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
(CIN:U18101DL2003PTC119654)
जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉप न. 69 जीएफ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बाबर लेन नई दिल्ली - 110001 में है, के मामले में

...याचिकाकर्ता / आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 04/09/2019, को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 12 और 13(1) और (4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

शॉप न. 69 जीएफ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बाबर लेन नई दिल्ली - 110001

उनके के लिए या उसकी ओर से
सभिक एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता / —
तिथि : 17.09.2019 — करन नरुला
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 01404829
पता : 7/15, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 110008

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI
4th Floor Jeevan Tara Building Parliament Street, New Delhi: 110001

OA No. 1292/2018
ALLAHABAD BANK — **VERSUS** — **M/s. Nimiya Footwear**
Applicant — **Defendants**
To,
1. M/s. Nimiya Footwear Through Sole Prop. Shri Manohar Lal F-369, Madipur JJ Colony New Delhi-110063.
Also At: D-339, Madipur JJ Colony New Delhi-110063.
Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of **Rs. 36,59,816/- (Rupees Thirty Six Lacs Fifty Nine Thousand Eight Hundred Sixteen Only)** against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on **07.10.2019 at 10.30 A.M.**
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of the Tribunal on this **31th day of August, 2019.**
By order of this Tribunal
For Registrar

ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के समक्ष
अपार्ट.नं. 318, IIरा तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
अपील नं. 382/2018
अपील सं. 16/2018 (डीआरटी-III-दिल्ली) में
बैंक ऑफ इंडिया — **आवेदक**
बनाम
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — **प्रतिवादीगण**
सेवा में,
1. मै. शिवा एप्पैरल्स, द्वारा उसके प्रॉप. श्री सरवण कुमार, ए-32, गुरु नानक विहार, निलोथी एक्स्टें., दिल्ली-110041 — **प्रतिवादी 2**
ध्यान रहे कि उपरोक्त मामले में डी.आर.टी. के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अपीलकर्ता द्वारा 01.08.2019 को एक अपील प्रस्तुत की गई है तथा उसे इस अधिकरण में पंजीकृत किया गया है। यह मामला 16.8.2019 को माननीय डी.आर.ए.टी. के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
2. उपरोक्त अपील नं. 382/2018 को सुनवाई के लिये 31.10.2019 को रजिस्ट्रार डी.आर.टी.ए, दिल्ली के समक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
3. अतएव, आप व्यक्तिगत अथवा अपने काउंसल के माध्यम से उक्त तिथि को उपस्थित रहें अन्यथा अपीलीय अधिकरण द्वारा अभिलेख पर विनियमन गुण-दोष के आधार पर इस मामले में निर्णय किया जायेगा।
4. सभी संबंधितों की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि इन सम्पत्तियों को एटैच्ड कर उसकी बिक्री भी की जा रही है तथा उसके बाद कब्जा धारक का कब्जा समाप्त हो जायेगा तथा यदि उन्हें कोई आपत्ति हो, वे आगामी तिथि से पूर्व उसे प्रस्तुत करें।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर — **रजिस्ट्रार**
22 अगस्त, 2019 को दी गई। — **(मुहर)**

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI
[Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]
1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at DELHI that WEBIMPRINTS a PARTNERSHIP FIRM may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.
2. The principal objects of the company are as follows: To provide in India & abroad, Cyber Security Services & training's, Cloud Computing services & training's, Cyber Forensics services & training's ,Artificial intelligence services and training's, IOT (Internet of Things) Services and training's, Embedded devices services & training's, Design & Development of cyber security related products, Marketing of Electrical & Electronic hardware/software products & services and others ancillary objectives related to main objective.
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 82, LOK NAYAK APARTMENTS, SECTOR-9, ROHINI, DELHI-110085
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at (address), within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.
Dated this 16th day of September, 2019.
Name(s) of Applicant
1. JITENDER NARULA
2. ATUL NARULA

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 584/2018 — तिथिः 03.08.2019
बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा
यूबीआई बनाम नरेश अरोड़ा एवं अन्य
सीडी नं. 1. नरेश अरोड़ा, 1/6513, आजाद गली नं. 2, शाहदरा, नई दिल्ली-110032
सीडी नं. 2. अंजू अरोड़ा, 1/6513, आजाद गली नं. 2, शाहदरा, नई दिल्ली-110032
सीडी नं. 3. रवि बंसल, 1449/13, गली नं. 8, दुर्गापुरी, शाहदरा, नई दिल्ली-110032
जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओए नं. 566/2016/डीआरटी-III, दिल्ली तिथि 9.6.2016 में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय रु. 28,46,907.60 (रुपये अटठाईस लाख छियालिस हजार नौ सौ सात एवं पैसे साठ मात्र) तथा रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागत का भुगतान करने में विफल रहे हैं।
तथा जैसा कि ओ.ए. दाखिल करने की तिथि 9.06.2016 से अनुषांगिक खर्चे तथा उस पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सम्पूर्ण वसूली तक रु. 28,46,907.60 (रुपये अटठाईस लाख छियालिस हजार नौ सौ सात एवं पैसे साठ मात्र) की राशि सीडीज पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। तथा जैसा कि अधोहस्तक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 23.10.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" के माध्यम से मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, प्रथम तल, हरियाणा-122015, हेल्प लाइन न. +91-124-4302020/21/22/23/24, मो.: 09813887931, ईमेल आईडीः support@bankeauctions.co की वेबसाईट के माध्यम से आयोजित की जायेगी।
किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता श्री राहुल सोअम, सीएच बैंक के अधिकारी, मो. नं. 9411261235 से सम्पर्क करें।
यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
1. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	आजाद गली नं. 2, ईस्ट रोहताश नगर, ग्राम सिकदरपुर इलाका शाहदरा, दिल्ली-32 की आबादी में स्थित सम्पत्ति अर्थात् प्रथम तल बिना छत अथवा टैरेस के अधिकार के, सम्पत्ति सं. 1/6513, खसरा नं. 240 में, क्षेत्रफल माप 100 वर्ग मी.	रु. 33, 13,000/- ईएमडीः रु. 3,31,300/-

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान 21.10.2019 तक रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि को या पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/ परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

क्रम सं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण जहाँ सम्पत्ति का है के नाम के साथ	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
	आजाद गली नं. 2, ईस्ट रोहताश नगर, ग्राम सिकदरपुर इलाका शाहदरा, दिल्ली-32 की आबादी में स्थित सम्पत्ति अर्थात् प्रथम तल, बिना छत अथवा टैरेस के अधिकार के, सम्पत्ति सं. 1/6513, खसरा नं. 240 में, क्षेत्रफल माप 100 वर्ग मी.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 3 अगस्त, 2019 को दी गई। — **(विकास जेटली)**
रिकवरी अधिकारी-II

IN THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL NO. II
3RD FlOOR, MTNL BHAVAN, COLABA MARKET, COLABA, MUMBAI - 400 005
TRANSFER ORIGINAL APPLICATION NO.1598 OF 2016
NOTICE IN TRANSFER CASE
STATE BANK OF INDIA ....APPLICANT
VS.
MR. HARSHWARDHAN REDDY ....DEFENDANT
EXHIBIT NO.: 28 NEXT DATE.: 04.11.2019
TO, **1. MR. HARSHWARDHAN REDDY**
Office at 12-A, Golf Links, New Delhi- 110 003.
And At B-11, Mayfair Garden, 12-A, Golf Links, Hauz Khan, New Delhi- 110 003.
And At M/s. Aura Edu Tech India Pvt. Ltd. M-115/17, 2nd Floor, Kunj House, Cannought Place, New Delhi- 110 001.
And At 1201/1206, 12th Floor, Devika Tower, 6 Nehru Place, New Delhi-1100 019.
Take notice that the case in O. A. No. 593 of 2014 between the above parties pending in the MDRT-I, has been transferred to this Tribunal as per change of jurisdiction notified vide Government of India F. No. 9/9/12 DRT [Part] dated 26/09/2016 and the said case is registered as T.O.A. No. 1598 of 2016 on the file of this Tribunal.
Therefore, you hereby required to appear before the Hon'ble Tribunal either in person or through Advocate duly instructed on 04.11.2019 at 11.00 a.m., failing which appropriate orders will be passed.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this 3 day of August, 2019.
Registrar I/c DRT- II, Mumbai

लैटेन्ट लाइट फाइनांस लिमिटेड
(पूर्व में गैलेक्सी कॉमर्सियल लिमिटेड के नाम से विदित)
पंजी. कार्यालयः 120, लोकल शॉपिंग सेन्टर, अरविन्दो प्लेस, हौज खास, नई दिल्ली- 110016
फोनः 011-41074949, वेबसाईटः LLFL.IN,
ई-मेलः galaxycommerciallimited@gmail.com
CIN No.: L74130DL1984PLC019469

पोस्टल बैलॅट परिणाम की घोषणा के लिये सूचना
कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में तथा सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियमन, 2009 के लागू होने वाले विनियमनों तथा उसके पारदर्शी संशोधनों के अनुसार पोस्टल बैलॅट प्रपत्र/ ई-वोटिंग के द्वारा कम्पनी के सदस्यों की स्वीकृति मांगी गई थी। कम्पनी ने पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 12 अगस्त, 2019 में प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को ई-वोटिंग अथवा पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई थी।
निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलॅट का संचालन करने के लिये मै. नवीन गर्ग एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज (सदस्यता सं. 32159, सीपी नं. 11815, जिनका कार्यालय ए-2/73, न्यू कोण्डली, मयूर विहार-III, नई दिल्ली- 110096 में है तथा ईमेलः csgargnaveen@gmail.com है, को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। पर्यवेक्षक द्वारा उसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात- सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की गई सभी पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मतों की जांच- पड़ताल की गई तथा उन्होंने 16 सितम्बर, 2019 को अध्यक्ष के पास अपना रिपोर्ट जमा किया।
पर्यवेक्षक के रिपोर्ट तिथि 16 सितम्बर, 2019 के आधार पर अध्यक्ष ने पोस्टल बैलॅट परिणामों की घोषणा की जो इस प्रकार हैः

प्रस्तावों का विवरण	समेकित (ई-वोटिंग तथा पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों द्वारा मतदान)				
	दी गई मतों की संख्या	पक्ष में मतों की संख्या	विरोध में मतों की संख्या	पक्ष में मतों का %	विरोध में मतों का %
सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियमन, 2019 के अनुसार सभी स्टॉक एक्सचैंजों से कम्पनी की इक्विटी शेयरों का असूचीकरण	872820	872820	0	100	0

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियमन, 2009 समय- समय पर यथा संशोधित) के विनियमन 8 (1) (बी) के अनुसार मतदान का विवरण

विवरण	पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों की सं.	रु. 10/- प्रति की नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयरों की सं. (मत)	मतों का %
प्राप्त की गई कुल वैध पोस्टल बैलॅट्स एवं ई वोट्स	17	872820	100
घटाकरः प्रवर्तक शेयरधारिता	11	620130	71.04
पोस्टल बैलॅट तथा ई-वोटिंग द्वारा सार्वजनिक शेयरधारिता	6	252690	28.96
सार्वजनिक शेयरधारिता में से प्रस्ताव पर सहमति	6	252690	100
सार्वजनिक शेयरधारिता में से प्रस्ताव पर असहमति	0	0	0

पर्यवेक्षक के उक्त रिपोर्ट के आधार पर पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 12 अगस्त, 2019 में निर्दिष्ट प्रस्ताव वांछित बहुमत के साथ सदस्यों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं।
लैटेन्ट लाइट फाइनांस लिमिटेड के लिये
(पूर्व में गैलेक्सी कॉमर्सियल लिमिटेड के नाम से विदित)
हस्ता./-
यश गुप्ता
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
PAN: AUKPG7740B

माननीय ऋण वसूली अधिकरण- II, चेन्नई में
(4था तल, देवा टावर्स, नं. 770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002)
ओ.ए.नं. 2018 का 764
भारतीय स्टेट बैंक
प्रतिनिधित्व द्वारा उसके सहायक महा प्रबंधक, तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा, नं. 32, मॉन्टिएथ रोड, रेड क्रॉस बिल्डिंग, एग्मोरे, चेन्नई-600008 - आवेदक
1. मै. टेक्प्रो इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः नं. 106, विश्वदीप टावर, प्लॉट नं. 4, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय हैः टेक्प्रो टावर्स, 11- ए17, 5वॉं क्रॉस रोड, एसआईपीसीओटी, आई.टी. पार्क, सिरुसेरी, चेन्नई-603103
2. मै. टेक्प्रो इंजीनियर्स लि., प्रतिनिधित्व द्वारा इसके निदेशकों, नं. 106, विश्वदीप टावर, प्लॉट नं. 4, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
3. मै. टेक्प्रो इन्फोटेक प्रा.लि., नं. 106, विश्वदीप टावर, प्लॉट नं. 4, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
4. मै. सिटीजन कम्युनिकेशन्स लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशकों, प्लॉट नं. 113, विक्रम साराभाई इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इस्टेट, पेरंगुडी, चेन्नई-600096 तथा नं. 1, रॉयल कोर्ट, # 982, लक्ष्मणसामी रोड, के.के. नगर, चेन्नई-600078 - प्रतिवादीगण
स्थानापन्न सेवा के माध्यम से प्रतिवादियों के लिये सम्मन्स
आपके विरुद्ध रु. 8,52,51,678.26 (रुपये आठ करोड़ बावन लाख इक्यावन हजार छः सौ अठहत्तर एवं पैसे छब्बीस मात्र) की दावे की राशि की वसूली के लिये आवेदक बैंक द्वारा उपरोक्त मूल आवेदन दाखिल किया गया जिसे आपकी उपस्थिति के लिये 3.10.2019 को 11.30 बजे पूर्वा. में माननीय ऋण वसूली अधिकरण- II, चेन्नई के समक्ष पोस्ट किया गया है जिसमें आपकी उपस्थिति में चूक करने पर आपकी अनुपस्थिति में ही आदेश पारित कर दिया जायेगा।
मै. एम.एल. गणेश एंड
एस. अरुण कुमार
आवेदक के सलाहकार

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, **मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7)**, पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, **CIN: L65910KL1997PLC011300**, दूरभाषः **+91 484-2396478, 2394712**, फैक्सः **+91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवीं रखे सोने के गहनों (**30.06.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।
नीलामी की तिथिः 24.09.2019
Gurgaon: MUL-721, 941, 1107, 1213, **Gurgaon - Sohna Chowk:** MSL-18386, 18397, 18608, 18690, 18693, MUL-40, 48, 121, 266, 269, 614, 834, **Gurgaon - New Railway Road:** MGL-1415, MUL-156, 805, 854, 937, 1011, 1083, MWS-234, 465, 506, **Gurgaon Sec - 10:** MSL-7418, MUL-53, 701, 704, 991, 1071, 1150, 1199, 1264, 1301, **Gurgaon - Sector-31:** MGL-1217, MUL-105, 911, MWS-597, 639, **Gurgaon-Sec - 14:** MSL-19910, MUL-140, 895, 933, 964, 1119, 1190, 1197, MWS-308, 496, 518, 523, 542, 819, **Gurgaon - Jharsa Road Sec - 15:** MGL-487, MSL-6477, 6616, MUL-12, 13, 14, 15, 16, 59, 355, 364, 591, 660, 699, 779, **Gurgaon - Dundahera:** MUL-210, 290, 291, 773, 814, 851, 871, 874, 914, 934, 946, MWS-27, 51, 61, 204, 219, 276, **Gurgaon - Sec - 22:** MUL-131, 362, 368, 421, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 445, 548, 642, 712, 734, 909, 955, **Gurgaon - Sec - 4 - (HA):** MSL-6902, 9710, MUL-76, 227, 445, 491, 615, 628, 631, 648, 821, 891, **Gurgaon - Sheetla Mata Mandir:** MUL-404, MWS-10, 145
नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहां दिनांक **25.09.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **First Floor, SCO-32 Huda Market, Sector-04, Gurgaon, Haryana - 122001** में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएगी।
कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024
नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

शेयर सूचकांक 642 अंक टूटा

मुंबई, 17 सितंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट आई और सूचकांक 642 अंक टूटकर 36,481.09 अंक पर बंद हुआ। निवेशकों को आशंका है कि कच्चे तेल के दाम में तेजी से देश की राजकोषीय स्थिति बिगड़ सकती है और इसके कारण अर्थव्यवस्था की समस्या बढ़ेगी।

सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर ड्रोन से हमलों के बाद कच्चे तेल के दाम में तेजी के बीच वैश्विक स्तर पर कमजोर धारणा का असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। तीस शेयरों वाला सूचकांक 642.22 अंक यानी 1.73 रुपए की गिरावट के साथ 36,481.09 अंक पर बंद हुआ। एक समय इसमें 704 अंक तक की गिरावट आ गई थी। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 185.90 अंक की गिरावट के साथ 10,817.60 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक के जिन शेयरों में अधिक गिरावट दर्ज की गई, उनमें हीरो मोटो कार्प, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, मारुति और एसबीआइ शामिल हैं। इन शेयरों में 6.19 रुपए तक की गिरावट आई। तीस शेयरों में से केवल एचयूएल, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस लाभ में रहे।

विशेषज्ञों के अनुसार निवेशक सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले के बाद भू-राजनीतिक अनिश्चितता से चिंतित हैं। निवेशक इस रिपोर्ट से भी चिंतित है कि तेल के दाम में तेजी का असर भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का 70 रुपए आयात से पूरा करता है। शेयर बाजार में उपलब्ध आंकड़े के अनुसार विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में बिकवाली करने में लगे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 808.29 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। वैश्विक स्तर पर निवेशकों की नजर चीन और अमेरिका के बीच बातचीत और फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के नतीजों पर भी है।

सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमलों के बाद भारत में डीजल-पेट्रोल के दाम में आया उछाल

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हाल में हुए हमलों से कच्चे तेल बाजार में उथल-पुथल के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पांच जुलाई के आम बजट के दिन के बाद सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 14 पैसे बढ़ कर 72.17 रुपए प्रति लीटर और डीजल 15 पैसे तेज हो कर 65.58 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। देश के सरकारी तेल कंपनियों ने यह जानकारी दी है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया था जिसके बाद इनके दाम में करीब ढाई रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में कारोबार के दौरान सोमवार को 20 फीसद के भारी उछाल के बाद भारत में सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम में यह वृद्धि की है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 30 साल बाद कच्चे तेल के दाम में एक दिन में इतना बड़ा उछाल आया है। बाजार अंत में 15 फीसद की तेजी के साथ बंद हुआ था। मंगलवार को अंतराष्ट्रीय बाजार थोड़ा नीचे चल रहा था लेकिन हमलों के जवाब में सैनिक कार्रवाई की आशंकाओं के चलते बाजार में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। मंगलवार को ब्रेंट कच्चा तेल पिछले दिन के मुकाबले 36 सेंट यानी 0.50 फीसद घट कर 68.66 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत स्थिति पर बराबर निगाह रखे हुए है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उपभोक्ता है। उन्होंने राजधानी में संवाददाताओं से कहा- जब कीमतें उछलती हैं तो चिंता अवश्य होती है। शनिवार की घटना के बाद की स्थिति हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन प्रधान ने यह भी कहा कि सऊदी अरब से भारत की तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है। भारत के लिए वह इराक के बाद कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

बढ़ते प्याज के दामों पर चौकस हैं पासवान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

प्याज के भावों में इस समय चल रही तेजी को थोड़े समय की बात करार देते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि इसकी कीमतों पर अंकुश रखने को सरकार के हाथ में पर्याप्त मात्रा में प्याज का बफर स्टॉक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय कुछ जगह प्याज के खुदरा भाव 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं।

संगठित क्षेत्र में तीन साल में दो करोड़ अतिरिक्त श्रमिक जुड़े

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि देश में संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में तीन साल में दो करोड़ अतिरिक्त श्रमिक जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक साल में देश में रोजगार के आंकड़ों को और पुख्ता किया जाएगा।

गंगवार ने राजधानी में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समारोह के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा- ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में जहां 20 या 20 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, उनमें तीन साल में कुल मिला कर श्रमिकों की संख्या दो करोड़ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम असंगठित क्षेत्र पर भी काम कर रहे हैं। जहां 40 करोड़ से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। देश में रोजगार की सही स्थिति के बारे में पूछने पर श्रम मंत्री ने कहा-हम सभी व्यावसायिक इकाइयों में रोजगार सृजन की सूचना पर काम कर रहे हैं। रोजगार के पुख्ता आंकड़े तय करने में एक साल लगेगा।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अपने मंत्रालय के तहत आने वाले निकायों के कार्य के बारे में बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम लेह में 30 बिस्तर का अस्पताल और श्रीनगर में सौ बिस्तर का अस्पताल खोलेगा। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी श्रीनगर और जम्मू में कार्यालय खोलेगी। जरूरी समझा गया तो लेह में भी उसका एक कार्यालय होगा।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम)
(A Navratna Undertaking of Govt. of India)
कॉनकॉर CONCOR
C-3, Mathura Road, Opposite Apollo Hospital, New Delhi - 110 076.

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए निविदाकरण की एक पैकेट प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित करता है

निविदा सं.	कॉन/ईपी/एमएमएलपी/टीही/पी.वे/फेज-II/2019
कार्य का नाम	मध्यप्रदेश, इंदौर के पास टीही स्टेशन पर पी.वे सामग्री बिछाना और लूप लाइन साइडिंग की लिंकिंग की आपूर्ति।
अनुमानित लागत	582.10 लाख रुपए
पूरा करने की अवधि	10 (दस) माह
धरोहर राशि जमा	4,41,050/- रुपए (ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा दस्तावेज का मूल्य (अप्रतिदेय)	1,000/- रुपए (ई-भुगतान के माध्यम से सभी करों और ड्यूटी सहित)
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	5,310/- रुपए (ई-भुगतान के माध्यम से सभी करों और ड्यूटी सहित)
निविदा की बिक्री (ऑनलाइन) की तिथि	18.09.2019 (11.00 बजे) से 10.10.2019 (17.00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	11.10.2019 को 17.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि और समय	16.10.2019 को 11.30 बजे

समान प्रकार के कार्यों के संबंध में **वित्तीय पात्रता मानदंड**, अनुभव के विवरणों के लिए कृपया वेबसाइट **www.concorindia.com** देखें, किंतु संपूर्ण निविदा दस्तावेज केवल **www.tenderwizard.com/CCIL** से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के शुद्धिपत्र/अनुशेष, यदि कोई होगा तो केवल वेबसाइट **www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/CCIL** और **केंद्रीय प्रापण पोर्टल (सीपीपी)** पर डाले जाएंगे। इसके लिए समाचार पत्र में प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

समूह महा प्रबंधक (ईसी) फोन नं.: 011-41673093-96

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

ओए सं. 508/2019/डीआरटी-III
के मामले में
पंजाब नेशनल बैंक ... आवेदक
बनाम
संध्या सिंह एवं अन्य ... प्रतिवादी

प्रतिवादी-1: श्रीमती संध्या सिंह (जमानतदार), पत्नी श्री [illegible] कुमार सिंह, ई-240, [illegible] मार्ग नं. 7, ईस्ट विनोद नगर, नई दिल्ली-110091 ... [illegible]

प्रतिवादी-2: श्री योगेश कुमार सिंह (गारंटर) पुत्र श्री जगदीश कुमार सिंह, ई-240, [illegible], गली नं 7, ईस्ट विनोद नगर, नई दिल्ली-110091

प्रतिवादी-3: मैसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बैंकर), [illegible] ... इलाहाबाद-211001.

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस नोटिस द्वारा आपको दिनांक 16.10.2019 को पूर्वा. 10.30 बजे न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, तो वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 7 अगस्त, 2019 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110 001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **07/06/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार एवं गारंटर: (1) मैसर्स ओम 360 डिग्री एडवरटाईजिंग एण्ड एण्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड (2) श्री आलोक गुप्ता (3) श्रीमती भारती गुप्ता (4) श्रीमती नमिता गुप्ता,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.2,61,70,768/- (दो करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार सात सौ अड़सठ रूपये मात्र) 07.06.2019 को मैसर्स ओम 360 डिग्री** एडवरटाईजिंग एण्ड एण्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के ऋण खाते मे, आगे ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ जब तक कि भुगतान पूर्ण न हो, उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 12 सितम्बर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.2,61,70,768/- (दो करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार सात सौ अड़सठ रूपये मात्र) 07.06.2019 को मैसर्स ओम 360 डिग्री एडवरटाईजिंग एण्ड एण्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के ऋण खाते मे, आगे ब्याज, लागत आदि के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती भारती गुप्ता के नाम में साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति असर सं.4312 जो गाँव चक्करपुर में स्थित, आवासीय कालोनी में डीएलएफ कुतब एन्कलेव कॉम्पलैक्स, फेज-4, निकट डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, तहसील एवं जिला-गुरुग्राम, हरियाणा के रूप में जाना जाता है। परिमाप 298.98 वर्ग मीटर (लगभग)। जो घिरी है:
पूर्व: प्लॉट नं.4310 — पश्चिम: सम्पत्ति सं.4313
उत्तर: गैलेरिया मार्केट — दक्षिण: 23 फीट चौड़ी रोड

तिथि: 12.09.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गुरुग्राम — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
पशु-चिकित्सा सेवाएँ विभाग
अल्पकालीन निविदा सूचना

सं. 350/डीवीएस/नॉर्थ डीएमसी/2019 — दिनांक 17 सितम्बर, 2019

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा **6 टाटा एलपीटी 909/38 सीएनजी चेसिस पर फैब्रीकेशन** हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज **19.09.2019 से 28.09.2019** तक कार्य दिवसों में इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **30.09.2019 को अपराह्न 3.00 बजे** तक है। विवरण उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट **www.mcdonline.gov.in** पर उपलब्ध है। हस्ता./-
आर.ओ. सं. 89/डीपीआई/उ.दि.न.नि/2019-20 — उप निदेशक (बीएस)/एन्फो.

U.P. RAJKIYA NIRMAN NIGAM LIMITED
(U.P. Government Undertaking)
(An ISO 9001:2000 Certified Company)
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow

Notice No. 1585/G.M. (Gorakhpur Zone)/Nivida/RNN/19 — Dated :- 13.09.2019

EXPRESSION OF INTEREST

Expression of interest (EOI) for selection of Architect/Consultant for the project of Mahant Avaidyanath Govt. Degree College Jungle Kaudiya Gorakhpur (Tentive Cost of Project Rs. 22.00 Crore) on Quality and cost based system (**QCBS**). All EOI documents submitting dated & Place will be uploaded till dated **07.10.2019** on U.P.R.N.N. **Website: www.uprnn.co.in** and etender **website : etender.up.nic.in**

General Manager (Gorakhpur Zone)

पूर्वोत्तर रेलवे
ई-निविदा सूचना

राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से **कार्य प्रबन्धक/प्लान्ट,** वास्ते मुख्य कारखाना, प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्यों के लिये आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्रम सं.-1, ई-निविदा सूचना सं०: आई. आर.पी.एस. टेण्डर नं.-04-एम.डब्लू.एस.-जी. के.पी.-2019-20, निविदा कार्य का विवरण: मेंटिनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ एलपीजी पाईप लाइन रिलेटेड इक्युपमेंट एण्ड एक्सेसरीज इन 43 पैंट्री कार्स फॉर 18 मंथ एट मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर अनुमानित लागत: ₹ 18,74,192.84, धरोहर राशि: ₹ 37,500/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 2,000/-, संविदा की अवधि: 18 माह, निविदा समापन की तिथि एवं अवधि: 16-10-2019, 15:15 बजे।

इस ई-निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वैबसाइट *www.ireps.gov.in* पर देखें।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/
मुजाधि/यांत्रिक-115 — **गोरखपुर**

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो० नं०: 09794845955 पर एसएमएस करें
गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

(प्रपत्र सं. आइएनसी-26)
[प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र]
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
दया राम सक्सेना मेमोरियल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ई-276 ग्रेटर कैलाश पार्ट-II नई दिल्ली-110048 इन में स्थित है के मामले में ... आवेदककर्ता

सूचना

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम 5 के खंड (अ) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तराखंड राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख सोमवार 02.09.2019 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा:
दया राम सक्सेना मेमोरियल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN-U74899DL1995PTC064559)
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ई-276 ग्रेटर कैलाश पार्ट-II नई दिल्ली-110048 इन
मोबाइल नं : 9573082826
ई मेल : deepakfinwin@gmail.com

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
दया राम सक्सेना मेमोरियल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(दीपक सभरवाल)
निदेशक
तिथि : 02/09/2019
स्थान : नई दिल्ली — (डीआईएन 07609744)

इलाहाबाद बैंक — ALLAHABAD BANK
विश्वास की परंपरा — A tradition of trust
प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान कार्यालय

निविदा सूचना

आरएफपी संदर्भ सं. : प्रका/डीआईटी/एचएसएम/2019-20/143 दिनांक: 18.09.2019

इलाहाबाद बैंक पात्र बोलीकर्ताओं से "तीन (03) हार्डवेयर सिक्योरिटी माड्यूल (एचएसएम) और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर मदों की आपूर्ति, इंस्टालेशन और रखरखाव" के लिए मुहरबंद तकनीकी बोलियां आमंत्रित करता है।
आरएफपी को बिक्री- 18 सितम्बर 2019 से 18 अक्तूबर 2019, 13.00 बजे
बोली-पूर्व बैठक की तिथि: 24 सितम्बर 2019
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय: 18 अक्तूबर 2019, 15.30 बजे
पूर्ण विवरण हेतु कृपया बैंक की आधिकारिक वेबसाइट **www.allahabadbank.in** एवं ई-टेंडर वेबसाइट **www.tenderwizard.com/abbank** देखें।
इस आरएफपी के परिशिष्ट, यदि कोई हो, के लिए कृपया उपर्युक्त उल्लिखित वेबसाइट देखें।
मुख्य प्रबंधक (सूप्रौ)

ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि०
बी एण्ड आर B AND R
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
द्वितीय तल, जेवीएल प्लाजा, नं0 626, अन्ना सलाई, तेयनामपेट, चेन्नई-600018

निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू)

निम्नलिखित कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में एकल प्रतिशतता प्रस्ताव आमंत्रित है :

क्र० सं०	कार्य का विवरण तथा निआसू सं०	बी एंड आर की वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र	बोली दाखिले की नियत तिथि
1.	बीपीसीएल कृष्णापटनम कोस्टल इंस्टालेशन, आंध्र प्रदेश में टैंकेज के निर्माण व संस्थापन से संबंधित कोन रूफ, फ्लोटिंग रूफ तथा एजी/यूजी हॉरिजंटल टैंक का बाकी निर्माण, संस्थापन, वेल्डिंग, जांच व प्रचालन। निआसू सं0 : बी एंड आर/ एमडीएस/ 71105/ बीपीसीएल/ एनआईटी- टैंकेज वर्क-2 दिनांक 17.09.2019	17.09.2019	23.09.2019

इच्छुक साधनसंपन्न ठेकेदार निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in पर जारी की जाएगी।

मिंडा फाइनांस लिमिटेड
(CIN: L67120DL1985PLC021349)
Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052
Tel No.: 011 49373931, Website: www.mindafinance.com, E-mail: lalitk@mindagroup.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन, 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मिंडा फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 19 सितम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के स्टैण्डएलॉन (संशोधित प्रारूप) तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट www.mindafinance.com तथा साथ स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

मिंडा फाइनांस लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली — ललित खूबचंदानी
तिथि: 17 सितम्बर, 2019 — कम्पनी सचिव

SBI
एजेंसी बैंकिंग विभाग, मादाम कामा रोड,
स्टेट बैंक भवन, मुंबई - 400 021.

नकद सक्षमता परियोजना के लिए प्रस्ताव हेतु निवेदन

आरबीआई की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति मिनट 1000 करेंसी नोटों की गति से सिंगल सॉर्टिंग मॉड्यूल और करेंसी नोट्स की स्वचालित प्रक्रिया, छटनी, पैकेट बनाने, गड्डी बनाने और श्रिंक रैपिंग की सुविधा के साथ किराया आधार पर फुली ऑटोमेटेड नोट वैरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग मशीन (एफएएनवीपीएम) के नए मौजूदा मॉडल की आपूर्ति, संस्थापन, कमिशनिंग और प्रचालनों के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/कंपनियों से प्रस्ताव हेतु निवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

प्रस्ताव दो भागों में यानी भाग-1 (तकनीकी बोली) और भाग-2 (वाणिज्यिक सांकेतिक मूल्य बोली) में दो अलग अलग मुहरबंद कवर्स में रखकर एक लिफाफे में मुहरबंद करके उस पर "आरएफपी:एसबीआई/आर एंड डीबी/एबीडी/1 नियत दिनांक 16.10.2019" लिखकर जमा कराया जाना चाहिए।

संपूर्ण विवरण और जमा करने के लिए अंतिम दिनांक प्रदान करते हुए निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट "**https://bank.sbi**" पर '**प्रोक्योरमेंट न्यूज**' के अंतर्गत और **https://etender.sbi** पर उपलब्ध है।

स्थान: मुंबई — हस्ताक्षर
दिनांक: 18.09.2019 — उप महाप्रबंधक (एबीडी) एजेंसी बैंकिंग विभाग

"प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए"
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा मामले में
अवधेश कन्स्ट्रक्शन एंड इम्पेक्स लिमिटेड ("कम्पनी") जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 7वीं, भूतल, मन्दाकिनी, जीके-4, नई दिल्ली-110019 ... आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिए इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए [illegible] 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या पंजीकृत डाक से भेजें।
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं, भूतल, मन्दाकिनी, जीके-4, नई दिल्ली-110019

कृते एवं के लिये
अवधेश कन्स्ट्रक्शन एंड इम्पेक्स लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि: 18 सितम्बर, 2019 — अवधेश मित्तल
स्थान: नई दिल्ली — DIN: 05100273

Syndicate Bank
POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property) Rule-8(1)

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद-13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन-देन सिंडिकेट बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	ऋणी: मै0. अरमीश स्क्रैप एण्ड पार्टस ट्रेडर्स। गारण्टर: श्रीमति फमिदा पत्नि ईदरिश। शाखा: राघव कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड़ खुर्जा, बुलन्दशहर, यू0पी0- 203131. Email: br.8650@syndicate.co.in	आवासीय मकान न0 66, मोहल्ला सिखयान, खुर्जा मस्जिद के पास, प्लॉट जिसकी माप 57.71 स्क्वेयर मीटर बाजारी मूल्य 25.10 लाख साध्य मूल्य 22.59 लाख मालिक श्रीमति फमिदा बेगम पत्नि ईदरिश। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** मे रास्ता 12 फिट, **दक्षिण** मे सुल्तान के घर की बांध गली, **पूर्व** मे रहीश का घर और **पश्चिम** मे आश मोहम्मद।	15.05.2019	13.09.2019	रू0. 16,37,295.75 + ब्याज एवं अन्य व्यय
2.	ऋणी: जुबेर फूड प्रोडक्ट्स। गारण्टर: (1). श्रीमति आमरीन पत्नि जुबेर। (2). आशिक पुत्र रमजानी। शाखा: राघव कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड़ खुर्जा, बुलन्दशहर, यू0पी0- 203131. Email: br.8650@syndicate.co.in	भूमि और ईमारत प्लॉट जिसकी माप 210 स्क्वेयर मीटर, खेत न0. 196 आमरीन पत्नि श्री जुबेर के नाम, बाजारी मूल्य 18,19,000/-साध्य मूल्य 15,46,000/- मालिक श्रीमति आमरीन पत्नि जुबेर। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** मे रास्ता 10 फिट, **दक्षिण** मे रूबक् और साबिर का घर, **पूर्व** मे गुल्लन का प्लॉट और **पश्चिम** मे नबी हसन का प्लॉट और आश मौ0. का खेत।	15.05.2019	13.09.2019	रू0. 20,80,903.61 + ब्याज एवं अन्य व्यय
3.	ऋणी: सन्तोष कुमार। शाखा: राघव कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड़ खुर्जा, बुलन्दशहर, यू0पी0- 203131. Email: br.8650@syndicate.co.in	एक कॉमर्शियल दुकान जिसकी माप 4.08 स्क्वेयर मीटर, (6.10 स्क्वेयर मीटर, 1/3 सन्तोष कुमार का भाग, 1/3 श्रीमति राजवती देवी का भाग) मालिक श्री सन्तोष कुमार का 1/3 का भाग और श्रीमति राजवती देवी का 1/3 का भाग। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** मे रमेश चन्द की दुकान, **दक्षिण** मे राजीव शर्मा की दुकान, **पूर्व** मे जूमर की दुकान और **पश्चिम** मे सुभाष रोड।	15.05.2019	13.09.2019	रू0. 2,63,704.47 + ब्याज एवं अन्य व्यय
4.	ऋणी: एम एस डैकोरेशन। गारण्टर: साबिर अहमद पुत्र अब्दुल राशिद मौ0. कामिल पुत्र शाकि मौ0.। शाखा: राघव कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड़ खुर्जा, बुलन्दशहर, यू0पी0- 203131. Email: br.8650@syndicate.co.in	फैक्टरी शैड प्लॉट, खेत न0. 175 का हिस्सा, कस्बा खुर्जा मालिक साबिर अहमद पुत्र अब्दुल राशिद और मौ0 कामिल पुत्र श्री शाकीक मौ0.। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** मे कुंवर सेन का खेत, **दक्षिण** मे रास्ता, **पूर्व** मे गुरफान और ईसराइल का प्लॉट और **पश्चिम** मे अमन का प्लॉट।	17.05.2019	13.09.2019	रू0. 19,23,317.80 + ब्याज एवं अन्य व्यय
5.	ऋणी: मै0. एस पी कम्प्यूटर्स। गारण्टर: श्रीमति मनोज देवी पत्नि सुरेन्द्र पाल सिंह और श्रीमति प्रकाशी देवी पत्नि श्री जगपाल सिंह। शाखा: राघव कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड़ खुर्जा, बुलन्दशहर, यू0पी0- 203131. Email: br.8650@syndicate.co.in	आवासीय घर, खेत न0. 1575 का हिस्सा, वृद्ध विहार कॉलोनी, ढाकर रोड, खुर्जा मालिक श्रीमति प्रकाशी देवी पत्नि श्री जगपाल सिंह और श्रीमति मनोज देवी पत्नि सुरेन्द्र पाल सिंह। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** मे सतेन्द्र कुमार का घर, **दक्षिण** मे खड्ग सिंह का घर, **पूर्व** मे रास्ता 10 फिट चौड़ा और **पश्चिम** मे विनोद कुमार का घर।	15.05.2019	13.09.2019	रू0. 22,46,430.60 + ब्याज एवं अन्य व्यय
6.	ऋणी: अनवर वैल्डिंग और गेट वर्क्स। शाखा: राघव कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड़ खुर्जा, बुलन्दशहर, यू0पी0- 203131. Email: br.8650@syndicate.co.in	आवासीय प्लॉट, जिसकी माप 168 स्क्वेयर मीटर, गांव मच्छिपुर, खुर्जा मालिक अनवर पुत्र मौ0. ईदरिश। **जिसकी सीमाऐं- उत्तर** मे प्रथम पार्टी का प्लॉट, **दक्षिण** मे 20 फिट चौड़ा रोड, **पूर्व** मे सत्तार खान का प्लॉट और **पश्चिम** मे सब्दल अली उर्फ मीर मौ0. का प्लॉट।	15.05.2019	13.09.2019	रू0. 25,38,077.46 + ब्याज एवं अन्य व्यय

दिनांक: 13-09-2019 — क्षेत्रीय कार्यालय — प्राधिकृत अधिकारी

GOODLUCK
गुडलक इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट: www.goodluckindia.com
ईमेल: goodluck@goodluckindia.com
CIN : L74899DL1986PLC050910

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में सूचना जारी की जाती है कि निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में [illegible] पर विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी।

इस सूचना की जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

मंडल के आदेशानुसार
कृते गुडलक इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
(अभिषेक अग्रवाल)
स्थान : गाजियाबाद — कंपनी सचिव
तिथि : 17.09.2019 — सदस्य: [illegible]

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्रपत्र सं. 5
ऋण वसूली अधिकरण
600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ
(अधिकार क्षेत्र: उत्तर प्रदेश का भाग)
प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने तथा उपस्थिति के लिये सम्मन
ओ.ए. नं. 1210/2018 — तिथि: 01.08.2019
(ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रतिवादी के लिये सम्मन)
पंजाब एंड सिंध बैंक ... आवेदक
बनाम
श्री विशाल गुप्ता एवं अन्य ... प्रतिवादीगण
सेवा में,
1 श्री विशाल गुप्ता, वयस्क, पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता, निवासीः 56, ऊपरी भू तल, जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
दूसरा पताः निवासीः ए-27, विश्वकर्मा पार्क, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110092
तीसरा पताः मै. पी.जी. एण्टरप्राईजेज के प्रोपाईटर, 18/4223, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, नई दिल्ली-110032
2. श्रीमती हीरा गुप्ता, पत्नी श्री विशाल गुप्ता, निवासीः 56, ऊपरी भू तल, जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
दूसरा पताः निवासीः डी-362, उपा तल, गली नं. 14, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
3. श्रीमती मीनू, वयस्क, पत्नी श्री राजेश सहदेव, निवासीः 56, ऊपरी भू तल जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट अथवा विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से इस वाद में पेश युक्त पद्धति में अपना जवाब तथा दस्तावेज (यदि कोई हो) दाखिल करना होगा तथा सम्मन के प्रकाशन के पश्चात आवेदक अथवा उसके सलाहकार/विधिवत अधिकृत एजेन्ट के प्रति एक प्रति सर्व करने के 24.10.2019 को 10.30 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

ADF Foods Limited
CIN: L15400GJ1990PLC014265
Regd. Office: 83/86, GIDC Industrial Estate, Nadiad - 387 001, Gujarat. **Tel.:** 0268-2551381/2; **Fax:** 0268-2565068; **Email id:** co_secretary@adf-foods.com; **Website:** www.adf-foods.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Company has received request relating to transfer of shares in physical mode in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated November 6, 2018 as given below:

Folio No.	Share Certificate Nos.	Distinctive Nos.	Name of the Transferor	No. of shares	Name of the proposed Transferee
J001776	0007924	00791671 - 00791770	Jayendrasingh Danubha Vala	100	Sheela Haresh Shah Haresh Manharlal Shah
R012571	112774	09520101 - 09520200	Ramesh Jain	100	Premnath
G010131	0037653	03764571 - 03764670	Girish Anant Gavali	100	Varsha Shah Kamlesh Amritlal Shah
K005710	0027843	02783571 - 02783670	Kapoor Chand Singhal	100	Santosh Gupta
M011756	0015417	01540971 - 01541070	Madhukanta P Trivedi Rajesh P Trivedi	100	Ram Awtar Gupta
M012664	0090578, 0085533 and 0085534	08986101 - 08986200 08481601 - 08481700 08481701 - 08481800	Mamidela Venkateshwara Rao Remala Lakshmi	300	P Laxmi Srujana
M012710	0020971, 0023753 and 0011095	02096371 - 02096470 02374571 - 02374670 01108771 - 01108870	Mamidela Venkateshwara Rao	300	
J001630	002440	00243271 - 00243370	Jyoti Vora	100	Ketan Shah
S011735	0040206	04019871 - 04019970	Shantilal Vasanji Chheda Ratan Shantilal Chheda	100	Satyavati S H. Shekhar

In case any person has any claims/ objection(s) for the transfer of such shares in favour of the above stated applicants, he/she/they should lodge their claim(s)/ objection within 30 days of the date of this notice with the Company Secretary of the Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) - M/s. Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. If within the stipulated period of 30 days, no claim/ objection is received by the Company or its RTA, in respect of the said shares, the Company shall proceed with the transfer of the above shares in the name of the respective Transferees.

For ADF Foods Ltd.
Sd/-
Place: Mumbai — **Shalaka Ovalekar**
Date: September 18, 2019 — Company Secretary

नेपाल सीमा पर लगाई जा सकती है बाड़ : भाजपा सांसद

बहराइच (उप्र), 17 सितंबर (भाषा)।

भाजपा सांसद अक्षेवर लाल गोंड ने कहा है कि मानव तस्करी घोर अमानवीय अपराध है, जिसके खात्मे के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से मिलकर आवश्यक कदम उठाने संबंधी सुझाव पेश किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पकिस्तान सीमा की तरह नेपाल सीमा पर भी बाड़ लगाने के लिए काम कर रही है। बहराइच से सांसद गोंड ने मानव तस्करी को रोकने के कार्य में लगे भारत- नेपाल हितभागियों की सोमवार को आयोजित एक कार्यशाला में कहा कि मानव तस्करी घोर अमानवीय अंतरराष्ट्रीय अपराध है, जिससे निपटने के लिए सरकारी विभागों, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं सुरक्षा बलों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इस संबंध में हितभागियों द्वारा दिए गए मांग पत्र एवं अन्य सुझावों को लेकर रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री से शीघ्र ही बात की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मामले को संसद में भी रखा जाएगा।

विशिष्ट अतिथि सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक अभिषेक पाठक ने कहा कि मानव तस्करी को रोकना सशस्त्र सीमा बल की प्राथमिकताओं में शामिल है और बल इस अनैतिक कार्य को रोकने के लिए समर्पित है।

कार्यक्रम में भारत एवं नेपाल की कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और दोनों देशों के मीडिया प्रतिनिधियों के अलावा स्कॉटलैंड से आए यूनिसेफ के लोगों ने भी शिरकत की।

कार्पोरेशन बैंक

आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मगंल पाडें नगर, मेरठ–250001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [Rule - 8(1)]

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसंचरण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रभावीकरण) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कार्पोरेशन बैंक** अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरो के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदद्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टरों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं नियमों के उपनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। एतदद्वारा ऋणियों/गारन्टरों को विशेषत: और जन साधारण को सामान्त: सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है अत: इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार **कार्पोरेशन बैंक** को देय राशि व सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है के अध्याधीन होगा।

शाखा का नाम	ऋणी और जमानती के नाम	कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
जमुना कॉम्प्लैक्स, शमशाबाद रोड, आगरा	**ऋणकर्ता** :–(1) मैसर्स शिवांगी एजेंसी, प्रोपराइटर श्री अंकुश तोमर के माध्यम से, ऑफिस चंदन नगर, नाराइच, यमुना ब्रिज आगरा यू.पी. 282006. (2) श्री अंकुश तोमर पुत्र श्री राजेंद्र सिंह तोमर, मकान नं.11सी/915 चंदन नगर, नाराइच यमुना ब्रिज आगरा यू.पी.–282006 और **गारंटर**: – श्रीमती नीलम तोमर पत्नी अंकुश तोमर, मकान नं.11सी/915 चंदन नगर, नाराइच, यमुना ब्रिज आगरा यू.पी.– 282006	12.09.2019	04.07.2019	रूपये **9,95,208.00** **(रुपये नौ लाख पिचयानवे हजार दो सौ आठ केवल)**

बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– सपंति के सभी भाग और पार्सल खसरा नंबर 1498 का भाग स्थित चंदन नगर, शोभा विहार के पास, मौजा नाराइच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा यू.पी. क्षेत्रफल 77.00 वर्ग गज सीमायें:– पूर्व: नारायण सिंह का प्लॉट पश्चिम: 18' चौड़ी रोड उत्तर: नारायण सिंह की सपंति दक्षिण: रघुवीर प्रसाद की संपत्ति।
सपंति स्थित खसरा नंबर 1498 का भाग, चंदन नगर, शोभा विहार के पास, मौजा नाराइच, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा श्रीमती नीलम तोमर पत्नी अंकुश तोमर के नाम पर।

दिनांक – 17.09.2019 स्थान– मेरठ प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेशन बैंक

यूको बैंक UCO BANK

अंचल कार्यालय, रिकवरी विभाग, प्रथम तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 फोन: 011–49498285, 011–49498281

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी बिक्री, बैंक के बकाये की वसूली के लिए "जैसा है जहाँ है" तथा "जो भी वहाँ है आधार" पर उसकी बिक्री करने के अधिकारी के साथ नीचे वर्णित ऋणधारक की खाता में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया है। **दस्तावेजों के साथ ईएमडी राशि और बोलीदाता फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 19.10.2019 को सायं 5:00 बजे तक है। ई–नीलामी की तिथ एवं समय 21 अक्टूबर, 2019 को पूर्व. 11:00 बजे से अप. 2:00 बजे तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। प्रत्येक बोली के लिए बोली वृद्धि राशि 10,000/– प्रति अवसर है।**

अचल सम्पत्तियों का विवरण

शाखा का नाम, आईएफएससी कोड नं., खाता सं., टेलिफोन नं. एवं ई–मेल पता	ऋणधारक एवं गारंटर का नाम	बकाया राशि (रु./लाख)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम	कब्जा का प्रकार	पहचान की गई सम्पत्तियाँ	आरक्षित मूल्य (ईएमडी)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं सम्पर्क व्यक्ति	सरकारी बकाया यदि कोई हो
शाहदरा शाखा आईएफएससी कोड- UCBA0000608, ईएमडी खाता संख्या 06081030080018 ईमेल: sahada@ucobank.co.in	श्री अजय सिंह एवं श्रीमती सविता सिंह	4.15 लाख	श्री अजय सिंह	भौतिक कब्जा	जी–1, भू–तल, प्लॉट सं. 103, ब्लॉक–बी, शालिमार गार्डन एक्सटेंसन–II, ग्राम पसोन्दा, जिला–गाजियाबाद, यू.पी. में आवासी फ्लैट	रु. 5.54 लाख रु. 55,400/-	10.10.2019 शाखा प्रबंधक श्री रोहित भूषण सिंह 9166524350	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

(1) प्रतिभूति परिसम्पत्तियों की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जायेगी।

(2) यह नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उपरोक्त सम्पत्ति के समक्ष वर्णित समय (आईएसटी) के अनुसार **21.10.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप.** के बीच वेबसाइट https://ucobank.auctiontiger.net के माध्यम से 'ऑन लाईन ई–नीलामी/बिक्री' होगी।

(3) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति के अधिभारों, टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/देयताओं के विषय में अपनी स्वतंत्र जाँच कर लें। यह ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा प्रतिनिधित्व को शामिल नहीं करता अथवा उसे शामिल करता हुआ नहीं माना जायेगा। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत क्रेडिटर किसी थर्ड पार्टी के दावे/अधिकारों/देयताओं के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

(4) यह उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा कि बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट कर ले। नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण करने की अनुमति इच्छुक बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित साईटों पर दी जायेगी।

(5) उपरोक्त सम्पत्ति के लिए धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान कॉलम नं. 2 में वर्णित खाता सं. में क्रेडिट के लिए आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा **19.10.2019 के 5.00 बजे अप.** या उससे पूर्व किया जायेगा। कृपया ध्यान रहे कि ईएमडी राशि के लिये चेक्स नहीं स्वीकार किये जाएंगे। सम्पर्क नम्बर: श्री राम कुमार, मोबाईल नं. 8000023297 तथा श्री नीतीश झा (एम) 7982880393, ई–मेल आईडी: delhi@auctiontiger.net / support@auctiontiger.net तथा सम्पत्ति–संबंधी किसी भी पूछताछ के लिये सम्पर्क करें: श्री स्वागत गोयल, वरिष्ठ प्रबंधक, मो.: 9872582589

(6) **बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया** https://ucobank.auctiontiger.net **में दी गई लिंक देखें।**

यह प्रकाशन उपरोक्त ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगेजरों के लिए 15 दिनों की सूचना है।

तिथि: **18.09.2019** स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH

द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–67
दूरभाष: 011–41596676/568, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

निजी सामानों/घरेलू सामानों के निपटान के लिए सूचना

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम	मांग सूचना (ओं) की तिथि	कब्जा करने की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों)/अचल सम्पत्ति (यों) का विवरण
1.	श्री अनुराग सक्सेना (ऋण खाता सं. 583338089)	26–जून–18	21–जून–19	यू. पी. आवास विकास परिषद, सेक्टर – 4बी, वसुन्धरा, गाज़ियाबाद में स्थित फ्लैट नं. 3101, दूसरा तल, 1 बेडरूम फ्लैट, परिमाप 501 वर्ग फीट (लगभग)
2.	श्री प्रवीण कुमार सक्सेना (ऋण खाता सं. 613983579)	18–दिसम्बर–18	18–जुलाई–19	फ्लैट नं. 1407, 13वाँ तल, टावर ए, एसेन्ट बिल्डटेक प्रा. लि. द्वारा विकसित सत्य विल्ले डि ग्रुप हाउसिंग, एनएच 58, 6 लेन एक्सप्रेसवे, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद

यह सार्वजनिक सूचना इस तथ्य के मद्देनजर जारी की गयी है कि हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (एचडीएफसी) के रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके/उसकी/उनके अंतिम ज्ञात पते पर उपरोक्त वर्णित कर्जदार (रों) के साथ संवाद/संपर्क स्थापित नहीं कर पाया है।

जबकि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 (2) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (एसएआरएफएईएसआई अधिनियम) के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित तिथियों को कर्जदार (रों) को मांग सूचना (एँ) जारी की हैं।

कर्जदार कथित मांग सूचना (ओं) में निर्धारित अवधि का पालन करने में असफल रहा है (रहे हैं) इसलिए एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत कथित मांग सूचना (ओं) में विशेष तौर पर वर्णित अनुसार उपरोक्त वर्णित तिथियों को अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूति परिसम्पत्ति (यों) को अपने कब्जे में ले लिया है।

कथित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूति परिसम्पत्ति (यों) पर अधिकार करते समय एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी ने निजी सामानों एवं घरेलू सामानों की एक मालसूची तैयार की है, जिसकी प्रति कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी के पास से प्राप्त की जा सकती है।

ऐसे में कथित कर्जदार (रों) को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना की तिथि से 5 (पांच) दिनों के भीतर उपरोक्त कथित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूति परिसम्पत्ति (यों) के साथ मिले निजी सामानों/घरेलू सामानों को तत्काल हटा लें और ऐसा न करने पर प्राधिकृत अधिकारी के पास कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (यों)/विधिक प्रतिनिधि (यों) के लागत एवं जोखिम पर जैसा वह उचित समझे निजी सामानों/घरेलू सामानों के निपटान/हटाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा तथा भविष्य में इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक: 17 सितम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/–
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का सख्यांक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुये एक माग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांको को (विवरण निम्न वर्णित हैं) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की माग करते हुये संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों से भुगतान करने के लिये निमंत्रित किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों/मालिकों को विशेषता तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से सबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	ऋणकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	माग नोटिस के तिथि और उसके अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि एवं स्थान
1.	धामपुर शाखा	श्री मो. साजिद खान पुत्र श्री बाके खान (प्रोपराइटर– मैसर्स शाद मेडिकल स्टोर)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान भवन स्थित मोहल्ला हुसैनपुर, धामपुर, जिला बिजनौर। सपंति श्री फकरुदीन पुत्र श्री कियामत हुसैन (चूंकि मृतक) के नाम पर। क्षेत्रफल 43.90 वर्गमीटर। सीमायें– उत्तर: फकरुद्दीन का मकान, दक्षिण: इरफान और फकरुद्दीन की संपत्ति, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: इरफान का मकान	27.02.2019 रू0 **1130218.60** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.02.2019 से	13.09.2019 धामपुर
2.	धामपुर शाखा	श्री दिलशाद आलम पुत्र श्री फकरुदीन (प्रोपराइटर– मैसर्स ट्यूबा बुशवेयर)	सपंति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम हुसैनपुर, धामपुर, जिला बिजनौर। श्री दिलशाद आलम पुत्र श्री फकरुदीन के नाम पर। क्षेत्रफल 167.48 वर्गमीटर सीमायें:– उत्तर: फकरुदीन का प्लॉट, दक्षिण: रोड, पूर्व: मोहमूद का मकान, पश्चिम: रास्ता	02.04.2019 रू0 **4390631.50** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.04.2019 से	13.09.2019 धामपुर
3.	सहसपुर शाखा	श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान (प्रोपराइटर– मैसर्स आदिल हैंडलूम)	सपंति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम मेवा नवादा, कस्बा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति श्रीमती फरीदा खातून पत्नी श्री कमरुद्दीन के नाम पर, क्षेत्रफल 39.01 वर्गमीटर। सीमायें– उत्तर: रास्ता, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: जाहिद का मकान, पश्चिम: अंसार का मकान	02.04.2019 रू0 **1219096.20** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.04.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
4.	सहसपुर शाखा	मोहम्मद अरशद पुत्र मोहम्मद अख्तर (प्रोपराइटर– मैसर्स अरशद हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित, ग्राम पिलापुर, परगना स्योहारा तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति मोहम्मद अरशद पुत्र मोहम्मद अख्तर के नाम पर, क्षेत्रफल 90.23 वर्गमीटर सीमायें:–उत्तर: रफ्ता सुल्ताना की भूमि, दक्षिण: सार्वजनिक सड़क, पूर्व: मूरे मिस्त्री की भूमि पश्चिम: विक्रेता की भूमि	19.06.2019 रू0 **1637887.50** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.06.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
5.	सहसपुर शाखा	मोहम्मद अरशद पुत्र मोहम्मद अख्तार (प्रोपराइटर–मैसर्स अरशद हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित मोहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति मोहम्मद अकबर पुत्र श्री अख्तर हुसैन के नाम पर, क्षेत्रफल 41.98 वर्गमीटर सीमायें:– उत्तर: रास्ता, दक्षिण:बाबू राम का मकान, पूर्व: अख्तार हुसैन का मकान, पश्चिम: सराजुद्दीन का मकान	19.06.2019 रू0 **1637887.50** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.06.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
6.	सहसपुर शाखा	श्रीमती चंचल रानी पत्नी श्री फिरोज अहमद	सपंति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम कासमपुर, कांठ के पास (किथवाला), तहसील–कांठ, जिला मुरादाबाद। संपत्ति श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री हबीबुर रहमान के नाम पर क्षेत्रफल 87.348 वर्गमीटर। सीमायें–उत्तर: मो. अरशद का प्लॉट, दक्षिण: जहांगीर का मकान, पूर्व: मोलवी नौमान का प्लॉट, पश्चिम: रास्ता	08.05.2019 रू0 **417193.00** + ब्याज व अन्य खर्चे 22.04.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
7.	सहसपुर शाखा	श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री हबीबुर रहमान (प्रोपराइटर– मैसर्स इशा गारमेंट्स)	सपंति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम कासमपुर, कांठ के पास (किथवला), तहसील –कांठ, जिला मुरादाबाद। सपंति श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री हबीबुर रहमान के नाम पर, क्षेत्रफल 87.348 वर्गमीटर। सीमायें– उत्तर– मो. अरशद का प्लॉट, दक्षिण: जहांगीर का मकान, पूर्व : मोलवी नौमान का प्लॉट, पश्चिम: रास्ता	17.05.2019 रू0 **2316091.00** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.05.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
8.	सहसपुर शाखा	श्रीमती जमशेद रजिया पत्नी राफत अली (प्रोपराइटर– मैसर्स मढीहा ट्रेडिंग कंपनी)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति स्थित ग्राम–फैजुल्लापुर, स्योहारा तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति श्री खालिद लतीफ पुत्र श्री राफत अली के नाम पर, क्षेत्रफल 252.65 वर्गमीटर सीमायें:– उत्तर: रास्ता, दक्षिण: अलीउर रहमान के कानूनी उत्तराधिकारियों की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: अलीउर रहमान के कानूनी उत्तराधिकारियों की भूमि	03.06.2019 रू0 **1151550.07** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.06.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
9.	सहसपुर शाखा	श्री मोहम्मद अनीस पुत्र श्री अब्दुल समी, श्री जरीस अहमद पुत्र श्री अब्दुल समी और श्री अब्दुल समी पुत्र श्री हकीमुल्लाह	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम मेवा नवादा, सहसपुर, जिला बिजनौर संपत्ति श्री जरीस अहमद पुत्र श्री अब्दुल समी के नाम पर, क्षेत्रफल 83.55 वर्गमीटर। सीमायें– उत्तर: मो. शफीक का मकान, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: हाफिज जलील का मकान, पश्चिम: अब्दुल हफीज का मकान	18.03.2019 रू0 **675615.00** + ब्याज व अन्य खर्चे 18.02.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
10.	सहसपुर शाखा	श्री रफीक अहमद पुत्र मो. इदरीस (प्रोपराइटर– मैसर्स रफीक हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय प्लाट स्थित ग्राम चकराजमल (सरकारा) परगना और तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति श्री रफीक अहमद पुत्र मो. इदरीस के नाम, क्षेत्रफल 79.56 वर्गमीटर। सीमायें:– उत्तर: कयामुद्दीन का मकान, दक्षिण: क्रेता की भूमि, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: गैयाजुद्दीन का मकान	10.04.2019 रू0 **730158.50** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.04.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
11.	सहसपुर शाखा	श्री रफीक अहमद पुत्र मो. इदरीस (प्रोपराइटर– मैसर्स रफीक हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम चकराजमल (सरकारा) परगना और तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति श्री रफीक अहमद पुत्र श्री मो. इदरीस के नाम पर, क्षेत्रफल 135.43 वर्गमीटर। सीमायें:– उत्तर: फराजुद्दीन का मकान और रफीक अहमद का प्लॉट, दक्षिण: इरफान का मकान और मोहम्मादिन का मकान, पूर्व: रोड, पश्चिम: नासिर का मकान	10.04.2019 रू0 **730158.50** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.04.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
12.	सहसपुर शाखा	श्री अलीमुदीन पुत्र श्री अल्लारखा	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम रामपुर, परगना स्योहारा, तहसील–धामपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति श्री अलीमुदीन पुत्र श्री अल्लारखा और श्री इस्लामुदीन पुत्र श्री अल्लारखा के नाम पर क्षेत्रफल 135.00 वर्गमीटर। सीमायें–उत्तर: अब्दुल लतीफ की हवेली, दक्षिण: रास्ता उसके बाद अब्दुल गफूर की हवेली, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: अल्लारखा की भूमि	08.05.2019 रू0 **288300.36** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.05.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
13.	सहसपुर शाखा	श्री अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल राशीद (प्रोपराइटर– मैसर्स रॉयल हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम मेवा नवादा सहसपुर, तहसील धामपुर, सहसपुर जिला बिजनौर। संपत्ति श्रीमती फातमा परवीन पत्नी श्री अब्दुल वहीद के नाम पर क्षेत्रफल 131.00 वर्गमीटर। सीमायें:–उत्तर: रास्ता, दक्षिण: असलम का मकान, पूर्व: अलीमुदीन का मकान पश्चिम अब्दुल माजिद सईद का मकान	19.06.2019 रू0 **4471326.84** +ब्याज व अन्य खर्चे 01.06.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
14.	सहसपुर शाखा	श्री अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल राशीद (प्रोपराइटर– मैसर्स रॉयल हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम मेवा नवादा सहसपुर, तहसील धामपुर, सहसपुर जिला बिजनौर। संपत्ति नूर मोहम्मद पुत्र महदी हसन के नाम पर, क्षेत्रफल 138.60 वर्गमीटर। सीमायें– उत्तर: रास्ता, दक्षिण: पप्पू हरिजन का मकान, पूर्व: शेर मोहम्मद का मकान, पश्चिम: बुद्दू सफाई का मकान	19.06.2019 रू0 **4471326.84** +ब्याज व अन्य खर्चे 01.06.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
15.	सहसपुर शाखा	श्री अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल राशीद (प्रोपराइटर– मैसर्स रॉयल हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम मेवा नवादा सहसपुर, तहसील धामपुर, सहसपुर जिलाबिजनौर। मोहम्मद जावेद पुत्र श्री अब्दुल राशीद के नाम पर, क्षेत्रफल 82.22 वर्गमीटर। सीमायें– उत्तर: तैय्यब का मकान, दक्षिण: भूरे का मकान, पूर्व: मो. हनीफ का मकान, पश्चिम: रास्ता	19.06.2019 रू0 **4471326.84** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.06.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
16.	सहसपुर शाखा	श्री शमसुल हक पुत्र श्री इस्लामुदीन (प्रो. मैसर्स शादान हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित संपत्ति स्थित गांव मेवा नवादा, सहसपुर जिला बिजनौर। संपत्ति श्रीमती सईदा पत्नी श्री इस्लामुदीन के नाम पर, क्षेत्रफल 86.60 वर्गमीटर सीमायें– उत्तर: रास्ता, दक्षिण: जमील अहमद का मकान, पूर्व: महमूद का मकान, पश्चिम: करीमुल्ला का मकान	17.05.2019 रू0 **1743668.86** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.05.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
17.	सहसपुर शाखा	श्री शनावाज गजाली पुत्र श्री मुईद अहमद	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित मोहल्ला हकीमपुरा, सहसपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति श्री राशीद अहमद पुत्र श्री नूर अहमद के नाम पर, क्षेत्रफल 214 वर्गमीटर सीमायें –उत्तर: मुंशी रियाजुद्दीन की हवेली, दक्षिण: कारी मोहम्मद उमर का मकान, पूर्व: मिला रास्ता और हाफिज जियाउल का मकान, पश्चिम: खैराती का मकान	26.04.2019 रू0 **1203837.00** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.04.2019 से	12.09.2019 सहसपुर
18.	सहसपुर शाखा	मोहम्मद युसूफ पुत्र श्री यामीन (प्रोपराइटर– मैसर्स युसुफ हैंडलूम)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति मोहल्ला सराय बक्कल, सहसपुर, जिला बिजनौर मो0 युसुफ पुत्र श्री यामीन का नाम क्षेत्रफल 228.25 वर्गमीटर। सीमायें:–उत्तर: रास्ता मलियारा कच्चा, दक्षिण: नईम अहमद की पूर्वी भूमि की ओर और अहमद नबी की पश्चिम की ओर संपत्ति, पूर्व: रास्ता आम कच्चा, पश्चिम: अहमद नबी के दक्षिण घर की ओर और संपत्ति के उत्तर आवश्यक की ओर	17.05.2019 रू0 **1074594.42** + ब्याज व अन्य खर्चे 01.05.2019 से	12.09.2019 सहसपुर

दिनांक:– 16.09.2019 स्थान:– जिला बिजनौर प्राधिकृत अधिकारी

ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT ("CORRIGENDUM") WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

SUNEDISON INFRASTRUCTURE LIMITED
(FORMERLY YKM INDUSTRIES LIMITED)

(Hereinafter referred to as the **"Target Company"** or **"SunEdison"**)
CIN: L40100TN1994PLC028263
Registered Office: 11th Floor, Bascon Futura, New No: 10/2, Old No: 56L Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai – 600 017
Tel No: 044-43405950; **Email id :** cscompliance@sunedisoninfra.com

This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum to the Detailed Public Statement (**"Advertisement"**) is being issued by Keynote Financial Services Limited (Formerly Keynote Corporate Services Limited) (**"Manager to the Offer"**), on behalf of Avyan Renewable Solar Private Limited (**"Acquirer"**) pursuant to Regulation 18 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, as amended (the **"SEBI (SAST) Regulations"**) and pursuant to SEBI Letter no SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2019/22681/1 dated August 30, 2019 (**"Observation Letter"**) in respect of the Open Offer (the **"Offer"**) to acquire 11,22,475 (**"offer size"**) equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) each, at offer price of ₹ 13/- (Rupees Thirteen Only) per Equity Share, representing 25% of total fully paid up equity share capital (**"Voting Share Capital"**) of the Target Company. This Advertisement has to be read with Public Announcement issued on July 26, 2019 (**"PA"**), the Detailed Public Statement published on August 02, 2019 (**"DPS"**) and Letter of Offer dated September 05, 2019 (**"LOF"**) dispatched to the public shareholders on September 12, 2019. The DPS with respect to the aforementioned Offer was published in **Financial Express** (all editions) - English National Daily, **Jansatta** (all editions) - Hindi National Daily, **Mumbai Lakshadeep** (Mumbai edition) - Marathi Regional Daily (regional language daily where the place of the stock exchange is situated) and **Makkal Kural** (Chennai Edition) - Tamil Regional Daily (regional language daily where registered office of the target company is situated.

The terms used but not defined in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum shall have the same meanings assigned to them in the PA, the DPS and the LOF.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

1. The Offer Price for acquiring equity shares under the Open Offer by the Acquirer is ₹ 13/- (Rupees Thirteen Only) per equity share and there has been no revision in the open offer price.
2. The present shareholding of the promoter entities of the Target Company is 75% of the paid up equity share capital. The Acquirer through a Share Purchase Agreement has agreed to acquire 37.50% of the paid up equity share capital of the Target Company from the promoter entities. Since the outstanding public shareholding of the Target Company is only 25% of the paid up equity share capital, the present offer is being made to the extent of 25% of the paid up equity share capital as against the minimum offer of 26% as required under the SEBI (SAST) Regulations.
3. Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as **"IDC"**) of the Target Company have recommended that offer is fair and reasonable. Further IDC is of view that the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take an informed decision in the said matter. The recommendations of IDC were published on **September 16, 2019** in the same newspapers in which the DPS was published.
4. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
5. The LOF has been dispatched to Public Equity Shareholders whose names appeared on the register of members on the identified date i.e. September 04, 2019.
6. Public Shareholders are required to refer to the section titled **"Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer"** at page 19 of the LOF in relation to inter alia the procedure for tendering equity shares in the Open offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.
7. Please note that soft copy of LOF along with Form of Acceptance cum Acknowledgement will be available on SEBI's website (**www.sebi.gov.in**) during tendering period and the same can be downloaded for applying in the Offer. The soft copy of LOF along with Form of Acceptance cum Acknowledgement will also be available on website of Cameo Corporate Services Limited (**"Registrar to the Offer"**).
8. Instructions to the Shareholders for tendering their Equity Shares in the Open Offer
   a) In case of dematerialized shares: Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective selling member by indicating the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer. Further, in case of non-receipt/non availability of the form of acceptance, the Public Equity Shareholders (registered or unregistered, except the Acquirer, Sellers and Promoter Group Shareholders of the Target Company) can also make an application on plain paper in writing signed by all the shareholder(s), stating name, address, number of shares held, Client ID number, DP name, DP ID number, number of shares being tendered and other relevant documents as mentioned in the LOF. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in electronic platform made available by BSE through their respective selling member before the closure of tendering period i.e. Thursday, October 03, 2019.
   b) The shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the offer can do so only after the equity shares are dematerialized. Such shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialized.
9. SEBI has issued comments on the Draft Letter of offer (**"DLOF"**) vide its Observation Letter no SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2019/22681/1 dated August 30, 2019 and the same have been suitably incorporated in the LOF.
10. There have been no other material changes in relation to the Offer, Since the date of the Public Announcement on July 26, 2019, save as otherwise disclosed in the DPS and Corrigendum.
11. **Status of Statutory and other Approvals**
    As on the date, to the best of the knowledge and belief of the Acquirer, there are no statutory or other approvals that are required to implement the Offer. If any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would also be subject to the receipt of such statutory approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event that such statutory approvals becoming applicable prior to completion of the Offer are refused in terms of Regulation 23 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two working days of such withdrawal, in the same newspapers in which the DPS has appeared. If any of the Public Shareholders of the Target Company who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and FIIs) require any approvals (including from the RBI, the FIPB or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such approvals along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. Further RBI approval under FEMA Act, 1999 regulations is required for shares tendered by non-resident shareholders.
12. **Schedule of activities under the Offer is as follows:**

Activity	Original Schedule	Revised schedule
	Day and Date	Day and Date
Issue of Public Announcement (PA)	Friday, July 26, 2019	Friday, July 26, 2019
Publication of Detailed Public Statement (DPS) in the newspapers	Friday, August 02, 2019	Friday, August 02, 2019
Last date for competing offer(s)	Tuesday, August 27, 2019	Tuesday, August 27, 2019
Identified Date*	Friday, September 06, 2019	Wednesday, September 04, 2019
Date by which Letter of Offer to be dispatched to Public Equity Shareholders	Monday, September 16, 2019	Thursday, September 12, 2019
Last Date by which the committee of the Independent directors of the Target Company shall give its recommendation	Wednesday, September 18, 2019	Monday, September 16, 2019
Issue Opening PA date	Friday, September 20, 2019	Wednesday, September 18, 2019
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday, September 23, 2019	Thursday, September 19, 2019
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday, October 07, 2019	Thursday, October 03, 2019
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	Tuesday, October 22, 2019	Friday, October 18, 2019

**The Identified Date is only for the purpose of determining the Public Equity Shareholders as on such date to whom the LOF has been emailed/ dispatched. It is clarified that all the Public Equity Shareholders of the Target Company (registered or unregistered, except the Acquirer, sellers and promoter group shareholders of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of this Offer.*

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and also accepts full responsibility for its obligations under the Offer and shall be jointly and severally liable for ensuring compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer

KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028
Tel: +91–22– 6826 6000-3, **Fax:** +91–22– 6826 6088
E-mail: mbd@keynoteindia.net, **Website:** www.keynoteindia.net
Contact Person: Mr. Shashank Pisat, **SEBI Registration No.:** INM 000003606

For and on behalf of AVYAN RENEWABLE SOLAR PRIVATE LIMITED
Sd/-
Krishnan Venkatesan
Authorized Signatory

Place: Chennai
Date: September 17, 2019

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बढ़त बनाने आज उतरेगा भारत

मोहाली, 17 सितंबर (भाषा)।

धर्मशाला में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद भारत आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत के साथ बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए मैच काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पिछले कुछ मैचों में वह मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं और उन पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप में अब भी 12 महीने से अधिक का समय बाकी है लेकिन कप्तान विराट कोहली पहले ही विस्तृत योजना बना चुके हैं। उन्होंने बता दिया है कि उन्हें टीम में शामिल युवाओं से क्या उम्मीदें हैं। कप्तान ने साफ कर दिया है कि जब वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे तो उन्होंने अधिक मौके मिलने की उम्मीद नहीं की थी और उनका मानना है कि मौजूदा युवा खिलाड़ियों को भी सीमित मौकों में खुद को साबित करना होगा। इन खिलाड़ियों में 21 साल के पंत भी शामिल हैं।

दूसरे टी20 मैच से पहले अभ्यास के दौरान कप्तान विराट कोहली और रविन्द्र जडेजा।

धर्मशाला में श्रृंखला के पहले मैच में मैदान पर एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी लेकिन मैदान के इतर की गतिविधियों में पंत केंद्र बिंदु रहे। टीम प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि विकेटकीपर बल्लेबाज अपनी गलतियों को लगातार नहीं दोहरा सकता और अगर ऐसा किया तो खामियाजा भुगतना होगा। कोहली ने अब तक टीम में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी का विकल्प खुला रखा है और ऐसे में पंत पर दबाव बढ़ रहा है कि वह अपनी प्रतिभा से न्याय करें।

पंत के अलावा लेग स्पिनर राहुल चाहर और वाशिंगटन सुंदर पर भी दबाव होगा। इन दोनों गेंदबाजों को लगातार दूसरी श्रृंखला में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की स्पिन जोड़ी पर तरजीह दी गई है। विश्व कप से पहले भारत को 20 से कुछ अधिक मैच खेलने हैं और ऐसे में टीम चाहती है कि उसकी बल्लेबाजी मजबूत हो। इसके लिए आठवें, नौवें और 10वें नंबर के बल्लेबाजों को नियमित तौर पर अधिक रन बनाने होंगे जो कभी भारत का मजबूत पक्ष नहीं रहा। लंबे बल्लेबाजी क्रम का क्या विकेट चटकाने की भारत की क्षमता पर असर पड़ेगा इसका जवाब भी हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।

इसके अलावा श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे के लिए भी यह श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है जिन्हें मध्यक्रम को मजबूत करने के लिए टीम में शामिल किया गया है। साथ ही शिखर धवन के पास भी बड़ी पारी खेलने का मौका होगा। यह सलामी बल्लेबाज वेस्टइंडीज दौरे पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहा था। यहां का मैदान धवन को काफी रास आता है।

खबर कोना

कोलकाता में टाटा स्टील 25के दौड़ इवेंट के उद्घाटन के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली।

अनुराग ठाकुर ने लेह में खेल अकादमी की घोषणा की

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को घोषणा की कि लद्दाख में क्रिकेट और खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। ठाकुर के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन पर लेह में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस मौके पर खेल अकादमी की घोषणा करते हुए बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों को मंच मुहैया कराने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, 'मैं लेह में क्रिकेट और खेल अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं ताकि क्षेत्र के युवाओं को समान मौके और मंच मिल सके।'

एएफसी चैंपियनशिप क्वालीफायर में भारत का सामना तुर्कमेनिस्तान से

ताशकंद, 17 सितंबर (भाषा)।

भारत 2020 एएफसी अंडर 16 चैंपियनशिप क्वालीफायर में अपने अभियान की शुरुआत आज यहां तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ करेगा। मुख्य कोच बिबियानो फर्नांडिज का मानना है कि भारतीय टीम ने अपने पहले मैच के लिए रणनीति बना ली है। भारत को ग्रुप बी में तुर्कमेनिस्तान, बहरीन और मेजबान उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है।

फर्नांडिज ने कहा, 'यह एएफसी क्वालीफायर के सबसे कड़े ग्रुप में से एक है और हम इस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। हमें पता है कि किसी भी मैच में वांछित नतीजे हासिल करना आसान नहीं होगा लेकिन हमारा मानना है कि अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार खेले तो इस ग्रुप से आगे बढ़ सकते हैं।'

बच्चों के आपरेशन को धन जुटाया गावस्कर ने

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर 'हर्ट टू हर्ट फाउंडेशन' के साझेदार के तौर पर भारत में वंचित वर्ग के 600 से अधिक बच्चों के दिल के आपरेशन में सहयोग कर रहे हैं। ये आपरेशन भारत में सत्यसाईं संजीवनी अस्पताल में किए जाएंगे। इसने 2012 से लेकर अब तक 10,000 मुफ्त आपरेशन करने का हाल ही में कीर्तिमान स्थापित किया था। इनमें से 400 आपरेशन के लिए एच2एच फाउंडेशन ने धन मुहैया कराया था, जबकि 34 आपरेशन के लिए विशेष तौर पर गावस्कर ने धन दिया था। गावस्कर ने कहा, 'भारत में बच्चों के दिल के मुफ्त आपरेशन में सहयोग करने के लिए अमेरिका के कई शहरों का दौरा एक शानदार आगाज रहा। विभिन्न शहरों में ागीदारी के लिए मैं आभारी हूं।'

कांस्य के लिए विनेश का मुकाबला आज

मौजूदा विश्व चैंपियन मुकैदा से सेमी फाइनल में हारीं

नूर सुल्तान (कजाखस्तान), 17 सितंबर (भाषा)।

भारत की शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट मंगलवार को यहां जापान की मौजूदा चैंपियन मायु मुकैदा से हारकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो गईं। वह अब रेपेचेज के जरिए कांस्य पदक के लिए अपना भाग्य आजमाएंगी।

मुकैदा ने 53 किग्रा के फाइनल में जगह बनाई है जिससे विनेश की पदक और तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें बनी हुई हैं। केवल दो जीत से वह तोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर देंगी। उन्हें विश्व चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने के लिए रेपेचेज में उक्रेन की यूलिया खावलदजी ब्लाहनिया, विश्व की नंबर एक सराह एन हिल्डरब्रैंड ओर यूनान की मारिया प्रेवोलाराकी को हराना होगा।

विनेश की यह इस सत्र में जापानी पहलवान के हाथों लगातार दूसरी पराजय है। इससे पहले वह चीन में एशियाई चैंपियनशिप में भी दो बार की विश्व चैंपियन से हार गई थी। विनेश ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में खिताब जीते हैं लेकिन विश्व चैंपियनशिप में अभी तक पदक जीतने में नाकाम रही हैं।

विनेश फोगाट

मुकैदा ने 53 किग्रा के फाइनल में जगह बनाई है जिससे विनेश की पदक और तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें बनी हुई हैं।

उन्होंने मुकाबले के बाद कहा, 'जापान कुश्ती में सबसे शक्तिशाली देश है। इन लड़कियों के खिलाफ आक्रमण करने में थोड़ा समय लगता है। एक तकनीक, एक मूव या एक अंक पूरे मुकाबले का परिणाम बदल सकता है। मैंने ऐसी कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे सफलता मिली।'

एक अन्य ओलंपिक वर्ग (50 किग्रा) में सीमा बिस्ला प्री क्वार्टर फाइनल में तीन बार की ओलंपिक पदक विजेता अजरबेजान की मारिया स्टैडनिक से 2-9 से हार गईं। विनेश की तरह वह भी कांस्य पदक और ओलंपिक क्वालीफिकेशन की दौड़ में बनी हुई है क्योंकि स्टैडनिक फाइनल में पहुंची गई हैं।

सीमा ने कहा, 'मारिया मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है बल्कि वह मुझसे अधिक अनुभवी हैं। मैंने 50 किग्रा में केवल पांच-छह मुकाबले खेले हैं। मैं सीख रही हूं और आगे बेहतर करूंगी।' विनेश ने हाल में पोलैंड ओपन में भी विश्व चैंपियनशिप में छह बार की पदक विजेता सोफिया को हराया था। इस बीच नवीन के 130 किग्रा रेपेचेज दौर में एस्तोनिया के हीकी नबी से हारने के साथ भारत का ग्रीको रोमन में अभियान भी समाप्त हो गया।

विजय हजारे ट्राफी में दिल्ली के लिए उपलब्ध रहेंगे धवन, पंत और सैनी

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

शिखर धवन, ऋषभ पंत और नवदीप सैनी विजय हजारे ट्राफी के लिए दिल्ली की टीम की तरफ से खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। दिल्ली अपना पहला मैच 24 सितंबर को विदर्भ के खिलाफ खेलेगा। भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला 22 सितंबर को बंगलुरू में समाप्त होगी लेकिन दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा कि राज्य के चोटी के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एकदिवसीय टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहने की पुष्टि कर दी है। पंत हालांकि भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और वह पहले कुछ मैचों के बाद संभवतः उपलब्ध नहीं रहेंगे जबकि धवन के सभी मैचों में खेलने की उम्मीद है।

डीडीसीए अध्यक्ष शर्मा ने कहा, 'यह वास्तव में अच्छा है कि ऋषभ, शिखर और नवदीप दिल्ली के लिए उपलब्ध रहेंगे।' उन्होंने उम्मीद जताई कि इशांत शर्मा और विराट कोहली भी अंतरराष्ट्रीय मैचों से समय मिलने पर दिल्ली की तरफ खेलेंगे। शर्मा ने कहा, 'विराट और इशांत भी दिल्ली क्रिकेट में योगदान देना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी संभव हो वे मैदान पर उतरेंगे। उन्होंने हाल में वार्षिक पुरस्कार समारोह में दिल्ली क्रिकेट के प्रशंसकों से यह वादा किया था।'

पंघाल, मनीष कौशिक विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में

एकातेरिनबर्ग, 17 सितंबर (भाषा)।

एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल (52 किलो), राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मनीष कौशिक (63 किलो) और संजीत (91 किलो) ने मंगलवार को पुरूषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के कवार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया । पंघाल ने पहले विश्व चैंपियनशिप पदक की ओर कदम बढ़ाते हुए तुर्की के बातूहान सीफ्की को हराया। वहीं कौशिक ने चौथी वरीयता प्राप्त मंगोलिया के चिंजोरिग बातारसुख को मात दी। संजीत ने दूसरी वरीयता प्राप्त उजबेकिस्तान के संजार तुर्सुनोव को 3.2 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। तुर्सुनोव ने पिछली विश्व चैंपियनशिप में कांस्य और एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था।

पंघाल ने जीत के बाद कहा, 'यह अच्छा मुकाबला था लेकिन मेरा सामना अनुभवी मुक्केबाज से था। मैं कल के मुकाबले के लिए तैयार हूं। मैं इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करता हूं जिनका आज 69वां जन्मदिन है।' संजीत का सामना अब सातवीं वरीयता प्राप्त इक्वाडोर के जूलियो सेसा कैस्टिलो से टोरेस से होगा जिसने हंगरी के एडम हमोरी को मात दी।

सात्विक-अश्विनी चीन ओपन के पहले दौर में जीते

चांग्झू (चीन), 17 सितंबर (भाषा)।

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की भारत की मिश्रित युगल जोड़ी ने मंगलवार को चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में प्रवीण जोर्डन और मेलाती देइवा ओक्ताव्वियांती की इंडोनेशिया की दुनिया की सातवें नंबर की जोड़ी को हराकर उलटफेर किया। सात्विक ने इसके बाद चिराग शेट्टी के साथ मिलकर कनाडा के जैसन एंथनी हो शु और नाइल याकुरा को 21-7, 21-18 से हराकर पुरूष युगल के दूसरे दौर में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी का सामना अब ताकेशी कामुरा और कीगो सोनोदा की चौथी वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी से होगा।

सात्विक और अश्विनी की दुनिया की 26वें नंबर की जोड़ी ने एक गेम गंवाने के बावजूद 50 मिनट में प्रवीण और मेलाती की जोड़ी को 22-20 17-21 21-17 से हराकर 10 लाख डालर इनामी विश्व टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाई। जोर्डन और मेलाती की जोड़ी 2018 इंडिया ओपन सहित पांच फाइनल में जगह बना चुकी है लेकिन भारतीय जोड़ी ने उन्हें लगातार दबाव में रखते हुए जीत दर्ज की।

सात्विक और अश्विनी का सामना अगले दौर में युकी केनेको और मिसाकी मात्सुतोमो की जापान की जोड़ी और सैम मैगी और क्लो मैगी की आयरलैंड की भाई-बहन की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

भारतीय जोड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वह 4-7 से पिछड़ गई। लगातार पांच अंक की बदौलत सात्विक और अश्विनी हालांकि ब्रेक तक 11-10 की बढ़त बनाने में सफल रहे। ब्रेक के बाद जोर्डन और मेलाती की जोड़ी ने 18-12 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली लेकिन भारतीय जोड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 20-20 किया और फिर गेम जीत लिया।

रोहित ऐसा खिलाड़ी कि उसे सभी प्रारूपों में खेलना चाहिए : राठौड़

मोहाली, 17 सितंबर (भाषा)।

भारत के नवनियुक्त बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ का मानना है कि रोहित शर्मा इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उन्हें तीनों प्रारूपों में खेलना चाहिए। राठौड़ ने साथ ही टेस्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में सभी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रोहित का समर्थन किया। सीमित ओवरों के प्रारूप में रोहित को दिग्गज क्रिकेटरों में शामिल किया जाता है लेकिन उनका टेस्ट करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। रोहित को एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच दिवसीय प्रारूप में मौका दिया और इस बार उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है।

राठौड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पूर्व कहा, 'वह इतना अच्छा खिलाड़ी है कि उसे सभी प्रारूपों में खेलना चाहिए। सभी यह सोचते हैं। सफेद गेंद के क्रिकेट में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह टेस्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में सफल नहीं हो, बशर्ते उसे पर्याप्त मौके मिलें। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो टीम के लिए काफी फायदेमंद होगा।'

विक्रम राठौड़

रोहित को स्वदेश में टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज करने का मौका मिलेगा लेकिन राठौड़ ने कहा कि इस स्टार बलल्बाज में विदेशों में भी सफल होने की क्षमता है। राठौड़ ने कहा, 'फिलहाल मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि पहले टैस्ट की अंतिम एकादश क्या होगी लेकिन अगर रोहित अच्छा करता है और पारी का आगाज कर रहा है तो फिर वह क्यों नहीं।' रोहित ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में 10000 से अधिक रन बनाए हैं लेकिन वह सिर्फ 27 टैस्ट खेल पाए हैं और इसमें भी उनका औसत सिर्फ 39.62 रहा है जो उनके एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के उनके 48.52 के औसत से काफी कम है।

बलात्कार के आरोपों से 'शर्मसार' थे रोनाल्डो

लंदन, 17 सितंबर (एएफपी)।

यूवेंटस के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्वीकार किया है कि वह उस समय 'शर्मसार' महसूस कर रहे थे जब अपने परिवार को इन आरोपों से बचाने का प्रयास कर रहे थे कि उन्होंने अमेरिका में एक महिला का बलात्कार किया है। रोनाल्डो पर जून 2009 में कैथरीन मेयोर्गा ने लास वेगास के होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पांच बार के चैंपियन्स लीग के विजेता पुर्तगाल के इस फारवर्ड ने इन आरोपों से इनकार किया था।

रोनल्डो ने कहा, 'मुझे याद है कि एक दिन मैं घर पर लीविंग रूम में अपनी प्रेमिका के साथ टेलीविजन पर समाचार देख रहा था और वे इस बारे में बात कर रहे थे 'क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये और वो'। मुझे अपने बच्चों के सीढ़ियों से उतरने की आवाज सुनाई दी और मैंने चैनल बदल दिया क्योंकि मैं शर्मसार था।'

मीराबाई चानू की नजरें ओलंपिक कोटा पक्का करने पर

पटाया, 17 सितंबर (भाषा)।

पूर्व चैंपियन मीराबाई चानू आज से शुरू हो रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जब भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगी तो उनकी नजरें 2017 के स्वर्ण पदक जीतने के अपने प्रदर्शन को दोहराने और ओलंपिक कोटा पक्का करने पर टिकी होंगी। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिग्गज खिलाड़ी मीराबाई भारत की ओर से पदक की दावेदार हैं लेकिन अगर उन्हें यहां पोडियम पर जगह बनानी है तो अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। मीराबाई ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के बाद कमर की चोट के कारण लगभग नौ महीने बाहर रहने के बाद मजबूत वापसी की है।

अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) के वजन वर्गों में बदलाव करने के फैसले के बाद 48 किग्रा की जगह 49 किग्रा वर्ग में हिस्सा ले रही 25 साल की मीराबाई ने इस साल तीन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए दो में अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मीराबाई ने एशियाई चैंपियनशिप में कुल 199 किग्रा (186 और 113 किग्रा) वजन उठाकर निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था लेकिन पदक से चूक गई थी।

मीराबाई चानू

पिछली विश्व चैंपियनशिप में थाईलैंड की चायुत्रा प्रमोंगखोल ने महिला 49 किग्रा वर्ग में 209 किग्रा (89 और 120) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता था लेकिन फिलहाल डोप प्रकरण में फंसी हुई हैं। इसके अलावा चीन की मौजूदा विश्व रिकार्ड धारक हाउ झिझुई ने 208 किग्रा के साथ रजत जबकि उनकी हमवतन जियांग हुइहुआ ने 206 किग्रा वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। मीराबाई को झिझुई और हुइहुआ दोनों से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है।मीराबाई चीन की भारोत्तोलकों से मिलने वाली चुनौती से वाकिफ हैं और 210 किग्रा वजन उठाने को लक्ष्य बना कर चल रही हैं। मणिपुर की मीराबाई ने कहा, 'मैंने ट्रेनिंग में 203 किग्रा वजन उठाया है। मेरा लक्ष्य 210 किग्रा है लेकिन इसे धीरे धीरे हासिल करना होगा। उम्मीद करती हूं कि तोक्यो तक मैं इसे हासिल करने में सफल रहूंगी।'

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 304, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।